लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खंड 39, 1965/1886 (शक)

Volume, XXXIX, 1965/1886 (Saka)

[3 से 16 मार्च, 1965/12 से 25 फाल्गुन, 1886 (शक)]

[March 3 to 16, 1965/Phalguna 12 to 25, 1886 (Saka)]

ग्यारहवां सत्र 1965/1886-87 (शक)

Eleventh Session, 1965/1886-87 (Saka)

खंड 39 में अंक 11 से 20 तक हैं

Vol. XXXIX contains Nos. 11—20

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची

अंक 16, 10 मार्च, 1965/19 फाल्गुन, 1886 (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
***तारांकित**		
प्रश्न संख्या		
356	जम्मू तथा काश्मीर में बम विस्फोट . . .	1423–26
357	भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के वेतन-क्रम	1426–28
358	कोचीन तेल शोधन शाला	1429
359	परीक्षा प्रविधियों का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अध्ययन	1430–34
360	उच्च शिक्षा समवर्ती विषय के रूप में . . .	1434–39
361	विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त वैज्ञानिक . .	1439–42
362	दिल्ली में गांधीजी और नेता जी की मूर्तियां . .	1443–47
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		1447–49
1.	**'गीतांजलि' की पांडुलिपि**	
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
***तारांकित**		
प्रश्न संख्या		
363	गैर-मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थायें . . .	1449
365	दूतावासों मिशनों द्वारा नगरपालिका को देय राशि .	1450
366	कच्चे तेल की कीमत . . .	1450–51
367	बिहार–उत्तर प्रदेश सीमांकन . . .	1451
368	रोजगार पर निवास सम्बन्धी प्रतिबन्ध	1451–52
369	वालकाट के विरुद्ध कार्यवाही . . .	1452
370	उर्वरकों का उत्पादन	1452–53
371	अन्दमान में इण्डोनेशियाइयों के घुस आने की सम्भावना	1453
372	दिल्ली में विस्फोट . .	1454–55
373	संविधान का अनुच्छेद 370	1455–56
374	आवास लाइसेन्स प्रक्रिया	1456
375	पृथक् मिज़ो राज्य की मांग	1457
376	मद्य निषेध .	1458
377	केन्द्रीय प्रशासनिक सेवायें .	1459
378	सम्पूर्णानन्द समिति की रिपोर्ट .	1459
379	केरल में परिचालित रहस्यमय दस्तावेज . . .	1460

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 16—Wednesday, March 10, 1965/Phalguna 19, 1886 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
356	Bomb Explosions in Jammu and Kashmir	1423–26
357	Pay Scales of I.A.S. and I.P.S.	1426–28
358	Cochin Refinery.	1429
359	U.G.C. Study in Exam. Techniques	1430–34
360	Higher Education as Concurrent Subject	1434–39
361	Foreign Trained Scientists	1439–42
362	Statues of Gandhiji and Netaji in Delhi	1443–47
	SHORT NOTICE QUESTION—	
1	Manuscript of 'Gitanjali'	1447–49
	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—	
363	Unrecognised Educational Institutions	1449
365	Dues to N.D.M.C. Embassies/Missions	1450
366	Price of Crude	1450–51
367	Bihar-U.P. Border Demarcation	1451
368	Domiciliary Restrictions on Employment	1451–52
369	Action against Walcott	1452
370	Production of Fertilizers	1452–53
371	Possible Infiltration of Indonesians in Andamans	1453
372	Explosions in Delhi	1454–55
373	Article 370 of Constitution	1455–56
374	Procedure for Housing Licences	1456
375	Demand for a Separate Mizo State	457
376	Prohibition	1458
377	Central Administrative Services	1459
378	Sampurnanand Committee Report	1459
379	Mystery Document circulated in Kerala	1460

*The sign+ marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर --जारी

अतारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
903	भारत का गजेटीयर . . .	1460
904	अहिन्दी-भाषी राज्यों के लिये पुस्तकें .	1460–61
905	राजस्थान के स्कूलों में आडिटोरियम . .	1461
906	कक्षाओं में दिखाई जाने वाली विज्ञान सम्बन्धी फिल्में	1461–62
907	मुस्लिम वक्फ . .	1462
908	वामपक्षी साम्यवादियों की गिरफ्तारी	1462
909	दण्डकारण्य के कर्मचारियों पर आरोप	1463
910	प्रोटीन की टिकियां	1463–64
911	दिल्ली प्रशासन	1464
912	भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लिये संयुक्त पदाली	1464
913	पब्लिक स्कूल . . .	1465
914	भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में विलम्ब	1465
915	नई दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली नगर-निगम के दावे .	1465–66
916	भारतीय भूपरिमाप के कर्मचारी . . .	1466
917	दिल्ली में लापता बच्चे .	1466–67
918	दिल्ली में सेवानिवृत्त शिक्षक .	1467
919	रूसी अध्ययन संस्था	1467–68
920	अपर डिवीजन क्लर्क ग्रेड का समाप्त करना .	1468
921	जरायम पेशा आदिम जातियों की गिरफ्तारी .	1468
922	हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी .	1469
923	भारतीय प्रवज़कों की आयु सम्बन्धी छूट	1469–70
924	केन्द्रीय विश्वविद्यालय .	1470
925	भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संस्था . . .	1470
926	भारत स्काउट्स तथा गाइड्स व	1471
927	श्री नेहरू का स्मारक	1471
928	उत्तर प्रदेश में ढले इस्पात की भट्ठी	1472
929	पश्चिमी बंगाल में तेल	1472
930	होशियारपुर में तेल की खोज .	1472
931	नये प्रवज़कों का पुनर्वास . .	1473
932	भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तारियां	1473
933	होटरों के एलीमेन्टों के लिये मिश्र-धातु . .	1473–74
934	गृह-कार्य मंत्रालय के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें	1474
935	सोंदड़ रियासत के भूतपूर्व शासक	1474–75
936	अनुसन्धान संस्थायें . .	1475
937	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला .	1475–76
938	गृह-कार्य मंत्रालय में शिकायत पेटी .	1476
939	प्रयोगशालाओं के लिए रसायन	1476
940	दिल्ली में सिलेंडर का फटना	1476

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
903	Gazetteer of India	1460
904	Books for Non-Hindi Speaking States	1460–61
905	Auditorium in Rajasthan Schools	1461
906	Class-room Science Films	1461–62
907	Muslim Wakfs	1462
908	Arrests of "Left" Communists	1462
909	Charges against Dandakaranya Officials	1463
910	Protein Tablets	1463–64
911	Delhi Administration	1464
912	Joint Cadre for I.A.S. and I.P.S.	1464
913	Public Schools	1465
914	Delay in Enquiry of Corruption Cases	1465
915	NDMC and DMC Claims	1465–66
916	Employees of Survey of India	1466
917	Missing Children in Delhi	1466–67
918	Retired Teachers of Delhi	1467
919	Institute of Russian Studies	1467–68
920	Abolition of U.D.Cs Grade	1468
921	Arrest of Criminal Tribes	1468
922	Hindustan Antibiotics Ltd., Pimpri	1469
923	Age Concessions to Indian Migrants	1469–70
924	Central Universities	1470
925	Indian Adult Education Organisation	1470–71
926	Bharat Scouts and Guides National Headquarters, New Delhi	1471
927	Memorial to Shri Nehru	1471
928	Cast Steel Furnace in U.P.	1472
929	Oil in West Bengal	1472
930	Exploration of oil in Hoshiarpur	1472
931	Rehabilitation of New Migrants	1473
932	Arrests made under D.I.R.	1473
933	Alloy for heating elements	1473–74
934	Complaints against Employees of Ministry of Home Affairs	1474
935	Ex-Ruler of Sondur State	1474–75
936	Research Institutes	1475
937	National Physical Laboratory	1475–76
938	Complaint Boxes in Ministry of Home Affairs	1476
939	Chemicals for Laboratories	1476
940	Cylinder Explosion in Delhi	1476

अतारांकित प्रश्न संख्या	(जारी) विषय	पृष्ठ
941	राब का भाव	1477–78
942	पश्चिमी हिमालय पर्वतारोहण संस्था	1478
943	भारत में अफ्रीकी विद्यार्थी	1478
944	रिपब्लिकन पार्टी द्वारा आन्दोलन	1478
945	काश्मीरियों की नागरिकता	1479
947	पुलिस आवास योजना	1479
948	उड़ीसा में अनिवार्य शिक्षा	1479
949	दिल्ली के स्कूलों में शिक्षा	1480
950	उच्च न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमे	1480
951	नागा विद्रोही	1480–81
952	नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र	1481
953	प्रशासनिक सुधार	1481–82
954	कृषि स्कूल	1482
955	नन्दी स्क्वैटर्स कालोनी, 24 परगना	1482–83
956	पुनर्वास सम्बन्धी अवशिष्ट समस्यायें	1483
957	हिसार में प्राचीन टकसाल	1483–84
958	तकनीकी संस्थाओं के लिये अमरीकी सामान	1484
959	पी० एस० 480 निधि के अधीन छात्रवृत्तियां	1484
961	त्रिपुरा में आदिवासियों की बेदखली	1484–85
962	आदिवासियों का पूर्वी पाकिस्तान जाना	1485
963	अनुसन्धान के लिये अमरीकी अनुदान	1485
964	संगनूर कैम्प, कोयम्बटूर	1486
965	कृत्रिम वर्षा	1486
966	इलेक्ट्रो–कैमिकल अनुसन्धान संस्था, कराइकुडी	1487
967	केरल के सहायता-प्राप्त स्कूलों के अध्यापक	1487
968	जम्मू और काश्मीर राज्य का झंडा	1487
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		1488–91
	वामपक्षी साम्यवादी नेताओं की ओर अधिक अवधि तक नजरबन्दी	
	श्री स० मो० बनर्जी	1488
	श्री नन्दा	1488–91
सभा पटल पर रखे गये पत्र		1491
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति		1491
	अट्ठावनवां प्रतिवेदन	
अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1965–66		1491–1511
श्री हेडा		1491–94
श्री नि० रं० लास्कर		1495
श्री खाडिलकर		1496

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	*Pages*
941	Price of Molasses	1477–78
942	Western Himalayan Mountaineering Institute	1478
943	African Students in India	1478
944	Republican Party Agitation	1478
945	Citizenship of Kashmiris	1479
947	Police Housing Scheme	1479
948	Compulsory Education in Orissa	1479
949	School Education in Delhi	1480
950	Pending Cases in High Courts	1480
951	Naga Hostiles	1480–81
952	Nitrogen Fertilizer Plants	1481
953	Administrative Reforms	1481–82
954	Agricultural Schools	1482
955	Nandi Squatters Colony 24 Parganas	1482–83
956	Residuary Problems of Rehabilitation	1483
957	Ancient Mint in Hissar	1483–84
958	Equipment for Technical Institutes	1484
959	P.L. 480 Funds Scholarships	1484
961	Eviction of Tribals from Tripura	1484–85
962	Migration of Tribals to East Pakistan	1485
963	U.S. Grant for Research	1485
964	Sanganur Camp, Coimbatore	1486
965	Artificial Rains	1486
966	Electro-Chemical Research, Institute, Karaikudi	1487
967	Teachers of Aided Schools of Kerala	1487
968	Flag of J. & K. State	1487

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . 1488—91

Further detention of left Communist leaders

Shri S. M. Banerjee 1488

Shri Nanda . . . . . 1488—91

Papers laid on the Table 1491

Committee on Private Members' Bills and Resolutions—

Fifty-eighth Report 1491

Demands for Grants (Railways), 1965-66 . . . .1491—1511

Shri Heda . . . . . 1491—94

Shri N. R. Laskar 1495

Shri Khadilkar 1496

विषय	पृष्ठ
अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1965–66 (जारी)	
श्री प्रिय गुप्त	1496–97
श्री प० चं० बर्मन	1497–98
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी	1498
श्री उ० मू० त्रिवेदी	1498–99
श्री ल० ना० भंजदेव	1499–1500
श्री ठे० सुब्रह्मण्यम	1500–01
श्री रंगा	1501–02
डा० प० मंडल	1502
श्री मानसिंह पृ० पटेल	1502–03
श्री माते	1503
श्री रतनलाल	1503
श्रीमती कमला चौधरी	1504
श्री पें० वेंकटासुब्बया	1504–05
श्री इन्द्रजीत गुप्त	1505–06
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह	1506–07
श्री जोकिम आल्वा	1507–08
श्री यशपाल सिंह	1508
श्री रामनाथ	1509–10
डा० मा० श्री० अणे	1510–11
इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के बारे में आधे घंटे की चर्चा	1511—13
श्री विद्याचरण शुक्ल	1511
श्री कानूनगो	1511–13

Demands for Grants (Railways), 1965-66—*contd.*

Shri Priya Gupta . . . . 1496—97
Shri P. C. Barman . . . . . . 1497—98
Shri J. P. Jyotishi 1498
Shri U. M. Trivedi . . . . 1498—99
Shri L .N. Bhanja Deo . . . . . . 1499—1500
Shri T. Subramanyam . . . . . . 1500—01
Shri Ranga . . . . 1501—02
Dr. P. Mandal 1502
Shri Man Singh P. Patel . . . . . . 1502—03
Shri More 1503
Shrt Rattan Lal 1503
Shrimati Kamala Chaudhuri 1504
Shri P. Venkatasubbaiah . . . . . . 1504—05
Shri Indrajit Gupta . . . . 1505—06
Shri Surendra Pal Singh . . . . . . 1506—07
Shri Joachim Alva . . . . 1507—08
Shri Yashpal Singh 1508
Shri Sham Nath . . . . . . 1509—10
Dr. M. S. Aney . . . . 1510—11

Half-an-Hour Discussion re : Indian Airlines Corporation 1511—13
Shri Vidya Charan Shukla 1511
Shri Kanungo 1511—13

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 10 मार्च, 1965/19 फाल्गुन, 1886 (शक)
Wednesday, March 10, 1965/*Phalguna*, 19 1886 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

जम्मू तथा काश्मीर में बम विस्फोट

+

*356. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बड़े :
श्री हेम बरुआ :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1964 के मध्य से फरवरी, 1965 तक कितने विस्फोट हुए ;

(ख) क्या कुछ मामलों में पाकिस्तानी जासूस पकड़े गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार इस मामले को सीधे पाकिस्तान सरकार के साथ उठाने का विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) पांच विस्फोट।

(ख) कुछ लोग, जिन पर पाकिस्तानी जासूस होने का संदेह था, गिरफ्तार किये गए हैं।

(ग) फ़िलहाल ऐसा विचार नहीं है। लेकिन पहले ही उचित मौकों पर यह मामला सुरक्षा परिषद के ध्यान में लाया जा चुका है।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी जासूसों ने बताया है कि उनके साथ कुछ भारतीय भी शामिल हैं जो विस्फोट करते हैं ?

श्री हाथी : मैं इतना कह सकता हूं कि पाकिस्तानी एजेंटों ने कुछ बातें मंजूर की हैं।

श्री रामेश्वर टांटिया: क्या यह सच है या सरकार ने यह पाया है कि इन विस्फोटों के पीछे कुछ बड़े राजनीतिज्ञों का हाथ है ?

श्री हाथी : उन्होंने यह बात मंजूर नहीं की है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the number of persons arrested in connection with these bomb explosions, the number against whom legal action was taken and the number who were punished and the steps taken by the Government to check these bomb explosions ? Where these were manufactured.

Shri Hathi : So far 60-65 persons have been arrested. It seems that the bombs were from Pakistan.

Shri Onkar Lal Berwa : Have the Government found that Chinese spies are also involved in these bomb explosions ?

Shri Hathi : We have not found anything whose manufacturer is China.

Shri Yashpal Singh : May I know the number of incidents took place after the announcement made by the Jammu and Kashmir Government that persons involved in explosions will be given capital punishment ?

Shri Hathi : The Home Minister of Jammu and Kashmir made a statement a few days ago in the State Assembly that they were drafting such legislation.

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि शेख अब्दुल्ला ब्रिटेन में घृणित भारत-विरोधी प्रचार कर रहे हैं ताकि काश्मीर में आत्म-निर्णय के बारे में वहां का समर्थन प्राप्त किया जा सके जिसका काश्मीर की आन्तरिक राजनीति पर असर पड़ रहा है ? यदि हां, तो ब्रिटेन में शेख अब्दुल्ला के इस आंदोलन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है और इस प्रकार के भारत-विरोधी आन्दोलन को कुचलने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न सम्बन्धित नहीं है।

श्री नाथ पाई : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जम्मू तथा काश्मीर में ये बम विस्फोट पीकिंग में पाकिस्तान के राष्ट्रपति और चीन के प्रधान मंत्री द्वारा स्पष्टतः भारत के विरुद्ध जारी की गयी भयानक विज्ञप्ति के साथ-साथ अधिक हुए हैं और भारत के विरुद्ध

काहिरा से लन्दन तक प्रचार किया गया है, क्या सरकार संसद् को यह आश्वासन दे सकती है कि उनको काश्मीर में हमें हराने के इन सभी प्रयत्नों का पता है और वे पर्याप्त कदम उठा रहे हैं ?

श्री हाथी : काश्मीर सरकार पर्याप्त कदम उठा रही है।

श्री नाथ पाई : पहले सरकार के इस प्रकार के अनर्गल आश्वासनों से खतरे की गंभीरता का पता नहीं लगा है। इस वर्ष जनवरी मास से देश का भाग्य अनिश्चित सा है। गृह मंत्री जी यहां पर हैं। यह बड़ा गंभीर मामला है और इसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। हम यह जानना चाहते हैं कि उनकी इस बारे में क्या योजना है।

श्री हेम बरुआ : आपने श्री नाथ पाई को प्रश्न पूछने की अनुमति दी। मेरा प्रश्न स्पष्ट था ....

अध्यक्ष महोदय : यदि मैंने श्री नाथ पाई को प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी है तो इसका यह मतलब तो नहीं कि हर सदस्य हर प्रश्न पूछ सकता है।

श्री हेम बरुआ : मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा प्रश्न स्पष्ट था। मंत्री महोदय ने बताया कि उन्हें शेख अब्दुल्ला के इस आन्दोलन का पता है। हम यह जानना चाहते हैं कि इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है और सरकार इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही करेगी। बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए यह प्रश्न सम्बन्धित प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि जब मैंने किसी प्रश्न की अनुमति न देने का फैसला कर लिया है तो मेरे साथ विवाद न करें। हम विस्फोट की बात कर रहे हैं। श्री बरुआ ने एक प्रश्न पूछा जिसका इससे सम्बन्ध नहीं था। इस प्रकार का व्यवहार सभा के कार्य-संचालन के उपयुक्त नहीं है। अब वह यह प्रश्न न पूछें। श्री नाथ पाई ने पूछा है कि क्या इसका उस वक्तव्य से कुछ सम्बन्ध है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : सरकार को सभी परिणामों और स्थिति की गंभीरता का ज्ञात है और विभिन्न तरीकों से इस बारे में कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री हेम बरुआ : वे कदम क्या हैं ?

श्री नन्दा : यह अवसर उनको बताने का नहीं है।

श्री हेम बरुआ : उन्हें खतरे का पता है लेकिन वह यह नहीं बताते कि वे क्या कदम उठा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि वे अब नहीं बताना चाहते तो उन पर दवाब नहीं डाला जाना चाहिए।

श्री ० चं० बरुआ : काश्मीर में पाकिस्तानी तोड़फोड़ करने वालों के कितने दल पाए गए हैं और कितने व्यक्तियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है और उनकी कार्य-पद्धति क्या है ?

श्री हाथी : एक दल को गिरफ्तार किया गया है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात को देखते हुए कि चीन के पास भारत की पाकिस्तान अधिकृत भूमि है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस तोड़फोड़ की कार्रवाई में चीन का भी हाथ है ?

श्री हाथी : हमको जो जानकारी मिली है, उससे इस बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है।

श्रीमती सावित्री निगम : इस बात को देखते हुए कि ये बम-विस्फोट रोजाना अथवा सप्ताह में होने लगे हैं और मंत्री महोदय के असंतोषजनक उत्तर को देखते हुए, मैं यह जानना चाहती हूं कि सरकार इस प्रकार के विस्फोटों को रोकने के लिए क्या कदम उठायेगी और क्या इस बारे में केन्द्रीय सरकार और काश्मीर सरकार का एक संयुक्त दल पता लगाएगा और जांच करेगा।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कई प्रश्न एक साथ शामिल हैं।

श्री हाथी : यदि अपने बड़े प्रश्न के उत्तर में मेरे छोटे से उत्तर से माननीया सदस्या को संतोष नहीं हुआ है तो मुझे खेद है, लेकिन जैसा मैंने बताया है, जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ कर दी है, वे स्थिति पर ध्यान दे रहे हैं। इसी कारण जासूस दल का पता लगाया जा सका है और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 65 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं।

श्री जोकीम आल्वा : जनमत संग्रह मोर्चे, 'महज़' के सदस्यों द्वारा, इन विस्फोटों और जासूसी की कार्रवाइयों में कहां तक सहायता की गयी है, जो फैले हुए हैं और जो खुले तौर पर तस्वीरों में, लेखों में पाकिस्तान का समर्थन करते हैं।

श्री हाथी : इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। इस जांच से ऐसा पता नहीं चला है।

भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के वेतन-क्रम

+

*357. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री भागवत झा आज़ाद :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री कपूर सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प० ह० भील :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय विदेश सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के वेतन-क्रमों में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और इस विषय पर सरकार जल्दी से जल्दी कब तक अन्तिम निर्णय कर लेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या द्वितीय वेतन आयोग ने अपने प्रतिवेदन में इस बारे में कोई कदम उठाए हैं कि भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिक वेतन-स्तर के बारे में केन्द्रीय सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए और यदि हां, तो इस बारे में वेतन आयोग की विशिष्ट सिफारिशें क्या हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह प्रश्न दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में नहीं है लेकिन उन्होंने ऊंचे वेतनों में कमी करने और उनको बढ़ाने के बारे में विचार किया और कुछ सिफारिशें की लेकिन यह उनके निर्देश-पदों में शामिल नहीं था।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह: क्या यह सच है कि हमारे बहुत से विद्वान युवक गैर-सरकारी उद्योगों और व्यवसाय में नौकरी ढूंढ़ रहे हैं और वे सरकारी सेवा में नहीं आ रहे हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : जी, हां। हमें बताया गया है कि विद्वान युवक गैर-सरकारी क्षेत्र में जा रहे हैं क्योंकि वहां उनको अधिक वेतन मिलता है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : उनके वेतन बढ़ाये जाने के प्रश्न के अतिरिक्त क्या सरकार भारतीय विदेश सेवा और भारतीय प्रशासन सेवा का विलय करना चाहती है ताकि उनमें कुशलता बढ़े ?

श्री ल० ना० मिश्र : इसका मुझे पता नहीं है लेकिन इस समय ये दो भिन्न पदालियां है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्य यह सच है कि हमारे प्रशासन का स्तर स्वतन्त्रता के बाद से धीरे धीरे गिरता जा रहा है और यह किस हद तक सेवा में इस प्रकार स्थिति के कारण है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। हमारे प्रशासन का स्तर गिर नहीं रहा है।

Shri Vishwa Nath Pandey: I want to know whether Government are taking any measures to remove the difference in the pay-scales of I.A.S., I.F.S. and I.P.S.

Shri L. N. Mishra : No, Sir, there is no difference between the pay-scales of I.A.S. and I.F.S.

Shri Bhagwat Jha Azad : While appreciating the proposal not to make an increase in the pay-scales of all India services, I want to know whether Government are contemplating to minimise the difference between the lowest and highest pay-scales of these services ?

Shri L. N. Mishra : At present it is not being considered but this is true that the lowest pay-scales should be increased and for this we have

ogs she Das Report and their dearness allowance was increased and it was not increased in respect of I.A.S. and I.F.S. officers.

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को पता है कि इन सेवाओं के वेतन-स्तर न तो उनसे अपेक्षित सामाजिक स्तर से सम्बन्धित हैं और न ही जीवन-निर्वाह स्तर से और न ही उनकी गैर-सरकारी व्यापार में उपलब्ध परिलब्धि से कोई समानता है, और यदि हां, तो सरकार वर्तमान वेतन-स्तर बनाये रखना क्यों चाहती है और उनमें परिवर्तन क्यों नहीं करती ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह सच है कि मूल्य-वृद्धि के कारण और आय-कर की अधिक दर के कारण इन अधिकारियों को कठिनाई हो रही है। लेकिन उनका वेतन बढ़ाने का यह अवसर नहीं है।

Shri Onkar Lal Berwa : I want to know the recommendations contained in the Das Commission's Report in respect thereof which were accepted.

Shri L. N. Mishra : There was no reference in the Das Commission's Report.

Shri Sheo Narain : I want to know whether the Government, in the socialistic pattern of society, would make all the pay-scales over Rupees one thousand that they should not be more than the fixed limit.

Shri L. N. Misrha : We do not intend to do so.

Shri Kishen Pattanaik : Do the Government realise that the income and expenses of these officers in comparison to the *per capita* income and expenses of the country is much more and so it is required to be reduced ?

Shri L. N. Mishra : I think there is no need to reduce.

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सच है कि बहुत से भारतीय प्रशासन सेवा पदाधिकारी शिक्षण समाप्त करने के बाद और उन पर खर्च की गई रकम ले लेने के बाद विभिन्न उद्योगों में बहुत ऊंचे वेतन पर चले जाते हैं और यदि हां, तो सरकार इस प्रकार की कार्रवाई को, जो कि राष्ट्र के धन की बर्बादी है रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्री ल० ना० मिश्र : ऐसा करना संभव नहीं है।

Shri A. P. Sharma : The hon. Minister has just now said that recommendations of Das Commission do not apply to these officers. One of the recommendations of Das Commission was about giving of dearness allowance to employees drawing pay from Rs. 600 to Rs. 1290. May I know whether this recommendation would be made applicable to these officers ?

Shri L. N. Mishra : Yes, Sir, This recommendation was there but as thi was not included in their terms of reference, the recommendation was not accepted.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या स्तर में गिरावट कम वेतन के कारण नहीं है बल्कि शिक्षा के स्तर में सामान्य गिरावट के कारण है और यदि हां, तो सरकार भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों को अधिक अच्छा प्रशिक्षण देने के लिए क्या तरीके अपनाएगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : प्रशिक्षण के स्तर में सुधार करने के लिए, एक समिति बनाई गई और उसमें संसद-सदस्य भी हैं। वह समिति इस प्रश्न पर विचार करेगी।

कोचीन तेल शोधनशाला

+

*358. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन शोधनशाला का कार्य **निर्धारित कार्यक्रम** से **बहुत पीछे** है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ; और

(ग) शोधनशाला के निर्माण-कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). जी नहीं। 15 नवम्बर, 1965 की तारीख तक निर्माण कार्य को पूरा करने के लक्ष्य के मुकाबले में इस कार्य के 1 जनवरी, 1966 तक पूरे होने की संभावना है।

(ग) उपकरण/सामग्री का मुख्य भाग प्राप्त कर लिया गया है और निर्माण-कार्य अधिकांश रूप में कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि ढांचे और इमारत बनाने का ठेका अभी तक नहीं दिया गया है या बहुत बाद में दिया गया है और यदि हां, तो विलम्ब के लिए राज्य सरकार किस हद तक जिम्मेवार है ?

श्री हुमायून् कबिर : मैं बता चुका हूं कि निर्माण-कार्य अधिकांशत: कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है। पता नहीं कि माननीय सदस्य यह कैसे कह रहे हैं कि यह नहीं हो रहा है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : सरकार ने इस शोधनशाला को स्थापित करने में बरौनी और गोहाटी में प्राप्त अनुभवों से किस हद तक लाभ उठाया है ?

श्री हुमायून् कबिर : सरकार निश्चित ही पिछले अनुभवों से लाभ उठाती है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या यह सच है कि "फैक्ट" ने इस शोधनशाला में उत्पादित नेफ्था को इस्तेमाल करके इस शोधनशाला के समीप एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए एक परियोजना प्रतिवेदन पेश किया है और यदि हां, तो क्या वह प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया गया है और नेफ्था के उत्पादन और उर्वरक के उत्पादन में इसके इस्तेमाल में सम्बन्ध कायम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री हुमायून् कबिर : यह प्रश्न सम्बन्धित नहीं है लेकिन मैं यह बता सकता हूं कि उर्वरक संयंत्र के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और वह विचाराधीन है।

परीक्षा प्रविधियों का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अध्ययन

\+

*359. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किये गये भारतीय विश्वविद्यालयों की परीक्षा प्रविधियों सम्बन्धी अध्ययन से पता चलता है कि प्रचलित परीक्षा पद्धतियां "पुराने ढंग की, ग़लत और दोषपूर्ण" हैं और परीक्षार्थी की ठीक योग्यता का उससे प्राय: पता नहीं चलता;

(ख) यदि हां, तो क्या इन त्रुटियों को दूर करने के लिये कोई सिफारिशें की गयी हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा परीक्षा प्रविधियों सम्बन्धी किए गए अध्ययन से पता चलता है कि विश्वविद्यालयों में प्रचलित परीक्षा पद्धति में सुधार करने की आवश्यकता है, जिससे ठीक योग्यता का पता चल सके ।

(ख) जी, हां ।

(ग) अध्ययन के परिणामस्वरूप की गई सिफारिशों से विश्वविद्यालयों को अवगत करा दिया गया है ।

Shri Yashpal Singh : Unless the students are examined orally, how their talent and ability could be judged. For assessing the real ability, the written examinations would have to be stopped and oral examinations would have to be started. May I know the action being taken by the Government in respect thereof ?

Shri M. C. Chagla : I am also of the same view. For this we have suggested a number of reforms and this also includes that we should consider oral tests.

Shri Yashpal Singh : Had the Government put this proposal before the meeting of Vice-Chancellors ?

Shri M.C. Chagla : Vice-Chancellors have accepted all the recommendations, excepting one or two, which were made by the University Grants Commission.

Shri M.L. Dwivedi : May I know whether our Committee have studied the educational pattern and working of the universities of other countrie ? If so, the recommendations made on that basis ? Will the copy of the recommendations be laid on the Table of the House ?

Shri M. C. Chagla : Yes, Sir. I would lay a copy in the Parliament library.

Shri Bhagwat Jha Azad : Not only the University Grants Commission but the President and other Education experts have been saying that the educational system and especially the examination system of the country is erratic. I want to know whether the work would be over by saying so or some efforts were made to improve this ?

Shri M. C. Chagla : The efforts could not be detailed in one or two minutes.

Mr. Speaker : Then much has been done.

Shri Bhagwat Jha Azad : When he could not tell in one minute what can he tell in an hour. He can simply give a lecture.

Mr. Speaker : What can be said in one minute ?

श्रीमती सावित्री निगम : माननीय मन्त्री ने बताया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशें विभिन्न विश्वविद्यालयों को भेज दी गई हैं । मैं जानना चाहती हूं कि विश्वविद्यालयों की प्रतिक्रिया क्या थी तथा कितने विश्वविद्यालयों ने इन सिफारिशों को कार्यान्वित करना आरम्भ कर दिया है ?

श्री मु० क० चागला : माननीय महिला सदस्य महसूस करेंगी कि विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थायें हैं । हम सिफारिशें उन तक पहुंचा सकते हैं । हम उन्हें कार्यान्वित करने के लिये भी कह सकते हैं परन्तु अन्त में तो स्वयं विश्वविद्यालयों को यह निर्णय लेना है कि उन्हे क्या करना है ।

श्रीमती सावित्री निगम : उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय महिला सदस्य सदा ही प्रश्न का उत्तर दे दिये जाने के पश्चात् अपने प्रश्न में एक अथवा दो बातें जोड़ देती हैं । अब वह एक स्पष्टीकरण चाहती हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम: उत्तर अपूर्ण है । मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप पूरा दिलवायें ।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्र० रं० चक्रवर्ती ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि प्रश्न-पत्र बनाने की दोषपूर्ण पद्धति से परीक्षार्थियों की योग्यता का उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता है ?

श्री मु० क० चागला : इनमें से एक सिफारिश, यद्यपि यह सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश नहीं है, यह है कि ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे विद्यार्थी की योग्यता का उचित मूल्यांकन हो सके । ऐसा एकमात्र लिखित परीक्षा द्वारा ही नहीं होता है और उससे विद्यार्थी का भला भी नहीं होता है ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या मैं जान सकता हूं कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में परीक्षकों की अदला बदली के बारे में कोई विचार किया गया है ।

श्री मु० क० चागला : पक्षपात की सम्भावना को समाप्त करने के लिये बहुत से विश्वविद्यालयों में बाहर से परीक्षक रखे जाते हैं ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अतिरिक्त शिक्षा मन्त्रालय कुछ विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों द्वारा अनुसन्धान कराता है, यदि हां,तो क्या इन प्राध्यापकों द्वारा दिए गए निर्णयों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के साथ-साथ विचार किया जायेगा ।

श्री मु० क० चागला : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अतिरिक्त हाल ही में हमें डा० एच० जे० टेलर, उप-कुलपति,गौहाटी विश्वविद्यालय की रिपोर्ट मिली है और हमारी अपनी राष्ट्रीय परिषद् परीक्षा में सुधार करने के बारे में निरन्तर जांच कर रही है । हम जानते हैं कि यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है ।

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether the Education Ministry is examining the way examinations are held and education is imparted in developed countries after the U.G.C. report is received and whether the Government is contemplating to prepare a report after such examination about the system to be introduced here ?

Shri M. C. Chagla : Yes. We see what the other countries are doing and compare the two. After this we conduct researches to see what we can introduce here.

Shri K.N. Tiwary : Those who had passed examinations according to old method are now in power. Has a study of this system been undertaken by Government about the shortcomings necessitatings such a change ?

Shri M. C. Chagla : The shortcomings have already been stated *i.e.* unequal assessment. We are now trying to remove this fault.

Shri K.N. Tiwafy : Those who are in the Government are the products of this old system. What defects have now crept in...

Mr. Speaker : The hon. Member must realise that if those defects which were in that system are removed, this house will have better persons than us.

श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का यह भी एक सुझाव है कि परीक्षा के लिये विद्यार्थियों की योग्यता जांचने के लिये 'ट्यटोरियल्स' पर ध्यान दिया जायेगा ।

श्री मु० क० चागला : जी हां । मुख्य सुझावों में से एक यह था कि बहुत से लेक्चर रखने के बजाय ट्यूटोरियल्स' क्लासें होनी चाहियें । 'ट्यूटोरियल क्लासों' के बारे में समस्या यह है कि अध्यापक-विद्यार्थी में उचित अनुपात होने चाहिए । शिक्षा का प्रचलन बढ़ने के कारण इसकी व्यवस्था करना सम्भव नहीं है ।

Shri Vishwa Nath Pa ndey : Taking into consideration the faulty old examination system whether the U.G.C. have recommended that the pass certificates should be given in to the students in proportion to their attendance in the classes ?

श्री मु० क० चागला : जी नहीं। मेरे विचार से उपस्थिति के बारेमें कोई सुझाव नहीं है। सुझाव यह था कि विद्यार्थियों को प्रवेश करते समय विश्वविद्यालयों को कठोरता से काम लेना चाहिए। एक कारण यह भी है कि अब हम विश्वविद्यालयों में ऐसे विद्यार्थी भी ले लेते हैं जो न तो विश्वविद्यालय की शिक्षा लेने के लिए तैयार होते हैं और न ही उनमें इतनी योग्यता है कि ऐसी शिक्षा ले सकें।

श्री दाजी : मन्त्री महोदय ने कहा है कि उप-कुलपतियों को दो या तीन सिफारिशें मान्य नहीं हैं। वह क्या हैं ?

श्री मु० क० चागला : वह हैं : पहली सिफारिश यह है कि स्कूल छोड़ने की परीक्षा में दो अतिरिक्त पर्चों को लागू किया जाये परन्तु इस सिफारिश को लागू करना सम्भव नहीं है। दूसरी सिफारिश यह है कि विविध परीक्षाओं में अंक देने की तथा मास्टर्स डिग्री लेने वाले उम्मीदवारों की श्रेणियां बनाने की वर्तमान पद्धति में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। तीसरी सिफारिश यह है कि परीक्षा परिणाम घोषित करने में विलम्ब सामान्यत: प्रशासनिक कमी के कारण नहीं होता।

Shri Yudhvir Singh : Regarding examination system, the hon. Minister said in reply to the question of Shri Azad, that his full reply requires 4-5 hours. I want to know whether the recommendation before him have been introduced even in a single smallest school or in a university or not ? If not, whether it is proposed to introduce them in the University with effect from the coming year ?

श्री मु० क० चागला : श्री भागवत झा आजाद का प्रश्न यह था कि क्या इन वर्षों में शिक्षा में कोई प्रगति हुई और क्या कुछ सुधार लाए गए हैं ? जिसके उत्तर में मेरा विनम्र निवेदन था कि यह सब बताने में कि हमने क्या किया है बहुत समय लग जाएगा। उस समय मैं विशेष रूपसे परीक्षाओं में सुधार की बात नहीं कर रहा था। जैसा मैंने पहले कहा है हमने सिफारिशें की हैं। अनुसन्धान चल रहा है। हमने यह सिफारिशें विश्वविद्यालयों को भेज दी हैं। उन्होंने यह सिफारिशें कार्यान्वित करना मान लिया है और वह इस बारे में कार्यवाही करने जा रहे हैं। परन्तु कई बातों पर विचार करना होता है। मेरे माननीय मित्र समझेंगे कि इनका अर्थ धन, कर्मचारी, प्रशासन में परिवर्तन आदि से है। इन सब बातों पर विचार में समय लगता है।

श्री कपूर सिंह: क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस सम्बन्ध में कुछ थोड़ी सी भी जानकारी है कि व्यक्ति की योग्यता परखने के अतिरिक्त तथा कथित परम्परागत परीक्षाओं के स्थान पर कोई अन्य परीक्षायें लागू नहीं की जा सकतीं। यदि हां, तो अब तक की गई सिफारिशों के बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री मु० क० चागला : सिफारिश यह है कि व्यक्ति की योग्यता परखने के अंकों में 14 अंकों का अन्तर हो सकता है। अंक चाहे कम हों अथवा ज्यादा हों। इसलिये व्यक्ति की योग्यता परखने के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव दिया गया है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या परीक्षा प्रणाली की त्रुटियों के अतिरिक्त, माननीय मन्त्री महोदय को यह बताया गया है कि कल से उत्तर प्रदेश में पुलिस के सब इंस्पैक्टर्स तथा इंस्पैक्टर्स परीक्षाओं की निगरानी का काम करेंगे ? यदि हां, तो सरकार इस बात के लिए क्या कदम उठा रही है कि निगरानी का काम अध्यापक ही करें।

श्री मु० क० चागला : मेरे विचार में यह संगत प्रश्न नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संगत नहीं है ।

श्री दाजी : हम जानना चाहते हैं कि अच्छे परिणामों के लिए क्या यह नई प्रणाली है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका नई प्रणाली से सम्बन्ध नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इसी प्रश्न से सम्बन्धित है ।

श्री मुथिया : क्या विश्वविद्यालय की अन्तिम परीक्षा में प्राप्त अंकों के साथ-साथ विद्यार्थियों के कक्षा के रिकार्ड पर भी विचार किया जायेगा ?

श्री मु० क० चागला : जी, हां । यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश है ।

Higher Education as Concurrent Subject

*360. + **Shri Jagdev Singh Siddhanti :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Surendra Pal Singh :
Shri J. B. Singh :
Shrimati Renu Chakravartty :
Shri P.R. Chakraverti :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri K.C. Pant :
Shri Bishwanath Roy :
Dr. L. M. Singhvi :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwari :
Shri J.B.S. Bist :
Shri R.S. Pandey :
Shri Rameshwar Tantia :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Yashpal Singh :
Shrimati Renuka Barkataki :
Shri D.N. Tiwary :
Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Dhuleshwar Meena :
Sari Ravindra Varma :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether some suggestions have been received from the State Governments or other institutions that educationupto University level should be taken over by the Central Government ?

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) whether some other suggestions are also under consideration with a view to bringing about uniformity in education ?

The Minister of Education (Shri M.C. Chagla) : (a) No suggestion in this regard has been received either from the State Governments or from any educational institution. However, some Teachers Associations have sent such suggestions.

(b) The State Governments have been requested to give their views on the recommendation of the Sapru Committee that University and higher education should be transferred from the State List to the Concurrent List.

(c) No, Sir.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : To give uniform character to higher education throughout the country a language, which is understood everywhere, is needed. May I know whether arrangements will be made for that language being taught in all the universities of India ?

श्री मु० क० चागला : जी हां । मैं सदा ही एक सम्पर्क भाषा के पक्ष में रहा हूं । मैं सदा ही चाहता हूं कि भाषा से देश की एकता बढ़े । इस समय, ऐसी प्रवृत्ति है कि विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक भाषायें हों । मुझे आशा और विश्वास है कि वे विश्वविद्यालय भी हिन्दी तथा अंग्रेजी पढ़ायेंगे ताकि विभिन्न विश्वविद्यालयों में सम्पर्क बना रहे ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : It is a recognised fact that English is not the language of any of our states. That means that, according to you, Hindi is the only language which should be taught in every university to bring about the uniformity. Whether you are also of this opinion.

Mr. Speaker : It has been answered.

श्री मु० क० चागला : मुझे आशा और विश्वास है कि भारत के प्रत्येक विश्वविद्यालय में हिन्दी पढ़ाई जायेगी जबकि अन्ततः शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा रहेगी ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह: हमारा विचार है कि केन्द्रीय सरकार विश्वविद्यालय की शिक्षा को अपने पूर्ण नियन्त्रण में लाने के पक्ष में है । केवल विश्वविद्यालय की शिक्षा को अपने हाथ में लेकर तथा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को राज्य सरकारों के हाथ में छोड़ कर क्या सरकार विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के अपने उद्देश्य में सफल हो जायेगी ?

श्री मु० क० चागला : इस समय हमारे लिये इतना करना ही पर्याप्त है । यदि मैं राज्य सरकारों को उच्चतर शिक्षा के लिए तैयार कर सका तो प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के प्रश्न पर बाद में विचार किया जा सकता है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात की दृष्टि से कि केन्द्रीय सरकार इस बात पर आग्रह करती रही है कि समूचे भारत में शिक्षा की प्रणाली समान होनी चाहिये परन्तु वह उसे प्रारम्भिक तथा माध्यमिक स्तर पर लागू नहीं कर सकी है तथा इस दृष्टि से भी कि अध्यापकों के लिए वेतनक्रम और सेवा की शर्तें समान होनी चाहिएं । सरकार उन योजनाओं को लागू करने के लिए तथा सारे भारत में एक प्रकार की समानता लाने के लिये बातचीत के अतिरिक्त और कौन से उपाय कर रही है ?

श्री मु० क० चागला : इस के लिए दो तीन व्यवस्थायें हैं । हम शीघ्र ही भारतीय शिक्षा सेवा आरंभ कर रहे हैं और मुझे आशा है कि शीघ्र ही मेरे माननीय मित्र, गृह-कार्य मंत्री भारतीय शिक्षा

सेवा आरंभ करने के लिए राज्य सभा में एक संकल्प प्रस्तुत करेंगे। विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठकें भी होती हैं और उन सम्मेलनों में मैत्रीपूर्ण वातावरण होता है और वहां एकमत से निर्णय किये जाते हैं। इस के अतिरिक्त केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार समिति की बैठक भी होती है और उसमें भी सभी शिक्षा मंत्री सम्मिलित होते हैं इस प्रकार विभिन्न प्रकार की व्यवस्था है जिन के द्वारा हम शिक्षा सम्बन्धी नीतियों में तालमेल रखने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने गुजरात के मुख्य मंत्री के इस विचार की जांच की है कि इतिहास द्वारा उपेक्षित कार्यक्रम पर चलना आत्म-हत्या के समान होगा? इस सम्बन्ध में उन्होंने मौर्य तथा मुगल काल का उदाहरण दिया है।

श्री मु० क० चागला : मैंने गुजरात के मुख्य मंत्री के विचार पढ़े हैं। इस से केवल यही पता लगता है कि अधिकांश राज्य उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाने के पक्ष में नहीं हैं। अभी तक पंजाब ही ऐसा एकमात्र राज्य है जिसने यह बात मानी है और मैं इसकी सराहना करता हूं।

श्रीमती सावित्री निगम : यदि मुझे ठीक याद है तो पिछले कईमहीनों से इस प्रश्न का उत्तर ही दिया जा रहा है कि जब तक हमें राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया मालम न हो, कोई अन्तिम कार्य-वाही नहीं की जा सकती। क्या कारण है कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर उचित रूप से विचार नहीं किया गया है और शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है?

श्री मु० क० चागला : संविधान के अधीन हम सूची में तब तक परिवर्तन नहीं कर सकते जब तक कि अधिकांश राज्य इसका अनुसमर्थन न करे। मैंने पहले भी यह आश्वासन दिया है और इसे फिर दोहराता हूं कि जैसे ही अधिकांश राज्य इस विचार से सहमत हो जायेंगे, मैं संविधान में संशोधन का प्रयत्न करूंगा।

Shri Siddheshwar Prasad: The hon. Minister of Education had told this House that the education ministers of the State Governments had agreed to find out a solution to the problem of higher education. What is the cause of delay even under such conditions.

श्री मु० क० चागला : मैंने सप्रू समिति की सफिारिशें सभी राज्य सरकारों को भेज दी हैं। मुझे तीन राज्यों के उत्तर मिले हैं जो सभी नकारात्मक हैं। एकमात्र स्वीकारात्मक उत्तर पंजाब से मिला है और वह मौखिक उत्तर है।

श्री कु० चं० पन्त : माननीय मंत्री ने बताया है कि शिक्षा मंत्रियों की बैठक में, जिसमें उच्च शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है, मैत्रीपूर्ण वातावरण रहता है और निर्णय एकमत से किये जाते हैं। यदि यह बात है तो क्या कारण है कि केन्द्रीय सरकार यह अनुभव करती है कि यह प्रबन्ध संतोषजनक नहीं है और उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाना आवश्यक है?

श्री मु० क० चागला : उच्च शिक्षा का स्तर बनाये रखना बहुत कठिन है जब तक कि इसे केन्द्रीय विषय न बनाया जाये दूसरी कठिनाई यह है कि राज्य इस स्थिति में नहीं हैं कि विश्वविद्यालयों के लिये वित्तीय व्यवस्था कर सकें क्योंकि उन के सभी संसाधन प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा पर केंद्रित होते हैं। यदि उच्च शिक्षा को समवर्ती विषय बना दिया जाये तो विश्वविद्यालयों की देख-भाल की जिम्मेवारी हमारी होगी।

श्री विश्वनाथ राय : बढ़ रहे प्रान्तवाद तथा स्थानीय हितों को महत्व देने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार कोई कदम उठाने का विचार कर रही है जिस से न केवल स्तर ही एक जैसा होगा अपितु राष्ट्रीय एकता भी हो जायेगी ।

श्री मु० क० चागला : जी हां; यह सुनिश्चित करने के लिये हम कदम उठायेंगे कि शिक्षा से एकता हो । मैं समझता हूं कि इस देश में शिक्षा का यही मुख्य उद्देश्य हैं ।

Shri Bibhuti Mishra : The hon. Minister just now said that except Punjab no other state has sent its views so far. May I know the reasons furnished by the States who do not want to hand over the control of higher education to the Centre and what did the Central Government ask them which has created doubts in their minds ?

श्री मु० क० चागला : मैं यह बताना नहीं चाहता कि मुझे किन बातों पर शक है; परन्तु, जहां तक मैं जानता हूं, जिन तीन राज्यों से, अर्थात् मैसूर, महाराष्ट्र और गुजरात, हमें अभी तक उत्तर प्राप्त हुए हैं उन्होंने कोई विशिष्ट कारण नहीं बताये हैं। उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि वे इस पक्ष में नहीं हैं कि वर्तमान संवैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन किया जाये ।

Shri K. N. Tiwary : In view of the fact that the Central Government is desirous to make higher education a Central subject, do the Central Government propose to bring forward a bill to amend the Constitution ?

श्री मु० क० चागला : मैं ने संवैधानिक स्थिति बता दी है कि जब तक अधिकांश राज्य संविधान में संशोधन का अनुसमर्थन नहीं करेंगे तब तक उस में संशोधन नहीं किया जा सकता ।

Shri Bhagwat Jha Azad : The fact that despite so much efforts on the part of the Central Government and Education Minister only three States have conveyed their views. Whether it is not clear by this attitude that various States do not want to make higher education concurrent subject ? If that is so, why the Central Government is so much desirous to have this under her control ?

श्री मु० क० चागला :मैं जानता हूं कि राज्य इसके विरुद्ध हैं यह मैं ने बता दिया है । राज्य इससे सहमत नहीं होंगे तो हम इस विषय को अपने नियंत्रण में नहीं लेंगे ।

Shri Yashpal Singh Why the Government is taking so much time and not deciding this question either this way or that way ? The Central Government should either take over the entire education upto the University standard or should fix a date by which uniform Curriculum should be enforced in the Universities of all the States. How far is this attitude of inaction justified on the part of the Government ?

Shri M.C. Chagla : The same Curriculum cannot be imposed in all the Universities because this is a State subject according to the Constitution. Therefore unless the higher education be made a concurrent subject, it cannot be done. Under item 66 we can do something and that is being done by the University Grants Commission. Beyond that we are not authorised to do anything under the Constitution and to dictate to the States.

श्री ही० ना० मुकर्जी : यह देखते हुए कि माननीय मंत्री उच्च शिक्षा को एक समवर्ती विषय बनाना अधिक अच्छा समझते हैं, क्या हम यह समझें कि विश्व विद्यालय अनुदान आयोग जिस उद्देश्य से स्थापित किया गया था वह उसमें असफल रहा है, अर्थात्, शिक्षा के स्तर में सुधार करने और विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्राप्त किये गये स्तरों में समन्वय लाने में वह असफल रहा है ?

श्री मु० क० चागला : जी नहीं; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिये ऐसी बात कहना बहुत अनुचित है। उस आयोग ने बहुत काम किया है। संविधान की सीमाओं के भीतर उन्होंने काफी काम किया है। मेरे माननीय मित्र संघ सूची के 66 वें पद को, अर्थात् स्तर और समनव्य, के बारे मे जानते हैं और कि जहां तक उन्हें शक्तियां प्राप्त हैं उन्होंने उच्चतम स्तर बनाये रखने में सहायता दी है।

श्री ही० ना० मुकजी : श्रीमान्, मुझे उत्तर नहीं मिला है। मंत्री महोदय कहते हैं कि वह चाहते हैं कि वह एक समवर्ती विषय हो और हम ने जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम पारित किया था उसका उद्देश्य उसी विषय को प्राप्त करना था जिसको वह एक समवर्ती विषय चाहते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अच्छे कार्य को देखते हुए माननीय मंत्री इसको समवर्ती विषय बनाने के लिये अब भी अपनी इच्छा क्यों प्रकट कर रहे हैं जब कि राज्यों को यह बात पसन्द नहीं है ?

श्री मु० क० चागल : मेरे माननीय मित्र संविधान के एक अच्छे विद्यार्थी हैं। उनको यह पता है कि संघ सूची के 66वें पद और राज्य सूची के उस पद में क्या अन्तर है जिसमें विश्वविद्यालय शिक्षा को एक राज्य विषय बनाया गया है . . . . (अन्तर्बाधाएं)।

श्री हेम बरुआ : क्या माननीय मंत्री का इस से जानकारी हैं कि माननीय मंत्री ने जबसे उच्चत्तर शिक्षा को एक समवर्ती विषय बनाने के प्रश्न को लोकमत जानने के लिये उठाया है, राज्य सरकारों ने इसका कड़ा विरोध किया है, यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने अपने विरोध में कोई तर्क दिये हैं; यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी जांच की हैं, यदि हां, तो सरकार किस नतीजे पर पहुंची है ?

श्री मु० क० चागला : मैं समझता हूं कि मैं ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है . . (अन्तर्बाधा)।

श्री रंगा : इस को देखते हुए कि अधिकांश मंत्रालयों में भी केन्द्रीय सरकार ने शक्तियां ली हैं या तो उनका उचित उपयोग नहीं किया गया है या दुरुपयोग किया गया है अथवा पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया है, सरकार इस विषय को एक समवर्ती विषय बनाने पर क्यों हठ कर रही है जब कि राज्य सरकारें इसका विरोध कर रही हैं ?

श्री मु० क० चागला : मैं हठ का शब्द उपयोग नहीं करूंगा मैं तो मनाने का शब्द प्रयोग करना चाहता हूं। इसका कारण यह है कि यदि हम उच्चतर शिक्षा के लिये एक राष्ट्रीय नीति चाहते हैं तो वह नीति केन्द्र द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती है। मेरे माननीय मित्र यदि सप्रू समिति के प्रतिवेदन को पढ़ें तो उनको कारणों का पता लग जायेगा।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि उच्चतर शिक्षा को एक समवर्ती विषय बनाने के फायदे राज्य सरकारों को पूर्णतया नहीं बताये गये हैं और इसलिए उन्होंने मंत्री के सुझाव पर सहमति प्रकट नहीं की है ? क्या उनको बताने के लिये इस दिशा में कुछ किया जायेगा कि उसके क्या फायदे होंगे ?

श्री मु० क० चागला : प्रत्येक दिन मैं मुख्य मंत्रियों और राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को उच्चतर शिक्षा को एक समवर्ती विषय बनाने का महत्व बताता रहा हूं। परन्तु मेरे माननीय मित्र के कहने पर अब मैं ऐसा करता रहूंगा और मुझे आशा है कि एक दिन हमको सफलता मिलेगी।

श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या किसी राज्य सरकार ने यह पूछा है कि इस विषय को समवर्ती सूची में शामिल करने के बाद उच्चतर शिक्षा के उपबन्ध के लिये बढ़ी हुई वित्तीय जिम्मेवारी केन्द्र की होगी ?

श्री मु० क० चागला : यदि उच्चतर शिक्षा को समवर्ती विषय बना दिया जाता है तो हमें वित्तीय जिम्मेवारी का भी कुछ भाग अपने ऊपर लेना होगा जो आजकल राज्यों पर पड़ता है।

श्री मान सिंह पु० पटेल : माननीय मंत्री यह कहा कि उच्चतर शिक्षा के स्तरों को केवल तबही बनाये रखा जा सकता है जब कि यह एक समवर्ती विषय हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किए गए अच्छे कार्य के पश्चात भी मंत्री महोदय ने ऐसा करने की जरूरत क्यों महसूस की।

श्री मु० क० चागला : इस प्रश्न का उत्तर मैं कई बार दे चुका हूँ। यदि यह समवर्ती सूची में हो तो हम इस संबंध में और भी काम कर सकते हैं।

Shri Nath Pai: Do the Government of India not think it proper to make the Education a Concurrent subject in view of the danger that has arisen to the integrity of India and the falling standards of education ?

श्री मु० क० चागला : में इससे पूर्णतया सहमत हूं।

विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त वैज्ञानिक

*361. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री ज० ब० सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से उच्च-अर्हता-प्राप्त विदेशों में प्रशिक्षित वैज्ञानिक इस समय नियमित नौकरी में नहीं लगे हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन्हें नियमित नौकरी देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

शिक्षा मंत्री (**श्री मु० क० चागला**) : (क) नेशनल रजिस्टर में प्राप्त सूचना के अनुसार विदेशों में ऊंची योग्यता प्राप्त 500 प्रशिक्षत वैज्ञानिक, जो अभी नियमित नौकरी में नहीं लिए गए हैं, वैज्ञानिक-पूल के अधिकारियों के रूप में काम कर रहे हैं।

(ख) और (ग). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ख) और (ग). पूल के अधिकारियों को नियमित नौकरियों में लेना इन इन बातों पर निर्भर करता है :

(एक) व्यक्तिगत विशिष्टताओं के रिक्त पद ;

(दो) सामान्य भर्ती प्रक्रियाएं; और

(तीन) संबंधित वैज्ञानिकों के व्यक्तिगत अधिमान।

पूल के अधिकारियों को अनुसन्धान और अन्य संस्थानों तथा सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों की नियमित सेवाओं में लिये जाने के लिये कई कदम उठाये गये हैं :—

(एक) सरकारी विभागों और संगठनों में फालतू स्थान बनाये जाते हैं, जिनमें विदेशों में काम करने वाले और अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों में से जब भी उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध होते हैं, ले लिये जाते हैं;

(दो) गैर सरकारी संगठनों को, जहां एक वर्ष से अधिक से पूल के अधिकारी काम कर रहे हैं, यह सलाह दी गई है कि उपयुक्त मामलों में उनकी नियमित नौकरी के लिये वे फालतू पद बनायें ;

(तीन) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्, उपयुक्त प्रायोजना करने वाले निकायों की सिफारिश पर गैरसरकारी विभागों/संगठनों के मामले में, फालतू पदों का व्यय वहन करती है।

(चार) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की राष्ट्रीय पंजी विदेशों से आने वाले उच्च अर्हता प्राप्त कर्मचारियों को नौकरी दिलाने में सहायता देती है ;

(पांच) उच्च अर्हता प्राप्त कर्मचारियों का विशिष्ट विवरण मासिक पत्रिका 'टैक्नीकल मैनपावर बुलेटिन' में प्रकाशित किया जाता है जिसे भारत के लगभग 3000 संगठनों में मुफ्त बांटा जाता है ;

(छह) अर्हताओं अनुभव आदि के ब्योरों सहित पूल के अधिकारियों की वर्गीकृत सूचियां 'पूल डायरैक्टरी' के रूप में तैयार की जाती हैं और प्रकाशित की जाती हैं और सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों के अभिकरणों में बड़ी संख्या में बांटी जाती हैं ;

(सात) उपयुक्त अधिसूचित रिक्त स्थानों के लिये पूल अधिकारियों को निर्दिष्ट किया जाता है ;

(आठ) सेना चिकित्सा कोर और इंजीनियरी कोर में भर्ती के लिये दल के अधिकारियों के बारे में सिफारिश की जाती है ;

(नौ) पूल के अधिकारी अपनी इच्छा के पद के लिये प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस विवरण में सरकार के सभी अच्छे इरादों को दिया गया है। परन्तु ऐसा क्यों है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और अनेक अन्य प्रयोगशालाओं में एक बड़ी संख्या में अब भी स्थान रिक्त हैं और क्या यह सच नहीं है कि व्यक्तिगत द्वेष, कुनबा परस्ती और पक्षपात वैज्ञानिकों को नौकरियां दिलाने में बाधा डाल रहे हैं यद्यपि उनको काफी अनुभव है और वे विशेषज्ञ हैं ?

श्री मु० क० चागला : माननीय सदस्या की बात सच नहीं है। यह कारण नहीं है। पहले तो यह बात गलत है कि बहुत से पद खाली हैं। दूसरे, जो पद खाली हैं उनका व्यक्तिगत द्वेष और कुनबापरस्ती से कोई संबंध नहीं है। इसका कारण यह है कि अधिकांश प्रयोगशालाओं को विशेष अर्हताओं वाले व्यक्ति चाहिये। यदि हमें वे भारत में कहीं भी मिल सकते हैं तो हम उनको लेने के लिये तैयार हैं। उनका मिलना बड़ा कठिन है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह देखते हुए कि छोटी आयु के अधिकांश में वैज्ञानिक यह अनुभव करते हैं कि अनुसन्धान कार्य में उनकी योग्यता उपयोग करने के लिये यहां गुंजाइश नहीं है और यह कि उनसे वरिष्ठ व्यक्ति उनके रास्ते में आते हैं और चोटी के पद सामान्यतः कई वर्षों तक नहीं भरे जाते हैं, क्या सरकार इस सारे मामले की छानबीन कर रही है ?

श्री मु० क० चागला : छोटी आयु के वैज्ञानिकों की इस धारणा को दूर करने के लिये हम ने कई कदम उठाये हैं। उदाहरणार्थ हम ने, उपनिदेशकों, सह निदेशकों आदि के पदों को समाप्त कर दिया है ताकि हमारी प्रयोगशालाओं में कई प्रकार के पद न हों। हम चाहते हैं कि हमारे छोटी आयु के वैज्ञानिक यह महसूस करें कि वे चाहे किसी भी प्रयोजना में काम कर रहे हों और चाहे वे कितने भी कनिष्ठ क्यों न हों विज्ञान में उनका उतना ही अंशदान है जितना कि वरिष्ठ वैज्ञानिकों का।

Shri Bibhuti Mishra : Late Pandit Jawahar Lal Nehru had said in this House that the works and theories of the Scientists that are working here have become out dated, because many new researches and inventions have been made in foreign countries. Whether it is not a fact that the Scientists returning from abroad are not treated accordingly and therefore they prefer to go to foreign countries ?

श्री मु० क० चागला विदेशों से अधिकाधिक भारतीय वैज्ञानिक भारत वापस आना चाहते हैं और अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। हां, प्रत्येक समुदाय में कुछ गद्दार होते हैं जो अमरीका में ठहरना चाहते हैं क्योंकि उनको अच्छा वेतन मिलता है, परन्तु मैं आश्वासन देता हूं कि जब से मैं मंत्री बना हूं, मुझे अनेक ऐसे मामलों का पता लगा है जिनमें छोटी आयु के वैज्ञानिकों ने अमरीका में बड़े वेतन की नौकरियों को ठुकरा दिया है और भारत में थोड़े वेतन पर काम करने के लिये देश में वापस आ गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : फिर भी ऐसी धारणा है।

श्री मु० क० चागला : हम इस धारण को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का पूल उसी प्रयोजन के लिये बनाया गया है ताकि विदेशी अर्हता प्राप्त प्रत्येक वैज्ञानिक भारत में आ सके और उसे इस पूल में रखा जा सके; वहां उसको वेतन मिलेगा और भारत में किसी न किसी संस्था में हम उसे नौकरी दिलाने का प्रयत्न करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : हमें इस धारणा को दूर करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। मैं विदेशों में गया हूं और वहां मुझ से इन वैज्ञानिकों ने यही शिकायत की है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस धारणा को दूर करने के लिए कुछ कदम उठाये ही जाने चाहिए।

श्री मु० क० चागला : मैं भरसक प्रयत्न करूंगा।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : तकनीकी व्यक्तियों को नौकरी देने के लिए क्या सरकार वैज्ञानिक संस्थाओं को फालतू पद बनाने का अधिकार देना चाहती है ?

श्री मु० क० चागला : अब योजना यह है कि यदि कोई वैज्ञानिक भूल में, बिना किसी और नौकरी पर लगे, एक वर्ष तक रह चुका है तो किसी विश्वविद्यालय अथवा प्रयोगशाला अथवा अन्य किसी संस्था में एक फालतू पद बनाया जाना चाहिये।

Shri K. D. Malaviya : Is it not the time when the Education Ministry should review the whole situation and take effective steps to generate the spirit

of self-reliance in young scientists in view of the fact that qualified scientists are not available and that foreign qualified scientists are returning to foreign countries as they are dissatisfied by the treatment given to them ?

श्री मु० क० चागला : इस सलाह के लिए मैं अपने माननीय मित्र का आभारी हूं । मैं इसी सलाह के अनुसार काम कर रहा हूं ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : विदेशों से जो अच्छी अर्हता लेकर वैज्ञानिक आते हैं उनको राष्ट्रीय पंजी में रखने अथवा वैज्ञानिक पूल में रखने से पूर्व क्या कोई जांच करने का तरीका है?

श्री मु० क० चागला : हमें लोक सेवा आयोग के द्वारा काम करना होता है । नाम दिये जाते हैं, और फिर यह आयोग इस बात पर सहमत हो जाता है कि कितने वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक पूल में रखना चाहिये । मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि वैज्ञानिकों को भरती करने के बारे में लोक सेवा आयोग के सदस्यों को विदेशों में भेजना पड़ता है, इस के बारे में कोई सुधार हो । मुझे बताया गया है कि कुछ कठिनाइयां हैं और मेरे माननीय मित्र गृह मंत्री ने वायदा किया है कि वह मामले की जांच करेंगे और जो संभव होगा करेंगे ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि विदेशों में हमारे वज्ञानिकों ने भारत न आने का जो फैसला किया है उसका कारण यह नहीं है कि उनको यहां उससे कम वेतन मिलता है अपितु यह है कि इस देश में अनुसन्धान कार्य के लिये उनको उचित वातावरण नहीं मिलता . . . .

श्री शिकरे : अधिकारियों का अधिक हस्तक्षेप होता है ।

श्री हेम बरुआ : जैसा कि मेरे माननीय मित्र बता रहे हैं कि ऊपर के अधिकारी उनके काम में बहुत अधिक हस्तक्षेप करते हैं । क्या सरकार ने उनकी इस शिकायत पर विचार किया है और इसको दूर करने के लिये कोई कदम उठाया है ?

श्री मु० क० चागला : जी हां । हम ने जो कदम उठाये हैं वे ये हैं : अधिक पदों को समाप्त करना, प्रयोगशालाओं और परियोजना दलों को स्वायत्तता देना, ऊपर से कम हस्तक्षेप । ठीक वातावरण पैदा करने के लिये सभी कुछ किया जा रहा है ।

श्री हेम बरुआ : वह कहते हैं 'कम हस्तक्षेप' । इसका अर्थ तो यह है कि हस्तक्षेप किया जाता है । वह बहुत अधिक है अथवा नहीं ?

श्री मु० क० चागला : कुछ न कुछ हस्तक्षेप तो होगा ही । इससे तो नहीं बचा सकता ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : यह देखते हुए कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और इसी प्रकार की संस्थाओं के अतिरिक्त सरकार की कई प्रकार की परियोजनाएं हैं, विदेशों में प्रशिक्षित और उच्च अर्हता प्राप्त वैज्ञानिकों की बड़ी संख्या बेरोजगार है और उन्हें कुछ पदों पर नहीं लिया जा सकता है ?

श्री मु० क० चागला : कारण यह है कि उनमें से कुछ खास पद चाहते हैं । वे केवल उन्हीं खास पदों के लिये उपयुक्त हैं और हो सकता है वे पद उपलब्ध न हों। वे अन्य संस्थाओं में जाने के लिये तैयार नहीं हैं । इसलिए हमेशा उच्च अर्हता प्राप्त व्यक्तियों का मिलना और उनके लिये उसी समय उपयुक्त पदों का होना आसान नहीं है । जब दोनों प्रकार के पद मिलते हैं तो कोई कठिनाई नहीं होती ।

श्री हेम बरुआ : हमेशा ऐसा नहीं होता है।

दिल्ली में गांधीजी और नेताजी की मूर्तियां

+
*362. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री भागवत झा आजाद :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हेडा :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री सूर्य प्रसाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 23 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 635 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में महात्मा गांधी तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मूर्तियां लगाने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब तथा कहां (ठीक-ठीक स्थान) ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया है।

विवरण

सरकार ने बहुत पहिले सन् 1956 में ही निश्चय किया था कि उनकी अनुमति के बिना राजधानी में कोई मूर्ति न लगाई जाये। मूर्तियां लगाने के बारे में गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रस्तावों पर तभी विचार किया जाता है जब कि वह संस्था उस मूर्ति की पूरी लागत, जिसमें उसकी चौकी की लागत और उसके लगाने का खर्च भी शामिल है, देने को तैयार हो। ऐसे प्रस्ताव एक समिति को, जिसके अध्यक्ष मुख्य-आयुक्त हैं, भेजे जाते हैं। इस मामले के बारे में संसद् के पिछले अधिवेशन में प्रश्न पूछे गये थे। सरकार ने इस मामले पर आगे विचार किया है।

2. गांधी जी की एक मूर्ति कम्पनी बाग में पुराने दिल्ली के रेलवे स्टेशन और चांदनी चौक के बीच में पहिले ही है। यह अच्छा रहेगा कि राष्ट्र-पिता की एक दूसरी मूर्ति किसी प्रमुख स्थान पर लगाई जाये।

3. सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की है। उस समिति में संसद्-सदस्य होंगे और दूसरे गैर-सरकारी व्यक्ति भी हो सकते हैं।

4. स्पष्टतया ऐसी मूर्तियों की लागत के लिये गैर-सरकारी चंदा होना वांछनीय है क्योंकि इससे पता लगता है कि लोग उन राष्ट्रीय नेताओं की, जिनकी राजधानी में मूर्तियां लगाने का निश्चय किया गया हो, देश के लिये की गई सेवाओं की प्रशंसा करते हैं। यह आशा की जाती है कि ऐसे चंदों का दान उदारता से किया जायेगा। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, वह हर प्रकार की सहायता देगी। परन्तु कुछ मामलों में, जैसे कि गांधी जी की एक दूसरी मूर्ति किसी प्रमुख स्थान पर लगाने के बारे में, पर्याप्त धन के इकट्ठा होने तक निर्णयों में देरी करना शायद ठीक न हो।

5. यह आवश्यक है कि कोई भी मूर्ति जिसमें उच्चतम कलात्मक गुण न हों, नहीं लगाई जाये।

6. सरकार ने जिस समिति को नियुक्त करने का निर्णय किया है वह किन स्थानों पर मूर्तियां लगाई जाएं सहित इन सभी पहलुओं पर विचार करेगी और सरकार को सलाह देगी। इस समिति के गठन और संबंधित मामलों के बारे में जल्दी ही घोषणा की जायेगी।

श्री हरि विष्णु कामत : सभा विवरण के उस भाग का स्वागत करती है जिस में यह बताया गया है कि सरकार राजधानी में किसी स्थान पर महात्मा गांधी की दूसरी मूर्ति स्थापित करने में देर नहीं करेगी। विवरण के एक अन्य भाग में यह बताया गया है कि :

> "सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है। उस समिति में संसद् सदस्य होंगे और दूसरे गैर-सरकारी व्यक्ति भी हो सकते हैं"

क्या मंत्री जी यह स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि उस समिति में केवल कांग्रस दल के ही सदस्य नहीं होंगे और कि उस समिति में संसद् के सभी दलों और गुटों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जायेगा।

श्री नन्दा : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि हम सभा के सभी वर्गों का पूरा सहयोग और प्रतिनिधित्व चाहते हैं और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि बाहर से भी अन्य व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त हो।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि सरकार पहले कई अवसरों पर सरकारी भवनों, मकानों तथा स्थानों पर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मूर्तियों, चित्रों और छायाचित्रों को लगाने से मना करती रही है? क्या इसी कारण से विवरण में उनका उल्लेख नहीं है जबकि प्रश्न में महात्मा गांधी के साथ नेताजी का विशेष प्रकार से उल्लेख किया गया है? क्या इस का यही कारण है कि सरकार राजधानी में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मूर्ति को स्थापित नहीं करना चाहती?

श्री नन्दा : यह तो एक उदाहरण था . . . . .

श्री हरि विष्णु कामत : मैं ने प्रश्न में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा महात्मा गांधी दोनों के नामों का उल्लेख किया है।

श्री नन्दा : यह उदाहरण के रूप में था। जब हम गांधी जी का नाम लेते हैं तो उस में कुछ विशेषता होती है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि दूसरा नाम जो माननीय सदस्य ने लिया है वह भी हमारे ध्यान में है और अतः . . . .

श्री रंगा : दूसरा नाम कौनसा है ? क्या माननीय मंत्री उस नाम को इतना बुरा समझते हैं कि उसे लेना भी नहीं चाहते ? क्या उच्च विचार हैं ?

श्री नन्दा : वहां राजेन्द्र प्रसाद का नाम है।

श्री रंगा : नेताजी। कृपया उसे कहिये।

श्री नन्दा : नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का नाम भी हमारे सम्मुख है और यह समिति उसके बारे में भी विचार करेगी।

यह समिति उसके बारे में भी विचार करेगी।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मेरे प्रश्न का पहला भाग यह था कि क्या सरकार पहले सरकारी भवनों, मकानों, स्थानों तथा कार्यालयों में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मूर्तियों, चित्रों और छायाचित्रों को लगाने से मना करती रही है।

श्री नन्दा : मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्हें यह जानकारी इकट्ठी कर के सभा को प्रस्तुत करनी चाहिए। वह प्रश्नों के उत्तर उचित रूप से नहीं देते हैं।

श्री कृ० ना० मुकर्जी : प्रश्न महात्मा गांधी तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मूर्तियों के बारे में है। उत्तर सभा पटल पर रखा गया है और जैसा श्री कामत ने आप को बताया कि उसमें नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का कोई उल्लेख नहीं किया गया। इस से स्पष्ट है कि वे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मूर्ति नहीं लगाना चाहते हैं। वे ऐसा कह सकते थे परन्तु ऐसा कहने का उन्हें हौसला नहीं पड़ा। क्या यह उनको अधिकार है कि प्रश्न के एक भाग का उत्तर दें और दूसरे भाग का उत्तर देने से मना करदें तथा इस प्रकार इस मामले में अपनी मनोवृति स्पष्ट करें ?

श्री हरि विष्णु कामत : उनकी विकृत मनोवृति, विकृत दृष्टिकोण, पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण।

श्री हेम बरुआ : इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश में ऐसी भावना है कि सरकार ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की ओर ध्यान देना तक बन्द कर दिया है। सरकार ने प्रश्न के उस भाग का उत्तर देने से मना कर दिया है। आप उस मंत्री के विरुद्ध क्या कार्यवाही करना चाहते हैं जो आपके तथा सभा के अधिकारों की अवेहलना करने का प्रयत्न कर रहा है ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : आप यह व्यवस्था दें कि सभी को पूरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि सदस्य मुझे ऐसा न करने दें तों मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री हेम बरुआ : हमने आप को ऐसा करने दिया है।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं, आपने ऐसा नहीं करने दिया है। मेरे कहने तथा निवेदन करने के बावजूद भी वह बोलते रहे।

श्री हेम बरुआ : जी, नहीं, हमने ऐसा नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : यह सरकार नेताजी से चिढ़ती है।

अध्यक्ष महोदय : यदि सरकार चिढ़ती है तो मैं क्या कर सकता हूं ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ।

श्री हरि विष्णु कामत : आप उनकी भर्त्सना कर सकते हैं, उन्हें डांट सकते हैं।

श्री हेम बरुआ : आप उन्हें धिक्कार सकते हैं, धमका सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कर सकता । ऐसा करना सभा का कार्य है।

Shri Bhagwat Jha Azad : It appears that as if only they love Netaji and we do not.

An hon. Member : Is there answer in it ?

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक होगा कि मैं बैठ जांऊं और प्रत्येक व्यक्ति को यह सब कहने दूं जो वे कहना चाहते हैं। मैं अब किसी को बोलने की आज्ञा नहीं दे रहा हूं। यदि सब बैठ जाय तो आगे कार्यवाही की जा सकती है।

Shri Bagri : I can be expelled. . . .

Mr. Speaker : Shri Bagri, what have you said ?

Shri Bagri : He said that I would be expelled. I said that Shri Mukerjee would not be expelled.

Mr. Speaker: It is upto you to be expelled or not. You try to be enpelled. My effort is this that not only you but nobody should be expelled. You try to force me to expel you.

यह एक उचित मांग है कि जब कोई प्रश्न स्पष्ट रूप से पूछा जाता है और उसमें दो नामों का उल्लेख किया जाता है, तो पूरा उत्तर दिया जाना चाहिये। मंत्री को इसका ध्यान रखना चाहिये। जब प्रश्न स्पष्ट होता है तो उत्तर भी स्पष्ट होना चाहिये।

श्री नन्दा : श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं क्योंकि इसमें व्यक्तिगत पहलू है। मैंने नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की स्मृति में 23 जनवरी को टिकट जारी की थी। हम उनकी स्मृति का कितना ध्यान रखते हैं, इस पर आपत्ति करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है. . . (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री हरि विष्णु कामत : परन्तु आप का विवरण यहां है . . .

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री स० मो० बनर्जी : हम ऐसी भावना सहन नहीं कर सकते । क्या देशभक्ति उनका ही एकाधिकार है !

श्री हरि विष्णु कामत : वे बहुत प्रतिवाद कर रहे हैं, उनको अपने आप शर्म आनी चाहिये। यह छलकपट के अलावा और कुछ नहीं।

श्री अ० प्र० शर्मा : अब आप उसका नाम लीजिये। (**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। अल्प सूचना प्रश्न।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने ऐसी बात कही है जो उन्हें नहीं कहनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यदि मेरे अधिकारों का आदर नहीं किया जायेगा तो यह सभा कार्य नहीं कर सकती ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मंत्री ने अध्यक्ष के निर्देश का उल्लंघन किया है।

अध्यक्ष महोदय : एक और सदस्य खड़े हो रहे हैं। मुझे सख्त कार्यवाही करनी पड़ेगी। यदि कोई व्यक्ति जिसने पहले कुछ नहीं किया पकड़ा जायेगा तो मेरे पर दोष लगाया जायेगा कि मैंने उससे कठोरता का व्यवहार किया है . . . (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री हेम बरुआ : कांग्रेस दल में से कोई व्यक्ति हम पर चिल्ला रहा है; निकल जाओ : श्रीमन् यदि आप चाहते हैं कि हम बाहर निकल जायं तो हम सौ बार बाहर निकल जाने को तैयार है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यही तरीका है जिसमें कार्यवाही की जाये।

श्री हेम बरुआ : वे इस प्रकार क्यों चिल्ला रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार चिल्लायेगा तो क्या उसका उत्तर मिल सकता है।

श्री हेम राज : उनसे वैसा ही व्यवहार करना चाहिये जैसा कि वे कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आश्चर्य है कि वरिष्ठ सदस्यों को भी इस सदन में इस प्रकार व्यवहार करना चाहिये।

श्री हेम बरुआ : हमें इस विषय में उत्तेजित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अल्प सूचना प्रश्न।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

'गीतांजलि' की पाण्डुलिपि

+

अ० सू० ० 1. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री हरि विष्णु कामत :
डा० रानेन सेन :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रवीन्द्रनाथ टैगोर की 'गीतांजलि' की पाण्डुलिपि के एक अमरीकी नागरिक के हाथ 1 लाख रुपये में बिक जाने की सम्भावना से उसके भारत से बाहर जाने की आशंका उत्पन्न हो गई है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस राष्ट्रीय निधि की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने का है कि ऐसी दुर्लभ पाण्डुलिपियां भारत में ही रहे, और यदि हां, तो किस प्रकार ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं। मौलिक पाण्डुलिपि अभी शांतिनिकेतन में है और उसके बाहर बेचे जाने की कोई आशंका नहीं है।

(ख) और (ग). प्राचीन वस्तुएं (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम में संशोधन द्वारा ऐसी राष्ट्रीय निधियों के निर्यात के रोकने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या सरकार का विचार टैगोर, भारतीय और अन्य विख्यात राष्ट्रीय कवियों की दुर्लभ पुस्तकों की मौलिक पाण्डुलिपियों तथा पहले संस्करणों को प्राप्त करने और उनको राष्ट्रीय संग्रहालय में अथवा टैगोर के सम्बन्ध में जोड़ासाकों में टैगोर विश्वविद्यालय के टैगोर संग्रहालय में रखने का है ?

श्री मु० क० चागला : मुझे पता लगा है कि टैगोर ने अपनी मौलिक पाण्डुलिपि डा० क्षिति मोहन को दी थी और वह उसके पुत्र के पास है। हम प्रयत्न करते रहे हैं कि वह उसे बेच दें परन्तु वह ऐसा करने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : अधिनियम में संशोधन करने के अतिरिक्त, जिसका उल्लेख अभी माननीय मंत्री ने किया है, सरकार यह गारंटी देने के लिये कौनसे अन्य कदम उठाना चाहती है कि ऐसी राष्ट्रीय निधियां भारत से बाहर नहीं जाने देंगे और उनको प्राप्त करने तथा उनको राष्ट्रीय संग्रहालय में रखने के सम्बन्ध में विशेष प्रयत्न करेंगे ?

श्री मु० क० चागला : सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह देखना है कि यह देश से बाहर न जाये। इस प्रयोजन के लिये हमें प्राचीन वस्तुएं अधिनियम में संशोधन करना है। राज्य सभा में जल्दी एक विधेयक पुरःस्थापित किया जायेगा। जब हम उसे बाहर जाने से रोक लेंगे तो तो हम निःसन्देह उसे अपने संग्रहालयों के लिये प्राप्त करने का हर सम्भव प्रयत्न करेंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : प्रश्न के भाग (ख), जिस में 'ऐसी दुर्लभ पाण्डुलिपियों' का उल्लेख है, के बारे में क्या मैं पूछ सकता हूं कि कितनी प्राचीन तथा आधुनिक पाण्डुलिपियां ब्रिटेन (ब्रिटेश संग्रहालय), जर्मनी और संयुक्त राज्य अमरीका में इसलिये चली गई हैं कि एक तो ऐसी दुर्लभ वस्तुओं के प्रति राष्ट्र उदासीन है दूसरे मुख्यतः सरकार किसी न किसी प्रकार से विदेशी मुद्रा अर्जित करना चाहती है ?

श्री मु० क० चागला : सरकार हमेशा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के विचार में नहीं लगी रहती है और यह भी नहीं चाहती कि ऐसी राष्ट्रीय निधियां बाहर न जायें। सरकार तो प्रत्येक राष्ट्रीय निधि को अपने देश में ही रखना चाहती है।

श्री मुहम्मद इलियास : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि यह मौलिक पाण्डुलिपि नहीं है और मौलिक पाण्डुलिपि शान्तिनिकेतन में है। यदि यह मौलिक पाण्डुलिपि नहीं है तो यह कौनसी है ? बंगाली समाचार पत्रों में यह समाचार मुख्य पृष्ठ पर छपा है कि यह "गीतांजलि" की पाण्डुलिपि है और एक विदेशी—अमरीकी उसे एक लाख अथवा 1,50,000 रुपये में खरीदने का प्रयत्न कर रहा है। क्या सरकार उसे भारत में रखना चाहती है ? (**अन्तर्बाधाएं**) यह बंगाली साहित्य निधि है .... (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री मु० क० चागला : डा० क्षिति मोहन के पास जो मौलिक पाण्डुलिपि है उसके अतिरिक्त, टैगोर ने पाण्डुलिपि की एक प्रति लिखी इंडियन पाब्लशिंग हाउस को एक पुस्तक छापने के लिये भी भेजी थी और वह पण्डुलिपि, जो मौलिक पाण्डुलिपि की एक प्रतिलिपि है, अब

श्री मोहन लाल गांगोली के पास है। हो सकता है कि एक अमरीकी रिसर्च स्कालर डा० बीक्लिंग जो यहां पर हैं, इस को खरीदने के लिये बातचीत कर रहे हैं, परन्तु हम प्रयत्न कर रहे हैं कि वह पाण्डुलिपि की इस प्रतिलिपि को भी न ले जा सके।

श्री ही० ना० मुकर्जी : ऐसी निधियों, पाण्डुलिपियों और अपने बड़े व्यक्तियों के अन्य अवशेषों को बाहर जाने से रोकने के लिये क्या सरकार के पास देश के विभिन्न भागों से ऐसी चीजों को प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रयत्न करने के लिये कोई निश्चित प्रस्ताव है जिससे विदेशी ऐसी चीजें न ले जा सके, जो वे ले जाना चाहते हैं?

श्री मु० क० चागला : हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वह व्यक्ति बेचने के लिये तैयार हो। जैसा मैंने बताया, शान्तिनिकेतन के उपकुलपति, पश्चिमी बंगाल सरकार और अन्य व्यक्तियों ने उस व्यक्ति को, जिसके पास यह पाण्डुलिपि है, उसे बेचने के लिये कहा परन्तु वह इंकार करता है।

डा० मा० श्री० अणे : क्या माननीय मंत्री लोकमान्य तिलक द्वारा लिखित मौलिक 'गीता रहस्य' की मौलिक पाण्डुलिपि को प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय संग्रहालय में रखने के लिये तैयार हैं जो किसी प्राभिलेखागार में पड़ी हुई है?

अध्यक्ष महोदय : यह एकदम दूसरी चीज है। परन्तु यदि माननीय मंत्री उत्तर देना चाहें तो दें सकते हैं।

श्री मु० क० चागला : लोकमान्य तिलक द्वारा लिखित किसी पाण्डुलिपि को प्राप्त करने तथा उसे संग्रहालय में रखने में मुझे हर्ष होगा।

श्रीमती रेणुका राय : क्या सरकार ऐसे मूल्यवान दस्तावेजों तथा लेखों को राष्ट्रीय सम्पत्तियों के रूप में प्राप्त करनें के अधिकार की व्यवस्था करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 31 में संशोधन करने के लिये तैयार है?

श्री मु० क० चागला : हम प्राचीन वस्तुएं अधिनियम में संशोधन करने जा रहे हैं। आशा है इससे काम चल जायेगा। परन्तु यदि इससे काम नहीं चलेगा तो हम और अधिक सख्त कार्यवाही करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गैर-मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थायें

*363. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **शिक्षा** मंत्री 2 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 323 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्थाओं को परीक्षा लेने या डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र देने से रोकने तथा प्रतिबन्धित करने के लिए एक आदर्श विधान तैयार करने का कार्य आरम्भ अथवा पूर्ण कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विधान की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) विषय विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Dues to N.D.M.C. from Embassies/Missions

*365 **Shri Bibhuti Mishra** :
Shri K. N. Tiwary :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a sum of Rs. 31 lakhs is due to New Delhi Municipal Committee from various Embassies/Missions on account of municipal charges ;

(b) if so, whether the New Delhi Municipal Committee has requested Government to help it realise this amount ;

(c) the names of Embassies/Missions from whom the said amount is due ; and

(d) the steps taken by Government in this behalf ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) to (d). No municipal charges including charges for water and electricity supplied are due to the New Delhi Municipal Committee from any Embassy/Mission. However, the New Delhi Municipal Committee consider that a sum of about Rs. 32 lakhs would have been due to them, had the properties of the Diplomatic Missions been subject to property tax like other private properties. Under an order of the Government, Diplomatic Missions are exempt from all national, regional or municipal dues and taxes in respect of the premises of the Missions, whether owned or leased, other than such as represent payment for specific services rendered. The Diplomatic Missions therefore pay charges for water and electricity supplied to them, but they do not pay any property tax on their properties.

कच्चे तेल की कीमत

*366 **श्री दे० द० पुरी** :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में काम कर रही कुछ बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियों ने भारत में अपने तेल साफ करने वाले कारखानों को दिये जाने वाले कच्चे तेल की कीमत में कटौती कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की आशा है ;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के तेल साफ करने वाले कारखानों में प्रयोग के लिए ऐसी कम्पनियों से कच्चे तेल की सप्लाई प्राप्त करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख) . जी हां। कच्चे तेल की कुछ किस्मों के मूल्य में थोड़ी सी कटौती के परिणामस्वरूप यह आशा की जाती है कि विदेशी मुद्रा में लगभग 42.57 लाख रुपये की वार्षिक बचत होगी।

(ग) और (घ). जी नहीं। सरकार के पास कच्चे तेल के लिए इन कम्पनियों द्वारा दिये गये मूल्यों से कम मूल्यों के प्रस्ताव (offer) प्राप्त हुए हैं।

बिहार-उत्तर प्रदेश सीमांकन

*367. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अ० प्र० शर्मा :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 16 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न 538 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमांकन करने के बारे में कब तक विधान पेश करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : आवश्यक विधान का प्रारूप तैयार किया जा रहा है और संविधान के अनुच्छेद 3 के परन्तुक के अनुसार बिहार तथा उत्तर प्रदेश के विधान मंडलों को भेजा जायेगा। उन विधान मंडलों के विचार प्राप्त हो चुकने के बाद, विधेयक को अंतिम रूप दिया जायेगा और संसद् में स्वीकृति के लिये पेश किया जायगा।

रोजगार पर निवास सम्बन्धी प्रतिबन्ध

368. **श्री दे० जी० नायक :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दाजी :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री वारियर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने अपने राज्य क्षेत्रों में उद्योगों में लोगों की नियुक्ति पर निवास सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगा रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा प्रतिबन्ध संविधान के विरुद्ध नहीं है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

वालकाट के विरुद्ध कार्यवाही

*369. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० स० तिवारी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 16 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न सख्या 1448 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस उद्देश्य से कोई और कार्यवाही की है कि वालकाट भारत में अपनी आपराधिक कार्यवाहियों के परिणाम भुगते ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) जांच के दौरान एकत्रित की गई सामग्री के आधार पर वालकाट तथा अन्य अपराधियों के खिलाफ प्रत्यर्पण कार्यवाही शुरू की जा रही है ।

Production of Fertilizers

370. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri D. N. Tiwary :
Shri Vishram Prasad :
Shri Bade :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri P. C. Borooah :
Shri Man Singh P. Patel :
Shri Ramachandra Ulaka :
Shri Dhuleshwar Meena :
Shri Jasvant Mehta :
Shri Himatsingka :
Shri Rameshwar Tantia :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 82 on the 9th September, 1964 and state :

(a) whether schemes for increasing the production of fertilizers have been finalised ; and

(b) if so, whether some new factories are likely to be started during this year ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan) (a) and (b). Yes, Sir. Establishment of two fertiliser factories one at Durgapur and the other at Goa have been approved. The Durgapur factory will be in the public sector and have a capacity of 125,000 tonnes in terms of Nitrogen and 108,500 tonnes in terms of phosphate (P_2O_5). The Goa fertiliser factory will be in the private sector and have a Capacity of 1,60,000 tonnes in terms of Nitrogen (N) and 80,000 tonnes in terms of phosphate (P_2O_5). Work on the Durgapur project has already started.

In addition, proposals received from M/s Bechtel Corporation and other foreign firms who have shown interest in the establishment of fertiliser factories are under consideration.

अन्दमान में इण्डोनेशियाइयों के घुस आने की सम्भावना

*371. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री हेम बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जनवरी, 1965 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित अन्दमान कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि द्वीपों में बसे हुए लोगों को इस बात की आशंका हो गई है कि कहीं वहां इन्डोनेशिया के लोग न घुस आयें ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार घुस आने को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख) सरकार ने अन्दमान कांग्रेस समिति के अध्यक्ष का वह वक्तव्य देखा है जिसकी रिपोर्ट 6 जनवरी, 1965 के स्टैट्समैन में छपी थी। यह आशंका निराधार प्रतीत होती है। इन द्वीपों की सुरक्षा के लिये उपयुक्त कदम उठाये जा रहे हैं।

दिल्ली में विस्फोट

*372. श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हेडा :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :
श्री बालकृष्ण सिंह :
श्री राज देव सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री दलजीत सिंह :
श्री श्यामलाल सराफ :
श्री चुनी लाल :
श्री हेम राज :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री सूर्य प्रसाद :
श्री रामपुरे :

गृह-कार्य मंत्री 9 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 442 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच राजधानी में विस्फोट की घटनाओं के समाचार मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या कोई अपराधी पकड़े गये हैं और उनको दंड दिया गया है ; और

(घ) ऐसे विस्फोटों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या विशेष उपाय किये गये हैं और उनसे कहां तक सफलता मिली है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां। आसफअली रोड पर 29 नवम्बर, 1964 के विस्फोट के बाद दिल्ली में पटाखों के विस्फोट की पांच और घटनाओं के समाचार मिले हैं।

(ख) से (घ). दो विवरण (i और ii) सदन के सभा-पटल पर रख दिये हैं?

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल टी—3954/65]

संविधान का अनुच्छेद 370

*373. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री बड़े :
श्री विश्वनाथ राय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री जसवंत मेहता :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम राज :
श्री अब्दुल गनी गोनी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री बाल्मीकी :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर राज्य का शेष भारत संघ के साथ पूर्ण एकीकरण करने के कार्य को बढ़ावा देने के लिये संविधान के अनुच्छेद 370 का निराकरण करने की आवश्यकता या वांछनीयता के बारे में उस राज्य के मुख्य मंत्री को बता दिया गया है या उनसे परामर्श कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अनुच्छेद 370 का निराकरण करने के प्रश्न के बारे में भारत सरकार के विचार श्री प्रकाशवीर शास्त्री के विधेयक के संबध में गृह-मंत्री ने सदन के सन्मुख 4 दिसम्बर, 1964 को स्पष्ट किये थे। इनके देखते हुए भारत सरकार के विचार में फिलहाल जम्मू तथा काश्मीर सरकार से कोई नया विचार विमर्श करना जरूरी नहीं है।

लाइसेन्स देन की प्रक्रिया

*374. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 2 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 313 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाइसेंस, परमिट तथा कोटा देने की वर्तमान प्रक्रिया में सुधार करने के बारे में सरकार को क्या-क्या सुझाव तथा प्रस्ताव मिले हैं तथा किन पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ;

(ख) इन सुझावों पर कौन सा अधिकरण, प्राधिकार या निकाय जांच कर रहा है तथा उन पर कब निर्णय किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या ऐसे विषयों पर सरकार को परामर्श देने के लिये ब्रिटेन में लाइसेंस न्यायाधिपतियों की भान्ति कोई अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकार स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): (क) जो सुझाव तथा प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं उनका सम्बन्ध निम्नलिखित से है :—

(i) लाइसेंस, परमिट और कोटा देने के लिये संयुक्तांग्ल राज्य के लाइसेंस न्यायाधिपतियों के समान अराजनीतिक स्वायत्त अथवा परिनियत मंडल या अर्द्ध-न्यायिक निकायों की स्थापना ; और

(ii) उनकी स्वीकृति के मामले में वाणिज्य संघों अथवा उनके प्रतिनिधियों को सम्बद्ध करना।

(ख) प्रशासनिक सुधार विभाग विभिन्न किस्मों के लाइसेंस और परमिट देने के कार्य का संचालन करने वाली वर्तमान प्रक्रिया के बारे में आवश्यक सूचनाएं एकत्रित कर रहा है ताकि इन सूचनाओं और ऊपर दिये गये सुझावों को देखते हुए वर्तमान प्रक्रिया में सुधार करने के प्रश्न की जांच की जा सके। पूरी सूचनाएं उपलब्ध होते ही, मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया जायगा।

(ग) जी, नहीं। जैसा कि ऊपर (क) भाग में सूचित किया गया है, इस बारे में सुझाव पर भी उचित समय पर विचार किया जायगा।

पृथक मिज़ो राज्य की मांग

*375. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रा० बरुआ :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :
श्री दे० जी० नायक :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामपुरे :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में हुए एक सम्मेलन में मिज़ो आदिम जाति के नेताओं ने मांग की है कि जिन क्षेत्रों में मिज़ो लोग बसे हुए हैं उनका एक प्रशासनिक यूनिट के रूप में एकीकरण करके 'मिज़ोराम' नाम से एक अलग राज्य बनाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि मिज़ो नेशनल यूनियन और मिज़ो नेशनल फ्रंट ने घोषणा की है कि यदि सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो वे सीधी कार्यवाही करेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) पता चला है कि मनीपुर और मिज़ो पहाड़ियों की जनजातियों का एक सर्व-दलीय सम्मेलन 15 से 18 जनवरी, 1965 तक मनीपुर में चूरा चांदपुर के निकट हुआ था। उस सम्मेलन में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ जिसमें यह मांग की गई थी कि जहां जहां मिज़ो जनजाति बसती है उन सभी क्षेत्रों को मिला कर एक अलग कुकी-मिज़ो राज्य बनाया जाय।

(ख) कतई अनुकूल नहीं।

(ग) अगस्त, 1964 में मिज़ो यूनियन ने यह फैसला किया था कि यदि भारत संघ के अंदर एक अलग मिज़ो राज्य बनाने की उसकी मांग स्वीकार नहीं की गई तो वह फरवरी 1965 में सीधी कार्यवाही करेगी। सूचना मिली है कि अब यूनियन ने अपने कार्यक्रम को अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया है। उनके इस कदम का समर्थन न तो मिज़ो राष्ट्रीय मोर्चे ने ही किया और न ही ज़िले के किसी अन्य राजनीतिक दल ने।

मद्य निषेध

*376. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री शं० ना० चतुर्वेदी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री दलजीत सिंह :
डा० श्री निवासन :
श्री परमशिवन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री उइक :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री दिणे :
श्री हेम राज :
श्री राधेलाल व्यास :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री मद्य-निषेध जांच समिति की रिपोर्ट के बारे में 2 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 315 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिपोर्ट पर आगे विचार किया गया है ;

(ख) क्या राज्य सरकारों की राय प्राप्त हो गई है ;

(ग) यदि हां, तो इनका सारांश क्या है ; और

(घ) मामला किस स्थिति में है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री हाथी): (क) और (घ). मद्य-निषेध जांच समिति की रिपोर्ट अभी तक विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). अभी तक केवल तीन राज्य सरकारों ने अपनी राय दी है और बाकी राज्यों के उत्तरों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

केन्द्रीय प्रशासनिक सेवायें

*377. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 16 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 209 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक सेवाओं में सुधार करने के विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसका परिणाम रहा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). मामला अभी तक विचाराधीन है ।

सम्पूर्णानन्द समिति की रिपोर्ट

*378. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मन्त्री 2 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 305 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति सम्बन्धी सम्पूर्णानन्द समिति की सिफारिशों पर पूर्णरूप से विचार कर लिया है और क्या उन्हें इस विषय पर शिक्षा आयोग की राय भी प्राप्त हो गई है ;

(ख) हमारी शिक्षा पद्धति को राष्ट्रीय रूप तथा नया अभिस्थापन देने के लिये अब तक क्या नये कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या रिपोर्ट में की गई प्रत्येक सिफारिश पर सरकार की राय अथवा प्रतिक्रिया दर्शाने वाला एक विवरण पटल पर रखा जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) से (ग). राष्ट्रीय एकता समिति की रिपोर्ट पर विचार किया रहा है। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट मार्च, 1966 तक प्राप्त होनी है, और उस रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के आधार पर पूरे मामले पर विचार किया जायेगा ।

केरल में परिचालित रहस्यमय दस्तावेज

* ७१. { श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान केरल में परिचालित उस दस्तावेज की ओर दिलाया गया है जिसमें विशेष लोक न्यायालयों (स्पेशल पुपुल्स कोर्टस) द्वारा उच्च अधिकारियों को खत्म करने की घोषणा की गई है ;

(ख) क्या इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों का पता लगाने के लिये कोई जांच पड़ताल की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उससे क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां

(ख) और (ग). जांच की जा रही है ।

भारत का गजेटियर

903. **श्री हेमराज** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के गजेटियर के कितने खण्ड अब तक पूरे तथा प्रकाशित किये जा चुके हैं और कितने अभी पूरे नहीं हुए हैं ; और

(ख) सभी खण्डों के कब तक तैयार होने की आशा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) भारत के गजेटियर के पहले खण्ड का कार्य पूरा हो चुका है और वह छप रहा है । वह लगभग अप्रैल, 1965 तक प्रकाशित हो जायेगा । दूसरे खण्ड का कार्य लगभग पूरा होने वाला है । खण्ड -3 और खण्ड-4 के लिए कुछ लेख भी प्राप्त हुए हैं ।

(ख) भारत के गजेटियर के सभी चार खण्डों के चौथी योजना की समाप्ति से पहले ही प्रकाशित होने की सम्भावना है ।

अहिन्दी भाषी राज्यों के लिये पुस्तकें

904. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पुस्तकों और उनके लेखकों के नाम, मूल्य तथा प्रतियों की संख्या क्या है जो 1963-64 में और 1964-65 में अब तक अहिन्दी-भाषी राज्यों के लोगों में वितरण के लिये खरीदी गयी; और

(ख) उन प्रकाशनों के नाम और उनके मूल्य क्या हैं जिनमें कानून, विज्ञान कला और ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली अंग्रेजी शब्दावली का रूपान्तर किया गया हो ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय लोकसभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) विधि में प्रयोग की जाने वाली अंग्रेजी शब्दावली के हिन्दी रूपान्तरण की जिम्मेदारी अब इस मंत्रालय की नहीं है । उसके लिए विधि मंत्रालय [राजभाषा (विधायी) आयोग] उत्तरदायी है ।

मंत्रालय ने अभी तक कोई प्रकाशन नहीं निकाला है । शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी शब्दावली के हिन्दी रूपान्तरों की समूल्य तथा मूल्य रहित प्रकाशनों की एक सम्पूर्ण सूची संलग्न है ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल टी—3955/65]

राजस्थान के स्कूलों में आडिटोरियम

905. **श्री घलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में राजस्थान में विभिन्न स्कूलों तथा कालेजों में आडिटोरियम के निर्माण के लिये केन्द्र ने कितनी राशि मंजूर की ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये 1965—66 में उस राज्य को कितनी धनराशि दिये जाने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) कुछ नहीं ।

(ख) राजस्थान के लिए स्वीकृत एक प्रायोजना की किस्त के रूप में 6000 रुपये देने बाकी हैं । इसका भुगतान, निर्धारित शर्तों के पूरा करने पर कर दिया जाएगा ।

कक्षाओं में दिखाई जाने वाली विज्ञान सम्बन्धी फिल्में

906. **श्री राम हरख यादव :**
श्री राम सेवक यादव :

क्या **शिक्षा** मन्त्री 16 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 675 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षकों और विद्यार्थियों के लाभ के लिये कक्षाओं में दिखाई जाने वाली विज्ञान सम्बन्धी फिल्मों के उत्पादन की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये अध्ययन दल की रिपोर्ट और सिफारिशें सरकार को उपलब्ध हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ।

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) विवरण संलग्न है, जिसमें मुख्य सिफारिशें दी गई हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी--3956/65]** रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है ।

मुस्लिम वक्फ

907. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान वक्फ आयुक्त के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि न्यायाश धारियों द्वारा मुस्लिम वक्फों से प्राप्त 90 प्रतिशत आय का गोलमाल किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो कारणों का पता लगाने के लिये क्या कोई जांच की गई है ; और

(ग) कानून को कड़ा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) से (ग). विस्तृत सर्वेक्षण के दौरान में वक्फ आयुक्त, राजस्थान को वक्फ सम्पत्तियों के दुरुपयोग और गोल-माल करने के बहुत उदाहरण मिले और इन मामलों को उन्होंने राज्य सरकार को सौंप दिया है । प्रशासन म सस्ती लाने और दुरुपयोग रोकने के लिए वक्तफ एक्ट 1954 को 1964 में फिर से संशोधन किया गया है ।

'वाम पक्षी' साम्यवादियों की गिरफ्तारी

908. **श्री प्रभात कार :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री ज० ब० सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री कोंल्ला वेंकैया
श्री म० ना० स्वामी :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वामपक्षी साम्यवादी दल के उन सदस्यों सदस्यों की राज्यवार संख्या क्या है जिन्हें भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत हाल ही में गिरफ्तार किया गया है ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी:--3957/65]**

दण्डकारण्य के कर्मचारियों पर आरोप

909. श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ल० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री दलजीत सिंह :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० बी० आई० ने दण्डकारण्य परियोजना के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं ;

(ग) उन पर जो आरोप लगाये गये हैं उनका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी) : (क) से (ग) केन्द्रीय जांच एजेन्सी, विशेष पुलिस विभाग, भुवनेश्वर ब्रांच ने पहली सूचना रिपोर्ट तैयार कर ली है। प्राप्त जानकारी के आधार पर कर्मचारियों के विरुद्ध खरीद तथा ठेकों आदि में कथित अनुचित लेन-देन के आरोप थे। दो पहले कर्मचारी अब नौकरी में नहीं हैं। एक को उसके पहले अनुभाग में प्रत्यावर्त्त कर दिया गया है और तीन अधिकारी दण्डकारण्य प्रशासन परियोजना के हैं। मामले अभी विचाराधीन हैं। चूंकि मामलों की अभी छान-बीन की जा रही है इसलिये इस अवस्था में किसी भी ब्यौरे को प्रकट करना उचित न होगा ।

(घ) कर्मचारियों के विरुद्ध जो कार्यवाही की जायेगी, इस प्रश्न पर छान-बीन का परिणाम प्राप्त होने पर ही विचार किया जायेगा ।

प्रोटीन की टिकिया

910. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग ने सांवार सदृश अलग पदार्थ से, जो मलमूत्र की छादन से पैदा होता है, शत प्रतिशत प्रोटीन की टिकिया बनाने में सफलता पा ली है ; और

(ख) यदि हां, तो इस नई खोज से देश में कुपांषण समस्या को हल करने में कहां तक सहायता मिलेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसन्धान संस्था, नागपुर ने 'अलगाई' पदार्थ से प्रोटीन की गोलियां तैयार करने का कोई कार्य नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Delhi Administration

911. Shri Naval Prabhakar : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that persons belonging to Scheduled Castes have not been appointed according to the prescribed ratio to fill up the vaca ncies in Class I and II posts in Delhi Administration ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the time by which the deficiency is likely to be made up ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L.N. Mishra) : (a) and (b) Because of the non-availability of candidates belonging to the Scheduled Castes, it has not been possible to recruit the requisite number of such candidates for the reserved vacancies. The general principles laid down in this regard are being observed stirictly.

(c) It is not possible to indicate the time by which the deficiency would be made up. This will depend on availability of suitable Scheduled Caste candidates for future vacancies.

भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लिये संयुक्त पदाली

912. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के लिये भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की संयुक्त पदाली का विस्तार करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पदाली के अन्तर्गत अन्य संघ प्रशासति राज्य क्षेत्रों को भी शामिल करने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत किन राज्य क्षेत्रों को लाया जायेगा ; और

(घ) तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के संयुक्त भारतीय प्रशासन सेवा और संयुक्त भारतीय पुलिस सेवा पदालियों के क्षेत्र को अन्य संघ-राज्य क्षेत्रों अर्थात् मनीपुर, त्रिपुरा, गोआ, दमन और दीव, पांडीचेरी, अन्दमान व निकोबार द्वीप-समूह, दादरा व नगर हवेली और लकादीव, मिनीकोय व अमिनदिवी द्वीप-समूह, में भी फैलाने का प्रस्ताव है ।

(घ) इन संघ राज्य क्षेत्रों में वरिष्ठ पदों की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं और इन मांगों को पूरा करने के लिये उपयुक्त अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त करना सम्भव नहीं है । संघ राज्य-क्षेत्रों की पदालियों के बनने पर यह कठिनाई दूर हो जायेगी ।

पब्लिक स्कूल

913. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रा० कि० दुबे :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे पब्लिक स्कूलों की संख्या क्या है जिनके अपने होस्टल हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि इन स्कूलों की फीसें साधारण व्यक्ति के लिये बहुत अधिक हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) दिल्ली--2

हिमाचल प्रदेश--1

(ख) जी हां।

Delay in Enquiry of Corruption Cases

914. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that enquiries conducted into corruption and allied cases are delayed to such an extent that a Head Clerk in Trivandrum was driven to commit suicide along with his wife and four children ;

(b) if so, whether Government propose to investigate this matter ;

(c) if so, when ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) It has been reported that Mr. N. Sreenivas, formerly Head Clerk, Office of the Revenue Divisional Officer, Kottayam, who had been placed under suspension from servtce and against whom prosecution had been ordered for offences under ihe Prevention of Corruption Act and Indian Penal Code, had committed suicide along with his wife and four children in 22-11-1964 night at Courtallam. It cannot be said that Sreenivas and family committed suicide on account of the delay in the conduct of the enquiry.

(b) Government do not consider it necessary to investigate the matter.

(c) and (d) Do not arise.

N.D.M.C and D.M.C. Claims

915. Shri Naval Prabhakar : Will the Minister of **Home Affairs be** pleased to state :

(a) whether it is a fact that ihe issue of inter-adjustment of the claims between the New Delhi Municipal Committee and the Delhi Municipal Corporation is taking a serious turn ; and

(b) if so, whether Government propose to intervene in the mttaer ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. (Mishra) (a) and (b) No, Sir. There were 35 items involving transfer

of assets and liabilities between the Delhi Municipal Corporation and the New Delhi Municipal Committee. Twenty-eight of them have been settled. Two items, viz. apportionment between the two bodies of cash balances, held by the Committee on the eve of the formation of the Corporation and the question whether any compensation is payable to the New Delhi Municipal Committee for the electricity assets transferred to the Corporation, have been under consideration with the Ministry of Law who now propose to refer the matter to the Attorney-General for advice in view of the complicated legal issues involved. Three outstanding matters, t.e. the apportionment of cosi of(a) sewage disposal, (b) bulk supply of water, and (c) the determination of rate of electricity supplied by the Corporation to the Committee, are being referred by the Committee to the Chief Commissioner. Two other items, (i) in regard to the apportionment of loan liability other than electricity and (ii) the question of payment of wages of staff employed on boundary roads are under negotiation between the two local bodies.

भारतीय सर्वेक्षण के कर्मचारी

916. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सर्वेक्षण, देहरादून के कर्मचारियों के कुछ वेतनक्रमों में कुछ परिवर्तन करने के लिये कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ; और

(ग) निर्णय कब किये जाने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) विभाग के लगभग 230 वर्गों के कर्मचारियों से सम्बद्ध वेतनक्रमों में संशोधन का कार्य काफी बड़ा तथा पेचीदा है । यह बताना संभव नहीं है कि इसका निर्णय सम्भवतः कब हो, परन्तु इसमें काफी समय लगेगा ।

दिल्ली में लापता बच्चे

917. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1964 से 31 जनवरी, 1965 तक की अवधि में दिल्ली से कितने बच्चे लापता हुए ;

(ख) कितने बच्चों का पता लगाया गया ;

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ; और

(घ) सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 2139.

(ख) 1901.

(ग) कोई नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली के सेवानिवृत्त शिक्षक

918. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सेवानिवृत्ति दिल्ली शिक्षक संस्था से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिसमें त्रिसूत्री लाभ योजना की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) दिल्ली के सेवानिवृत्त अध्यापकों की संस्था ने मांग की है कि सेवानिवृत्ति की सुविधायें उन्हें भी दी जाएं । मामले पर विचार किया जा रहा है ।

रूसी अध्ययन संस्था

919. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी विशेषज्ञों ने प्रस्तावित रूसी अध्ययन संस्था, नई दिल्ली के लिये रूपरेखा प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) संस्था कब कार्य करना आरम्भ कर देगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) से (ग) रूसी विशेषज्ञों ने भारतीय विशेषज्ञों को प्रस्तावित इंस्टीट्यूट आफ रशियन स्टडीज़ पर रिपोर्ट तैयार करने में मदद की है । अन्ततः संस्थान निम्नलिखित पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करेगा :—

(i) रूसी भाषा में एक वर्षीय व्यापक पाठ्यक्रम, विशेषकर उन भारतीय विद्यार्थियों के लिए जो उच्च अध्ययन के लिए रूस जाना चाहें ;

(ii) रूसी भाषा और साहित्य में त्रिवर्षीय आनर्स डिग्री पाठ्यक्रम जिसका उद्देश्य अध्यापक, दुभाषिए और अनुवादक तैयार करना होगा ;

(iii) अध्यापकों के लिए एक-वर्षीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम ;

(iv अनुसन्धान ; और

(v) रूसी पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद ।

जुलाई, 1965 में संस्थान के स्थापित होने की संभावना है । प्रारम्भ में रूसी भाषा में एक-वर्षीय व्यापक पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा ।

अपर डिवीजन क्लर्क ग्रेड का समाप्त करना

920. **श्री रा० गि० दुबे** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्लर्क यूनियन ने हाल ही में अपर डिवीजन के क्लर्क ग्रेड को समाप्त करके उसे असिस्टेंट ग्रेड के साथ मिलाने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

जरायम पेशा आदिम जातियों की गिरफ्तारी

921. **श्री रा० गि० दुबे** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने भूतपूर्व जरायम पेशा आदिम जातियों के कुछ सांसी लोगों को बम्बई में डाले गये बहुत से डाकों के कारण गिरफ्तार किया था ; और

(ख) यदि हां, तो गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) जी, नहीं । दिल्ली पुलिस की सहायता से ये गिरफ्तारियां बम्बई पुलिस ने की थीं ।

(ख) 28 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे जिनमें से 23 भूतपूर्व जरायम पेशा सांसी जाति के थे और 5 स्थानीय निवासी थे ।

Hindustan Antibiotics Ltd., Pimpri

922. **Shri Prakash Vir Shashtri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that twenty thousands kilogram of streptomycin worth thirty lakhs of rupees has been declared useless on account of its high ash content in the Hindustan Antibiotics Ltd., Pimpri, Poona rr;

(b) if so, the persons responsible for it and nature of the action being taken against them;

(c) the circumstances and the conditions under which it so happened and the steps taken by the Government to check such recurrences in future; and

(d) how the rejected medicine will be utilised and for what purposes ?

Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan) : (a) to (d) About 10,000 kg of streptomycin sulphate were rejected by the Quality Control Department of the Company on account of ash content being more than permissible under the specifications. It is reported that 90% of the material can be recovered by further process. The Board of Directors are seized of the matter and a Committee has been formed to go into the question in all its aspects and suggest steps to avoid recurrence in future.

भारतीय प्रव्रजकों को आयु संबंधी छूट

923. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्या, तांगानिका, युगांडा और जंजीबार से आये हुए भारतीय मूल के व्यक्तियों को संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रवेश के लिये ऊपरी आयु-सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या उन देशों में सरकारी नौकरी में लगे हुए भारतीय मूल के व्यक्तियों को भी वैसी ही छूट दी जायेगी ; और

(ग) क्या संघ लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारियों द्वारा ली गई प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी, जिनमें प्रतिरक्षा सेवा परीक्षायें भी शामिल हैं, ये रियायतें दी जायेंगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) और (ख) जी, हां । यह छूट 30 नवम्बर, 1967 को समाप्त होने वाली 3 वर्ष की अवधि के लिये लागू होगी । इसके अलावा उन देशों में सरकारी नौकरी में लगे हुए भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए उन पदों/सेवाओं में भरती के लिए भी कोई आयु-सीमा नहीं है जिनमें नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारियों द्वारा की जाती है । किन्तु प्रतिरक्षा सेवाओं/पदों में प्रवेश के लिये केन्या, टांगानीका, उगांडा और जंजीबार से आने वाले भारतीय मूल के निवासियों को आयु सीमा में कोई

छूट नहीं दी जाती, फिर चाहे इन सेवाओं/पदों के लिये भर्ती-परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाय और चाहे प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा अथवा किसी अन्य तरीके से ।

(ग) हां, यह छूट संघ लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारियों द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के बारे में भी लागू होती है किन्तु यह छूट प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिरक्षा सेवाओं में प्रवेश के लिये ली जाने वाली परीक्षाओं के बारे में लागू नहीं होती । इस बारे में जो स्थिति है वह ऊपर स्पष्ट कर दी गई है ।

Central Universities

924. **Shri K. C. Pant :**
Shri Sidheshwar Prasad :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the question of setting up of one University each for hilly areas of Assam and Nainital is under consideration of Government; and

(b) if so, the present position in this regard ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) There is a proposal to set up one Central University in the North-Eastern Region of India, comprising Nagaland, NEFA, Manipur, and the Hill areas of Assam, as recommended by the Joint Committee set up by the Ministry of Education and the University Grants Commission.

(b) The matter is under consideration.

Indian Adult Education Organisation

925. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that his Ministry advanced a loan or a grant to the Indian Adult Education Association for construction of building ;

(b) if so, when, and the amount involved ;

(c) whether it is also a fact that the said organization has rented a portion of the building to the Central Board of Secondary Education; and

(d) if so, the steps taken to check such irregularities ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) and (b) Yes Sir, a grant of Rs. 2,75,000 was approved, out of which Rs. 2,36,000 has been released so far, in five instalments on the dates indicated below :

Rs. 86,000 on 1-10-1958
Rs. 50,000 on 12-8-1960
Rs. 50,000 on 1-3-1961
Rs. 25,000 on 9-12-1961
Rs. 25,000 on 17-9-1962

No loan has been advanced to the Association.

(c) Yes, Sir.

(d) The Association now needs the entire building and therefore as soon as the Board can get new premises they will utilise all the space.

Bharat Scouts and Guides National Headquarters, New Delhi

926. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that his Ministry advanced a loan to the Bharat Scouts and Guides National Headquarters, New Delhi, for construction of a building;

(b) if so, when and the amount thereof ;

(c) whether it is also a fact that the said Organisation has rented a portion of its building to some other institution/department of a Ministry ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b) This Ministry has so far given (in three instalments viz. during March, 1961; February, 1962; and December 1962) to the Bharat Scouts and Guides a total of Rs. 3·50 lakhs as grant-in-aid and *not* as loan for the construction of their National Headquarters building at New Delhi.

(c) Yes, Sir.

(d) A portion of the building which was not immediately needed for the purposes of Bharat Scouts and Guides had temporarily been placed at the disposal of the National Council of Educational Research and Training.

श्री नेहरू का स्मारक

927. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री 9 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 439 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री नेहरू की वसीयत को स्कूलों और कालेजों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के सुझाव पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय अंग्रेजी संस्थान और राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार की जा रही अंग्रेजी, हिन्दी और सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में वसीयत को उपयुक्त रूप में और समुचित मानदण्ड पर शामिल करने का निर्णय किया गया है ।

उत्तर प्रदेश में ढले इस्पात की भट्टी

928. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार का विचार तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के सहयोग से ढले इस्पात की एक भट्टी स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी क्षमता क्या होगी और इसे कहां स्थापित किया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख) प्रति वर्ष 720 मीटरी टन की क्षमता वाले एक इस्पात ढलाई घर का रूड़की में स्थापना करने का प्रस्ताव है ।

पश्चिमी बंगाल में 'तेल'

929. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री बाल्मीकी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में तेल की संभाव्यता का पता लगाने सम्बन्धी प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूरा हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो यह कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(ग) क्या बंगाल की दक्षिण खाड़ी में तेल निक्षेपों का कोई संकेत मिला है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख) जी नहीं । पर्याप्त बड़ी मात्रा में भूकम्पीय कार्य की आवश्यकता होगी और यह कार्य अगले क्षेत्रीय मौसम में भी जारी रहेगा ।

(ग) बंगाल खाड़ी के क्षेत्र में अभी अन्वेषण कार्य को हाथ में नहीं लिया गया है ।

होशियारपुर में तेल की खोज

930. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के कांगड़ा और होशियारपुर जिलों में तेल तथा गैस की खोज में क्या प्रगति हुई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : भूगर्भीय और भूभौतिकी सर्वेक्षणों को करने के बाद 3 गहरे कुओं और 6 संरचनात्मक कुओं का कार्य पूरा किया गया है । दो कुओं का व्यधन कार्य प्रगति पर है ।

नये प्रव्रजकों का पुनर्वास

931. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए नये परिवारों को बसाने के लिये पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा प्रस्तावित किन्हीं योजनाओं को सरकार ने मंजूरी दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं, उन पर कितना व्यय होगा तथा उनकी क्रियान्विति के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी): (क) और (ख) चूंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्ति पहले ही अधिक संख्या में ले लिये हैं और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में अन्तिम सीमा तक पहुंच चुकी है, इसलिये पूर्वी पाकिस्तान से जो व्यक्ति 1 जनवरी, 1964 के बाद पश्चिम बंगाल में आये हैं या आ रहे हैं और पुनर्वास सुविधायें चाहते हैं उन्हें पुनर्वास के लिये अन्य राज्यों में भेजा जाता है। इसलिये पश्चिम बंगाल में नये विस्थापितों के सम्बन्ध में कोई भी पुनर्वास योजना मंजूर नहीं की गई है ।

Arrests made under D.I.R.

932. **Shri Mohan Swarup :**
Shri Ramachandra Ulaka :
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of persons arrested under D.I.R. since November, 1962; and

(b) the number of persons convicted and released so far ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

हीटरों के एलीमेन्टों के लिए मिश्र-धातु

933. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय धातु-कर्मिक प्रयोगशाला ने हीटरों के एलोमेंन्टों के लिए नई मिश्र धातू तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और आयात किये जाने वाले पदार्थ की तुलना में कैसा है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी, हां । वाणिज्य गवेषणा के लिए उद्योग के लाइसेंस भी दिए गए हैं ।

(ख) मुख्य बातें यह हैं :

(i) देशी कच्चे पदार्थों से वह तैयार किया गया है ।

(ii) इसमें 'निकल' तथा 'काबल्ट' नहीं होता है, दूसरे मानक तापक तत्वों में इसका प्रयोग किया जाता है ।

(iii) मिश्र धातु के एलोमेन्टो में इसकी कम प्रतिशत में जरूरत होती है और दूसरे तापक एलोमेन्टों व संरक्षो मिश्र धातु के एलोमेन्टों में इस की अधिक जरूरत होती है । इसलिए इसमें मिश्र धातु अवयव लगे रहते हैं ।

(iv) आयात किए गए नाइक्रोम तत्वों की अपेक्षा इसमें उच्च विद्युत रोधकता होती है ।

(v) टिकाऊपन की दृष्टि से यह आयात किए गए कंथल 'डी' के समान ही है और आयात किये गये नाइक्रोम तत्व से अधिक अच्छा है ।

(vi) इसकी उत्पादन लागत आयात किए गए तत्वों के विक्रय मूल्य से बहुत कम है ।

(vii) 1150 सी० तापमान में इसका अच्छी तरह प्रयोग किया जाय सकता है जो घरेलू कार्यों तथा बहुत से औद्योगिक प्रयोगों के लिए पर्याप्त है ।

गृह-कार्य मंत्रालय के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

934. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री गृह-कार्य मंत्रालय के कार्मचारियों के विरुद्ध की गई शिकायतों सम्बन्धी 16 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1458 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन श्रेणियों के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई ;

(ख) क्या शिकायतों को अस्पष्ट अथवा निराधार ठहराने से पहले शिकायत करने वालों से उन्हें सिद्ध करने अथवा स्पष्ट करने के लिए कहा गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) 10 राजपत्रित अधिकारी थे और शेष अराजपत्रित ।

(ख) और (ग) जिन शिकायतों को अस्पष्ट और निराधार समझा गया वे या तो गुमनाम थीं या कल्पित नामों से की गई थीं । इसलिये शिकायत करने वालों से उन्हें सिद्ध करने अथवा स्पष्ट करने के लिये कहने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सोंदड़ रियासत के भूतपूर्व शासक

935. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मंत्रालय को मैसूर राज्य में सोंदड़ रियासत के भूतपूर्व शासक के विरुद्ध उसकी रियासत और निजी सम्पत्ति का गलत लेखा देने के सम्बन्ध में सोंदड़ विमोचन समिति और सोंदड़ की जनता से अभ्यावेदन और शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) सोंदड़ मंडल की कांग्रेस कमिटी के प्रधान तथा अन्य छः सदस्यों द्वारा दिये गये अभ्यावेदन की एक प्रति अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के कार्यालय की मार्फत दिसम्बर, 1963 में प्राप्त हुई थी ।

(ख) इस अभ्यावेदन का विषय सोंदड़ के राजा के, उनकी निजी सम्पत्ति मानी जाने वाली भूमि में, अधिकार थे जिनके बारे में मैसूर सरकार से विचार-विमर्श चल रहा है ।

अनुसंधान संस्थायें

936. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वैज्ञानिक और कृषि क्षेत्रों में आजकल कितनी अनुसंधान संस्थायें काम कर रहीं हैं;

(ख) उनका (राज्यवार) ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक संस्था में कितने अनुसन्धान कर्मचारी और विद्यार्थी काम कर रहे हैं ;

(घ) इन कर्मचारियों और विद्यार्थियों को प्रति मास कितना वेतन अथवा छात्रवृत्ति दी जाती है; और

(ङ) क्या चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में इन संस्थाओं के कार्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिये कोई योजना है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन्) : (क) से (ङ). इस मंत्रालय के अधीन काम कर रही अनुसन्धान संस्थाओं के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों तथा राज्य सरकारों के अधीन काम कर रहीं अनुसन्धान संस्थाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला

937. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली में प्रयोग और अनुसंधान कार्य के संचालन के लिये कोई प्राथमिकता निश्चित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो जहां तक भारत का सम्बन्ध है वायु सेना के लिये अत्यावश्यक ध्वंस टोपों (कैश हैलमेट्स) की अपेक्षा, जिन पर बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा व्यय हो रही है, कृत्रिम वर्षा सम्बन्धी प्रयोग का क्या कोई व्यावहारिक महत्व है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन प्रयोगों को करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). कृत्रिम वर्षा पर किए गए प्रयोग, कृषि के विचार से व्यवहारिक महत्व के हैं। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला वायुसेना द्वारा भेजे गये ध्वंस टोपों (क्रैश हैलमेट्स) पर जांच कर रही है। ध्वंस टोपों का निर्माण राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की गतिविधियों में नहीं आता है।

गृह-कार्य मंत्रालय में शिकायत पेटी

938. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) गृह-कार्य मंत्रालय में रखी गयी शिकायत पेटियों में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई; और

(ख) इन में से कितनी प्रतिशत शिकायतें सही पाई गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख). गृह-मंत्रालय में कोई शिकायत पेटियां नहीं रखी गई। फिर भी 31-12-64 को समाप्त होने वाले छः महीनों के दौरान 6,890 शिकायतें प्राप्त हुई। इन्हें सम्बन्धित राज्य सरकारों अथवा मंत्रालयों/विभागों आदि के पास कार्यवाही के लिये भेज दिया गया। सही साबित होने वाली शिकायतों का प्रतिशत ज्ञात करने से जो फल प्राप्त होगा वह उस काम में लगने वाले समय और श्रम की तुलना में नगण्य होगा।

Chemicals for Laboratories

939. { Dr. Ram Manohar Lohia : / Shri Kishen Pattnayak : / Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the research works started and concluded on the preparation of certain chemicals which are now being imported for use in various science laboratories under the Council of Scientific and Industrial Research;

(b) the number of chemicals being used on industrial scale which are no longer required to be imported and the total amount of foreign exchange saved thereby; and

(c) whether Government are going to fix a time limit during which imports of such chemicals will be stopped and it will be possible to manufacture these chemicals on an industrial scale after necessary research ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Cylinder Explosion in Delhi

940. { Shri D. N. Tiwary : / Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that one person died and several persons were seriously injured as a result of an explosion of a cylinder in Lakshmibai Lane in Darya Ganj area in Delhi on the 15th January, 1965 ;

(b) if so, the causes of explosion of the cylinder; and

(c) the action taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) Two persons died and 5 were injured as a result of explosion of a gas cylinder on Laxmi Bai Road on 15-1-65.

(b) and (c). A case u/s 304-A, I.P.C., was registered at the Police Station Darya Ganj and is under investigation.

राब का भाव

941. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राब का निर्धारित भाव 25 पैसे प्रति मन है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बाजार में राब 3 रुपये से 5 रुपये प्रति मन तक बिकता हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राब के भाव को नियंत्रित करने और उस के ऊंचे भावों का लाभ उत्पादकों को देने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन): (क) संलग्न विवरण पत्र में निर्दिष्ट केन्द्रीय राब नियंत्रण आदेश और राज्य राब नियंत्रण अधिनियमों / आदेशों के अन्तर्गत राब का मूल्य नियंत्रित किया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी—3958/65 ।]**

केन्द्रीय राब नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत राब का नियंत्रित शिखरतम मूल्य निम्न प्रकार है:—

ग्रेड	मूल्य
ग्रेड—1 . . .	67 पैसे प्रति 100 किलोग्राम
ग्रेड—2	53 पैसे प्रति 100 किलोग्राम
ग्रेड—3	40 पैसे प्रति 100 किलोग्राम

दूसरे अधिनियमों/आदेशों के अन्तर्गत नियंत्रित शिखरतम मूल्य लगभग एक जैसे हैं। निर्यात किये जाने वाले राब का नियंत्रित शिखरतम मूल्य जहाज तक निशुल्क भारतीय बन्दरगाह पर 6.50 रुपये प्रति 100 किलोग्राम है ।

(ख) यह ज्ञात हुआ है कि आम बाजार में राब का मूल्य नियंत्रित मूल्य से बहुत अधिक है ।

(ग) राब के नियंत्रित मूल्य को बढ़ाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार से विचार किया जा रहा है। राब गन्ने का उपोत्पाद (bye-products) है। मल्यों को बढ़ाने के कारण यदि कोई लाभ हुआ, तो वह खाण्ड तैयार करने वालों को प्राप्त होगा न कि गन्ना पैदा करने वालों को ।

पश्चिमी हिमालय पर्वतारोहण संस्था

942. **श्री हेम राज** : क्या **शिक्षा** मंत्री 18 नवम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 126 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी हिमालय पर्वतारोहण संस्था, मनाली (पंजाब) के पुनर्गठन के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : विषय अभी तक विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय होने की आशा है ।

भारत में अफ्रीकी विद्यार्थी

943. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत स्थित अफ्रीकी विद्यार्थियों की ऐसोसियेशन ने सरकार से दिल्ली की किसी साप्ताहिक पत्रिका के विरुद्ध, जिस ने अफ्रीका के खिलाफ विचार व्यक्त किये हैं, कार्यवाही करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रिपब्लिकन पार्टी द्वारा आन्दोलन

944. **श्री उ० मू० त्रिवेदी :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री गुलशन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रा० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत की रिपब्लिकन पार्टी द्वारा हाल में किये गये आन्दोलन के दौरान गिरफ्तार किये गये पुरुषों और स्त्रियों की अगल अलग संख्या क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): जो सूचना मांगी गई है वह इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सदन के सभा–पटल पर रख दी जायेगी ।

काश्मीरियों की नागरिकता

945. **श्री कपूर सिंह :**
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीरियों की दोहरी नागरिकता को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो वह कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जम्मू और काश्मीर के निवासी भारत के नागरिक हैं और किसी भी अन्य देश के नहीं। इसलिये जहां तक काश्मीरियों का सम्बन्ध है, दुहरी नागरिकता का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पुलिस आवास योजना

947. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या 1964-65 में पुलिस आवास योजना के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार को ऋण के रूप में कोई राशि दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). 7.46 लाख रुपये का एक ऋण मंजूर किया गया है ।

उड़ीसा में अनिवार्य शिक्षा

948. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य को राज्य में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के विस्तार के लिये 1964-65 में कोई वित्तीय सहायता दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) प्रारंभिक स्तर पर नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के विस्तार के लिए केन्द्रीय सहायता देने की अलग से अथवा को ई विशिष्ट योजना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

School Education in Delhi

949. **Dr. Ram Manohar Lohia:**
Shri Madhu Limaye:
Shri Kishen Pattnayak :

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that children of employees of the Central Government and of the Delhi State getting less than Rs. 500 as salary per month, have been given exemption in their school fee by the Ministry of Education;

(b) whether it is also a fact that the children of such teachers of Govt. Aided Schools have also been given this exemption;

(c) whether it is also a fact that such an exemption has not been given in the case of other employees and class IV employees of Government aided schools, neither they are entitled to Pension Benefit Scheme; and

(d) if so, the reasons for this discrimination?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) & (b). Subject to certain conditions the tuition fees paid on behalf of the children in recognised Middle and High Schools or Higher Secondary Schools are reimbursed to the Government employees whose pay does not exceed Rs. 600 per month. No tuition fees are charged from the children of the teachers employed in primary, Middle, High and Higher Secondary Schools run or aided by Government in the Union Territories.

(c) & (d). The question of extending the benefits of the pension scheme to teachers and other employees of Aided Schools is under consideration at present, as also the question of re-imbursement/exemption of tuition fees to the children of other employees.

उच्च न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमे

950. **श्री कृष्णपाल सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 दिसम्बर, 1945; 31 दिसम्बर, 1946; 31 दिसम्बर, 1947 और 31 दिसम्बर, 1964 को विभिन्न उच्च न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों और न्यायाधीशों की संख्या क्या थीं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : 31 दिसम्बर, 1945; 31 दिसम्बर, 1946 और 31 दिसम्बर, 1947 की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और सदन में सभापटल पर रख दी जायेगी ।

31 दिसम्बर, 1964 की स्थिति के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी हुई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी—3959/65]**

नागा विद्रोही

951. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागा विद्रोहियों ने हाल में ही मनीपुर के सीमावर्ती गांवों के नौजवानों को भर्ती करना और उनको प्रशिक्षण देना प्रारम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो नागा विद्रोहियों की इस प्रकार की कार्यवाहियों के अन्तर्राज्यिक विस्तार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) यह सच है कि हाल ही में नागा विद्रोही मनीपूर के सीमावर्ती गांवों से नौजवानों को भरती करते रहे हैं । परन्तु इस बात की कोई सूचना नहीं है कि उन्हें किसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

(ख) जहां सम्भव होता है विद्रोहियों की कार्यवाहियों के क्षेत्रों को सशस्त्र सेनाएं (आसाम और मनीपुर) विशेष अधिकार अभिनियम, 1958 के आधीन अशान्त क्षेत्र घोषित किया जाता है ताकि इन विद्रोहियों को रास्ते में रोकने और उनसे निपटने के लिये सुरक्षा सेनाएं प्रभावी कार्यवाही कर सकें ।

नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र

52. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज तथा गल्फ आयश्ल आफ टेक्साज ने भारत में नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र बनाने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके प्रस्तावों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). लण्डन की इम्पीरियल कैमिकल इंडस्ट्रीज़ और अमरीका की टेक्साज़ गल्फ सल्फर कम्पनी (Texas Gulf Sulphur Company of U.S.A.) ने बड़े आकार वाले उर्वरक कारखानों की स्थापना में दिलचस्पी प्रकट की है । विस्तृत प्रस्तावों की प्रतीक्षा है ।

प्रशासनिक सुधार

953. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने प्रशासनिक सुधार लागू करने के संबन्ध में मुख्य मंत्रियों को लिखा है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें दिये गये प्रस्तावों की मुख्य–मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). जी, हां । जनवरी, 1965 में कलकत्ता में हुई पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की बैठक के लिये प्रशासनिक सुधार पर हाल ही में तैयार किया हुआ एक नोट सब राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भेजा गया है । उस नोट में तीन मद्दों के नीचे एक कार्यक्रम तैयार करने में समान मार्ग अपनाने के बारे में जो सुझाव हैं वे तीन मद्दों के नीचे आते हैं :—

(i) वर्तमान शासन-तंत्र को कसना ।

(ii) सुधार के नये उपाय निकालना ।

(iii) कुछ बड़े समस्या वाले क्षेत्र ।

पहले मद् के नीचे, उस नोट में कसने की प्रक्रिया में बड़े तत्वों के रूप में देख-रेख और निरीक्षण, समय-पालन और पत्र-व्यवहार में, जल्दी पर ज़ोर दिया गया है और उसमें काम के व्यवहार-कुशल ढंगों का उदाहरण रखने में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यभार पर बल दिया गया है ।

दूसरे मद् के नीचे उस नोट में यह बताया गया है कि आधार-भूत ढंग का प्रशासनिक सुधार किसी अध्ययन पर आधारित होना चाहिए । इसके लिए यह आवश्यक हैं कि अध्ययन की प्रक्रियाएं और उनका उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों का एक दल तैयार किया जाए । अध्ययन का एक ठोस कार्यक्रम भी इतना ही जरूरी है। उस नोट में यह कहा गया है कि प्रशासन में कुछ चुने हुए विशिष्ट क्षेत्रों में गहरा अध्ययन किया जाना चाहिए ।

तीसरे मद् के नीचे, उस नोट में राज्यों से सिफारिश की गई है कि वे दो समस्याओं, अर्थात् जिलों का प्रशासन और योजना के कार्यान्वन, पर पहले ध्यान दें ।

कृषि स्कूल

954. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2,000 जूनियर कृषि स्कल खोलने के एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है;

(ख) क्या उन स्कूलों का प्रवन्ध पूर्ण रूप से केन्द्र ही करेगा; और

(ग) प्रस्तावित स्कूल प्रत्येक राज्य में किस अनुपात से खोले जायेंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

नन्दी स्क्वैटर्स कालोनी, 24 परगना

955. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 परगना, पश्चिमी बंगाल की नन्दी स्क्वैटर्स कालोनी में रहने वाले शरणार्थी परिवार बान-हुगली योजना को जाने के लिये इस शर्त पर सहमत हो गये थे कि उन्हें मकान बनाने तथा सफाई संबंधी ऋण दिये जायेंगे क्योंकि भूमि की लोक-कार्य के लिए आवश्यकता थी;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार उस वचत का पालन नहीं कर सकी है क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने यह ऋण देने से इन्कार कर दिया है ; और

(ग) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने इस संबन्ध में कोई ठोस प्रस्ताव भेजा था ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी): (क) ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है कि नन्दी स्क्वैटर्स कालोनी से नान-हुगली कालोनी भेजे गये परिवारों को यह वचन दिया गया हो कि उन्हें मकान बनाने तथा सफाई संबन्धी ऋण दिये जायेंगे ?

(ख) और (ग). पश्चिम बंगाल सरकार से मकान बनाने तथा सफाई सम्बन्धी ऋण के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं । राज्य सरकार से इस बारें में कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त हो चुके हैं । स्पष्टीकरण के आधार पर प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

पुनर्वास सम्बन्धी अवशिष्ट समस्यायें

956. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार पूर्वी पाकिस्तान के उन विस्थापित व्यक्तियों को जिन्हे दार्जिलिंग में हुए मंत्रियों के सम्मेलन में पुनर्वास–लाभ के सुपात्र घोषित किया गया था, पुनर्वास के अवशिष्ट कार्य के एक भाग के रूप में बसायेगी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दार्जिलिंग सम्मेलन में किये गये निर्णयों के बारे में सरकार की नीति में कुछ परिवर्तन हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो मकान बनाने के लिये भूमि अर्जित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा शरणार्थियों को बसाने के लिये और क्या कार्यवाही की गई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) दार्जिलिंग में हुए सम्मेलन का सामान्य मत यही था कि एक तिथि निश्चित कर दी जाये जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले नये विस्थापितो को पुनर्वास सहायता नहीं दी जायेगी । लिहाजा यह निर्णय किया गया कि पूर्वी पाकिस्तान से जो व्यक्ति 31–3–1958 के बाद भारत आते हैं, वे पुनर्वास सहायता के पात्र नहीं होंगे । 31–3–1958 तक जो विस्थापित व्यक्ति पश्चिम बंगाल में आ चुके थे उनकी अवशिष्ट समस्याओं के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार के साथ 1960–61 में बातचीत की गई थी और अपेक्षित धन–राशि निर्धारित की गई थी । उस समय यह अनुमान लगाया गया था कि विभिन्न योजनाओं के लिये 22 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) भुमि अर्जन के लिये लगभग 456 लाख रूपये मिलाकर 9. 8 करोड़ रूपये की धन-राशि के प्रस्ताव अवशिष्ट समस्याओं के अतंर्गत पहले ही अनुमोदित या मंजूर किये जा चके हैं । अन्य प्रस्ताव राज्य सरकार से परामर्श करके तैयार किये जा रहे हैं ।

हिसार में प्राचीन टकसाल

957. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला हिसार में भिवानी नगर के निकट औरंगाबाद गांव में 3,000 वर्ष पुरानी यौध्या टकसाल हाल ही में पाई गई ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और वह कहां और कैसे सुरक्षित रखी गई हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तकनीकी संस्थाओं के लिए अमरीकी सामान

958. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तकनीकी संस्थाओं की अमरीका में बने सामान की प्राप्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये शिक्षा मंत्रालय अमरीकी सरकार से ऋण के बारे में बातचीत कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) बातचीत अभी चल रही है ।

P.L. 480 Funds Scholarships

959. Shri Vishwa Nath Pandey: Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an Indo-American Trust would shortly be established to award scholarships to students in India out of P.L. 480 funds reserved for American use; and

(b) if so, when and the broad outline of the scheme?

The Minister of Education(Shri M. C. Chagla):(a) There is a proposal to set up an Indian-American Foundation from out of the U.S. held P.L. 480 rupees to promote development of education and science in India but it has not so far been finalised.

(b) Does not arise.

त्रिपुरा में आदिवासियों की बेदखली

961. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपूरा में रहने वाले आदिवासियों को 1964 में बड़े पैमाने पर ज़मीनों से बेदखल किये जाने के बारे में भारत सरकार को कोई ज्ञापना मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो त्रिपूरा के इन बेदखल किये गये आदिवासियों को उन की जमीनें वापस देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) आदिवासियों की कोई बेदखली नहीं हुई । इसलिये उन्हें जमीनें वापस देने का सवाल ही नहीं उठता । त्रिपुरा-भू-राजस्व तथा भूमि सुधार अधिनियम, 1960 की धारा 187 के उपबन्ध

का सख्ती से पालन किया जाता है। आदिवासियों के उन की भूमि पर कब्जे के बारे में उनके हितों की देखभाल करने के लिये संबंधित भू-राजस्व तथा व्यवस्था अधिकारियों को आदेश भी दिये गये हैं।

आदिवासियों का पूर्वी पाकिस्तान जाना

962. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में त्रिपुरा से आदिवासी भारी संख्या में पूर्वी पाकिस्तान चले गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) अब तक कितने आदिवासी त्रिपुरा से पूर्वी पाकिस्तान गये हैं; और

(घ) इस प्रव्रजन को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). ऐसी सूचना है कि आदिवासियों के 151 परिवार पूर्वी पाकिस्तान चले गये हैं।

(ख) ऐसा मालूम होता है कि ये आदिवासी पूर्वी पाकिस्तान के चटगांव पहाड़ी प्रदेश के म्यानी सुरक्षित वन में बिना रुकावट के परिवर्ती खेती और दूसरी मिलने वाली सुविधाओं की आशा से आकर्षित हुए हैं।

(घ) आदिवासियों को त्रिपुरा सरकार द्वारा परिवर्ती किसानों को दी गई पुनर्वास की सुविधाओं का उपयोग करने के लाभ समझाये जा रहे हैं। आदिवासी बस्तियों में उस जाति की कठिनाई पर सामूहिक रूप से ध्यान देने के लिये समितियां बनाई जा रही हैं। सब राजस्व अधिकारियों और आदिवासी नेताओं को आदेश दिया गया है कि झूमियों की समस्याओं में आवश्यक दिलचस्पी लें।

अनुसंधान के लिये अमरीकी अनुदान

963. { **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी सरकार ने तीन भारतीय विश्वविद्यालयों और अनुसन्धान संस्थाओं को छः लाख रुपये के अनुदान दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे विश्वविद्यालय कौन से हैं; और

(ग) अनुदानों का उपयोग किस प्रकार से किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग). कुछ विश्वविद्यालयों और अनुसन्धान संस्थाओं को उन के द्वारा प्रारम्भ की जाने वाली कुछ विशिष्ट प्रायोजनाओं के लिए पी० एल० 480 निधि में से अनुदान दिये जाते हैं। कौन सी तीन संस्थाओं के बारे में सूचना मांगी गई है; यह बात प्रश्न से स्पष्ट नहीं होती है।

संगनूर कैम्प कोयम्बटूर

964. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिये कोयम्बटूर के निकट संगनूर में स्थापित किये गये आवाजाही कम्प को बन्द करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कम्प में रहने वाले शरणार्थी परिवारों को बसाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी हां, शिविर में जिन विस्थापित परिवारों को आवास दिया गया था वे छोड़ कर चले गये हैं इस कारण शिविर बन्द कर दिया गया है।

(ख) पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों के 210 परिवार इस शिविर में भेजे गये थे। इन में से कुछ ने ही अप्रैंटिस तथा अकुशल श्रमिक का कार्य करना स्वीकार किया। अन्य दो जत्थों में शिविर को छोड़ कर चले गये। लगभग 114 परिवारों का प्रथम जत्था अक्तूबर, 1964 में शिविर छोड़ गया था। उनमें से अधिक संख्या में झांसी शिविर में इस शर्त पर दाखिल किये गये थे कि वे शिविर के अनुशासन का पालन करेंगे और जो रोजगार उन्हें दिया जायेगा उसे स्वीकार करेंगे। उन की देख-भाल की जा रही है और उन्हें रोजगार पर लगा दिया गया है। लगभग 81 परिवारों का दूसरा जत्था जिन्होंने अपनी पिछली जानकारी देने तथा सहायता, पात्रता प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर करने में अस्वीकृति प्रकट की और फरवरी, 1965 में शिविर छोड़ कर चले गये। वे माना शिविर में चले गये जहां उन्हें यह कहा गया कि उन्हें झांस शिविर में इस शर्त पर भेजा जा सकता है कि वे अपनी पिछली जानकारी देने तथा जिस रोजगार की व्यवस्था उन के लिये की जाये उसे करने के लिये तैयार हों। लगभग 25 परिवार इन शर्तों को मान गये और उन्हें झांसी शिविर में भेज दिया गया है। शष परिवारों ने इस पेशकश को स्वीकार नहीं किया और माना शिविर को छोड़ कर चले गये।

Artificial Rains

965. { **Shri Badrudduja:**
Shri Yashpal Singh:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Indian National Physical Laboratory has achieved some success in bringing about rains by artificial means; and

(b) if so, the significant points of the results obtained in this field of research?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) & (b). It is too early to draw any definite conclusions from the work done by the National Physical Laboratory, which is still in an experimental stage. So far 90 trials have been conducted in Delhi, Agra and Jaipur areas, out of which 50 have indicated a positive trend.

इलेक्ट्रो-केमिकल अनुसंधान संस्था, कराइकुडी

966. **श्री अरुणाचलम :**
श्री परमशिवन :
श्री म० प० स्वामी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय इलक्ट्रो-कैमिकल अनुसन्धान संस्था को कराइकुडी से मद्रास भेजने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की तृतीय पुनरीक्षण समिति ने सिफारिश की है कि 'केन्द्रीय इलक्ट्रो-केमिकल अनुसन्धान संस्था' को उस के मौजूदा अलग-अलग स्थान से इसको मद्रास भेज देना चाहिए ।

(ख) पुनरीक्ष ण समिति ने महसूस किया है कि उद्योग के साथ प्रभावशाली सम्पर्कों को विकसित करने के विचार से "कैमिकल अनुसन्धान संस्था" का वर्तमान स्थान असन्तोषजनक है ।

केरल के सहायता-प्राप्त स्कूलों के अध्यापक

967. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि केरल के सहायता-प्राप्त स्कलों के अध्यापक अपनी शिकायतों को दूर कराने के लिये हड़ताल करने की तैयारी कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को उत्पन्न न होने देने के लिये सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ; और

(ग) अध्यापकों से क्या क्या मांगें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग). सहायता-प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों ने मांग की है कि उन्हें राजकीय स्कूलों के समान ही मकान किराया भत्ता दिया जाए । राज्य सरकार ने अब सूचित किया है कि सहायता–प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को हाल ही में जो सुविधाएं दी गई हैं उनसे वे सन्तुष्ट हैं ।

जम्मू और काश्मीर राज्य का झंडा

968. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और काश्मीर सरकार का अभी तक एक पृथक झडा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत संघ का कोई राज्य एक अलग झंडा रख सकता है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) (क) : जी, हां ।

(ख) जम्मू और काश्मीर सरकार के विधान में राज्य के पृथक झंडे की व्यवस्था है । अन्य किसी राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

वामपक्षी साम्यवादी नेताओं की और अधिक अवधि तक नजरबन्दी

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"केरल के वाम पक्षी साम्यवादी नेताओं की और अधिक अधिक तक कथित नजरबन्दी का मामला जिनमें कई वे भी शामिल हैं जो कि केरल विधान सभा में चुन लिये गये हैं ।"

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : श्रीमन्, 29 दिसम्बर, 1964 को 1962 के भारत सुरक्षा नियमों के नियम 30(1)(ख) के अधीन केरल सरकार द्वारा जारी किये गए नजरबन्दी के आदेशों को राष्ट्रपति ने, अपने अधिकारों तथा कृत्यों का प्रयोग करते हुए, संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन केरल के बारे में विज्ञप्ति जारी करके उक्त नियमों के नियम 30(क)के उप नियम (10) के अधीन रद्द कर दिया । साथ ही, केन्द्रीय सरकार ने भारत सुरक्षा नियमों के नियम 30(1)(ख) के अधीन इन 141 व्यक्तियों के लिये नए नजर बन्दी आदेश जारी कर दिये । केरल सरकार द्वारा 29 दिसम्बर, 1964 को जारी किये उपरिलिखित नजरबन्दी आदेशों का छः महीने समाप्त होने से पहले भारत सुरक्षा नियमों के नियम 30क(9) के अधीन पुनरवलोकन करना पड़ा । केरल सरकार के सारे अधिकार तथा कृत्य 10 सितम्बर, 1964 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के आधार पर उनके द्वारा ग्रहण कर लिये गए और इस विज्ञप्ति की अवधि 30 मार्च, 1965 को समाप्त होगी । इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि केरल सरकार द्वारा जारी किये गये मूल आदेशों को रद्द करके इन 141 व्यक्तियों की नजरबन्दी के लिये केन्द्रीय सरकार नये आदेश जारी करे ताकि उक्त व्यक्तियों को ऐसा आचरण करने से रोका जा सके जो भारत की सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा, जन-रक्षा तथा शांति और व्यवस्था के लिए हानिकर हों । छः महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व केरल सरकार पर उक्त आदेशों का पुनरवलोकन छोड़ने की बजाय केन्द्रीय सरकार ने उक्त आदेशों को रद्द करके नये नजरबन्दी आदेश जारी करने का तरीका बेहतर समझा ।

श्री स० मो० बनर्जी : जब सत्तारुढ़ दल को इन गिरफ्तार हुए लोगों से पराजित होना पड़ा तो केन्द्रीय सरकार ने यह आदेश जारी कर दिये । उद्देश्य यही था कि विरोधी दल किसी भी प्रकार से वहां अपनी सरकार न बना सके । क्या लोकतंत्र पर कुल्हाड़ा चलाने वाली बात यह नहीं है ?

श्री नन्दा : भारत सरकार की चुनाव के अतिरिक्त भी कोई जिम्मेदारी है । उसने उस जिम्मेदारी को पूरा किया है ।

श्री दाजी (इन्दौर) : केरल में लोगों को अपना मत व्यक्त करने का अवसर मिला है और उन्होंने मत व्यक्त किया है, तो विरोधी दलों को सरकार बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए ।

श्री नन्दा : उन लोगों ने 26 प्रतिशत मत प्राप्त किये हैं । और उपयुक्त अवसर आने पर मैं इस सारे मामले को स्पष्ट कर दूंगा । मतदाताओं को यह समझने में कुछ समय लगेगा कि वास्तव में वे लोग क्या शरारत कर रहे थे ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत करता हूं। नियम 232 के अन्तर्गत विशेषाधिकार का प्रश्न आता है ।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न को विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : माननीय मंत्री उनकी शरारत की बात कर रहे हैं जब कि वे जेल में हैं । श्री गोपालन यहां हैं उन्हें अवसर दिया जाये कि वह अपना स्पष्टीकरण कर सकें ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को बैठ जाना चाहिए अन्यथा मुझे उन्हें बाहर जाने को कहना पड़ेगा ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं बाहर जाने को तैयार हूं ।

अध्यक्ष महोदय : तो मैं उनका नाम लेकर कहता हूं कि वह बाहर चले जायें ।

[उसके पश्चात् श्री दीनेन भट्टाचार्य सदन से बाहर चले गये) ।
Shri Dinen Bhattacharya then left the House]

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बेरकपुर) : वाम पक्षी के लोगों के विरूद्ध सब प्रकार का प्रचार किया गया, इस पर भी उन्हें लोगों के वोट प्राप्त हुये हैं। तो सरकार को इन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मुक्त कर देना चाहिए। और जिसका बहुमत हो उसे सरकार बनाने का अवसर दिया जाये ।

श्री नन्दा : हमारे विशेष कर्तव्यों की दृष्टि से चुनावों के परिणामों का कोई महत्व नहीं है । हमने जो जरूरी समझा है, वही किया है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इससे तो स्पष्ट हो जायेगा कि कांग्रेस बहुमत को अल्प मत में बदलना चाहता है। नहीं तो अब जब वे लोग चुनाव में विजयी हो गये हैं तो उन्हें सरकार बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

श्री नन्दा : हमने यह समझा कि उनके विरूद्ध कार्यवाही करना जरूरी है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : गृह कार्य मंत्री किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार कर सकते हैं और कह सकते हैं कि सार्वजनिक हित में इसका उत्तर देना सम्भव नहीं। क्योंकि प्रश्न तो सीधे यह है कि बहुमत को अल्प मत में बदला जा रहा है ।

श्री मुहम्मद इलियास (हावड़ा) : केरल के लोगों ने स्पष्ट रूप में गृह मंत्री के विरूद्ध मत दिया है मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस कारण से अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। उन्हें बंगाल अथवा केरल के किसी चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ कर देखना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : केन्द्रीय सरकार ने उनके विरूद्ध नजरबन्दी के आदेश जारी कर दिये थे । इस पर भी उन्हें चुनाव में खड़े होने की अनमति दे दी गयी । सरकार ने उन्हें अनुच्छेद 191 के अन्तर्गत अयोग्य घोषित नहीं किया । अब चुने जाने के पश्चात् उन्हें विधान सभा के सदस्य के रूप में काम करने की अनुमति क्यों नहीं मिल रही। उन्हें क्यों नहीं रिहा किया जाता ?

श्री नन्दा : यह प्रश्न हमारे समक्ष उस समय आया था जब कि उन मित्रों ने अपने आपको विधान सभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार के रूप में पेश किया था। हमने महसूस किया कि उन्हें चुनाव लड़ने से रोका नहीं जाना चाहिए। परन्तु इसका यह मतलब कभी भी नहीं कि अब क्योंकि वे चुने गये हैं, अतः उन्हें रिहा किया जाये।

Shri Bagri (Hissar): These people were arrested under the emergency law, but at present there is no emergency. There is no possibility of any attack at present. Are you going to detain them for life?

Shri Nanda: We review the case after every six months and we take the action accordingly.

श्री वारियर (त्रिचुर) : क्या सरकार को यह मालूम हो गया है कि लोग इन लोगों को नजरबन्द रखना उचित नहीं समझते। क्या सरकार उन्हें अदालत में पेश करके यह सिद्ध करने का यत्न करेगी कि ये लोग सरकार और राज्य दोनों के लिए खतरनाक हैं ?

श्री नन्दा : हमने उन्हें भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया है और हमने कोई अवैध बात नहीं की है।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुला) : यह आदेश इस माह की 5 को जारी किये गये थे। क्या सरकार को यह पता चल गया था कि कांग्रेस की सरकार वहां नहीं बन सकती और राष्ट्रपति शासन ही वहां चालू रहेगा। और पदासीन दल के हित में नजरबन्दों को रिहा करने से इन्कार कर दिया गया।

श्री नन्दा : इस प्रकार के विचार से मैं सहमत नहीं हूं।

श्री दशरथ देब (त्रिपुरा पूर्व) : श्री नन्दा का वाम पक्ष के व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप बहुत ही गलत, मन घड़न्त तथा घणास्पद है। केरल में मतदाताओं ने अपना मत व्यक्त कर दिया है। क्या बहुमत वाले दल को सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी जायेगी ?

Shri Maurya (Aligarh): I want to know the connection between the results of the elections and the detention order of the Govenment, as the leftist Communists have been returned to the state assembly in large majority.

Shri Nanda : I have not been able to follow what the honourable member wants to know.

अध्यक्ष महोदय : आदेश और साम्यवादियों का बहुमत का चुना जाना, इनका कोई सम्बन्ध है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : सरकार का व्यवहार बहुत ही खराब है अतः हम सदन त्याग कर जाना चाहते हैं।

[इस के पश्चात् श्री ही० ना० मुकर्जी तथा कुछ अन्य सदस्य सदन से बाहर चले गये]
[Shri H .N. Mukerjee and some other hon. Members left the House]

अध्यक्ष महोदय : श्री मुहम्मद इलियास भी बाहर जा सकते हैं ।

[इसके पश्चात् श्री मुहम्मद इलियास सदन से बाहर चले गये
Shri Mohammed Elias then left the House]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अन्तर्राष्ट्रीय कापी राइट (संशोधन) आदेश

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्यमंत्री (श्री हजरनवीस): मैं, कापीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 43 के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(i) दिनांक 13 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 240 में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय कापी राइट (प्रथम संशोधन) आदेश, 1965.

(ii) दिनांक 13 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 241 में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय कापी राइट (दूसरा संशोधन) आदेश 1965.

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3925/65]

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) तीसरा संशोधन नियम

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी): मैं, श्री डा० म० मो० दास की ओर से विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनयम 1954 की धारा 40 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 8 नवम्बर 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1679 में प्रकाशित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) तीसरा संशोधन नियम 1964 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—3953/65]

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS

अट्ठावनवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का अट्ठावनवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1965-66

DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS) 1965-66

अध्यक्ष महोदय : अब रेलवे बजट 1965-66 के अनुदानों पर आगे चर्चा करेंगे ।

श्री हेडा (निजामाबाद): मैं तो यह कह रहा था कि हैदराबाद दक्षिण में सबसे बड़े राज्य की राजधानी है और वैसे भी बहुत बड़ा नगर है । इसलिए इसे दिल्ली से और दूसरे बड़े नगरों से जैसे

कि बम्बई तथा मद्रास से अच्छी प्रकार जोड़ा जावे। परन्तु किसी न किसी कारण इसे उपेक्षित रखा गया। उदाहरण के तौर पर दिल्ली से बम्बई पहुंचने में 23 से 26 घंटे लगते हैं और दिल्ली से कलकत्ता पहुंचने में 26 घंटे लगते हैं परन्तु दिल्ली से हैदराबाद पहुंचने में 36 घंटे लगते हैं। इस ओर ध्यान दिया जावे।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

मैं किसी नई गाड़ी के चलाने की बात नहीं कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि जहां पहले गाड़ियां चल रही थीं वहां और नई गाड़ियां चलाने से और भी देर में नई गाड़ियां पहुंचती हैं। उदाहरण के रूप में पहले हम हैदराबाद से बम्बई 16 घंटे में पहुंचते थे किन्तु सिकन्दराबाद-बम्बई एक्सप्रेस के चलने से अब हम 18 घंटे में पहुंचते हैं। इसलिए मैं नई गाड़ी चलाने का सुझाव नहीं दे रहा हूं। मेरा सुझाव यह है कि सिकन्दराबाद-बम्बई एक्सप्रेस को समाप्त किया जावे और हैदराबाद-पैसेन्जर को मद्रास-पैसेन्जर से पहले की भांति मिला दिया जावे ताकि यात्री शीघ्र पहुंच सकें।

मेरा सुझाव यह है कि दक्षिण-एक्सप्रैस और काजीपेट-सिकन्दराबाद एक्सप्रैस को इस प्रकार चलाया जावे कि हैदराबाद जाने वाले यात्री दूसरी रात से पहले अपने घर पहुंच जावें ताकि वे अपने घर पर जा कर सो सकें। मैं श्री पाटिल से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर विचार करें और मुझे आशा है कि वे हैदराबाद को इस सुविधा से वंचित नहीं करेंगे।

अब मैं कुछ और बातों की ओर संकेत करूंगा। एक है खान-पान की व्यवस्था के बारे में/श्री पाटिल ने कहा है कि वे चाहते हैं कि इसमें सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में इस दिशा में मुकाबला हो। परन्तु यह किया ऐसे ढंग से जाना चाहिये कि एक ही रेल में दोनों का कार्य हो ताकि यात्री वहां से भोजन आदि करें जहां अच्छी व्यवस्था हो। यह नहीं होना चाहिये कि एक रेल में तो सरकारी व्यवस्था हो और दूसरी में गैर-सरकारी। यह तो कोई मुकाबला नहीं होगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि रेलों में दोनों प्रकार के भोजन अर्थात् दक्षिण तथा उत्तर के होने चाहिये न कि केवल एक ही प्रकार के।

एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं वह है रेलवे सेवा आयोग के बारे में। श्री पाटिल ने इस आयोग की बड़ी प्रशंसा की है और मैं भी करता हूं। परन्तु इस ओर यह ध्यान रखना चाहिये कि जब भी कोई सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया जावे वह उच्च चरित्र का व्यक्ति होना चाहिये। मैं यह कह सकता हूं कि कुछ सदस्य ऐसे हैं कि उनके बारे में जनता में अच्छा नाम नहीं हैं परन्तु उनकी बार बार अवधि बढ़ाई जा रही है। श्री पाटिल के बड़े रसूख हैं। इस लिये वह ऐसे व्यक्तियों के बारे में पता रखें जैसे कि श्री किदवाई रखा करते थे और केवल उन व्यक्तियों की ही नियुक्ति की जावे जिन्हें लायक तथा भला समझा जाता है। इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर): कल मैं अपने कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिये प्रस्तुत नहीं कर सका। आज मैं उन्हें मतदान के लिये प्रस्तुत करना चाहता हूं।

रेलवे मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	1	श्री उ० मू० त्रिवेदी	रेलवे के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा तथा उनके विरुद्ध की गयी शिकायतों के बारे में निर्णय करने के लिये प्रशासकीय न्यायाधिकरण की व्यवस्था का न होना।	राशि घटा कर 1 रु० कर दी जाय।
1	2	श्री उ० मू० त्रिवेदी	12 संयुक्त निदेशक रखने की निरर्थकता और उनके पदों को समाप्त करने का प्रश्न।	100 रुपये
1	3	श्री उ० मू० त्रिवेदी .	सतर्कता निदेशालय का कार्य .	100 रुपये
2	45	श्री उ० मू० त्रिवेदी .	लुनावडा, बांसवाडा, प्रतापगढ़, नीमच, बेंगूर, मंडलगढ़ को जोड़ने वाली अहमदाबाद और कोटा (बड़ी लाइन) के बीच यातायात सर्वेक्षण की व्यवस्था का न किया जाना।	राशि घटा कर 1 रु० कर दी जाय।
3	46	श्री उ० मू० त्रिवेदी .	अहमदपुर—कटना, बर्दवान—कटवा और फतवा—इस्लामपुर लाइट रेलवे को अपने अधिकार में ले लेने की आवश्यकता।	100 रुपये
3	47	श्री उ० मू० त्रिवेदी .	विभिन्न पत्तन न्यास रेलों को अपने अधिकार में ले लेने की आवयश्यकता।	100 रुपये
4	48	श्री उ० मू० त्रिवेदी .	तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की भरती का तरीका।	100 रुपये

1	2	3	4	5
4	146		वर्दियों की सप्लाई, आवास और रात्रि कार्य भत्ता के मामलों में पश्चिम रेलवे के वाणिज्यिक कर्मचारियों के साथ भेद-भाव ।	राशि घटा कर 1 रु० कर दी जाय ।
4	148	श्री उ० मू० त्रिवेदी	इस विभाग के वाणिज्यिक कर्मचारियों के वेतन और भत्ते ।	100 रुपये
6	151	श्री उ० मू० त्रिवेदी	परिवहन विभाग के कर्मचारियों को दिया गया अतिरिक्त महंगाई भत्ता वाणिज्यिक कर्मचारियों को भी देने की आवश्यकता	राशि घटा कर 1 रु० कर दी जाय ।
6	152	श्री उ० मू० त्रिवेदी	चोरी और दावे–शीर्षक के अधीन भुगतानों को कम करने की आवश्यकता ।	10,00,000 रुपये
10	153	श्री उ० मू० त्रिवेदी	कर्मचारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जाच पड़ताल की प्रणाली ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी दी जाय ।
10	154	श्री उ० मू० त्रिवेदी	वाणिज्यिक कर्मचारियों के काम करने के घंटे कम करने की आवश्यकता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय ।
10	155	श्री उ० मू० त्रिवेदी	वाणिज्यिक कर्मचारियों को और अधिक चिकित्सा सुविधायें देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
10	156	श्री उ० मू० त्रिवेदी	अन्य कर्मचारियों को दी गई सुविधाएं वाणिज्यिक कर्मचारियों को देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
10	157	श्री उ० मू० त्रिवेदी	रेल कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य कल्याणकार्य और शिक्षा संबंधी मामले ।	100 रुपये

अध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

श्री नि० रं० लास्कर (करीमगंज) : कल हमने मंत्री महोदय का बहुत रोचक भाषण सुना। मैं यह ही सोचता रहा कि वे कुछ इस देश के उत्तरी भाग के बारे मेंभी कहेंगे। यह वह भाग है जहां चीनियों ने 1962 में हमला किया था और वैसे भी यह महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यहां कई देशों की सीमा भारत से मिलती है जैसे मनीपुर की सीमा बर्मा से, त्रिपुरा की सीमा पाकिस्तान से और आसाम तथा नेफा चीन से मिलते हैं। अब सरकार ने इस कार्य को प्राथमिकता दी है। सरकार को चाहिये की बड़ी लाइन को गोहाटी तक बढ़ाया जावे। इस पर कोई 10 करोड़ रुपया व्यय होगा और देश की सुरक्षा को देखते हुए यह रकम कुछ भी नहीं है।

अब मैं त्रिपुरा के बारे में कहूंगा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुंचने के लिये 120 से 150 मील सड़क पर चलना पड़ता है। यदि पाकिस्तान ने कभी यह सड़क काट दी तो बहुत बुरे परिणाम होंगे। इसलिये धर्मोनगर से अगरतला तक एक रेल लाइन होनी चाहिये।

यही हालत मनीपुर की है। यदि रेलवे लाइन आप वहां अभी नहीं बनवा सकते तो सर्वेक्षण ही करवा दिया जावे।

मनीपुर, त्रिपुरा और मीज़ो जिले तथा और दूसरे पड़ौसी क्षेत्र सामान्यत: खपत के क्षेत्र हैं और यह चीजें कलकत्ता से जाती हैं। लुमडिंग से बदरपुर तक केवल एक ही लाईन है और वह पूरा बोझ ले जाने में असमर्थ है। आसाम सरकार का बार-बार यह कहना है कि केन्द्रीय सरकार गोहाटी से बारापानी तक एक और रेलवे लाइन चला दें परन्तु मुझे पता नहीं कि सरकार के इस सुझाव पर विचार भी किया है या नहीं।

हाल ही में उत्तरी सीमा पर एक रेल चलाई है परन्तु वह तो अधिकतर फौजी आदमियों के लिये है। मेंने मांग की है कि एक वहां जनता एक्सप्रैस बरौनी से डिबरूगढ़ तक चला दी जावे।

सिल्चर तथा करीमगंज के बीच जो गाड़ी चलती है उसकी रफ्तार केवल 10 मील प्रति घंटा है। मैं चाहता हूं कि इसे बढ़ाया जावे।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कटाखल और लालाघाट के बीच एक लाइन है जो एक मेकलियड एंड कम्पनी नाम की कम्पनी के हाथ में है। मैंने बार-बार कहा कि रेलवे मंत्रालय अपने हाथ में ले लेवे क्योंकि वहां साधारण से साधारण सुविधाएं जैसे कि पीने का पानी आदि भी उपलब्ध नहीं है।

इस समय भोजन का डिब्बा केवल गोहाटी तक है। मैं चाहता हूं कि यह सुविधा लमडिंग तक होनी चाहिये।

अन्त में मैं फिर यह कहूंगा कि भारत का उत्तरी भाग अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और हमें वहां अधिक रेलवे लाइन खोलनी चाहियें।

श्री खाडिलकर (खेड) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातें कहने को खड़ा हुआ हूं और देखता हूं कि उनका कोई प्रभाव होता है या नहीं ।

हमारे वर्तमान रेलवे मन्त्री एक ऐसे व्यक्ति हैं कि वह जहां भी जाते हैं वहां से सुस्ती भाग जाती है । उनके सहयोगी भी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं । ऐसी जोड़ी के होते हुए मैं आशा करता हूं कि जो सुझाव इस सदन में दिये जावेंगे उन पर अमल होगा ।

मैं रेलों को किसी संकीर्ण दृष्टिकोण से नहीं देखता । यह राष्ट्र की सम्पत्ति है और देश में एकता की भावना को जागृत करने में बहुत सहायक हैं। देश के पिछड़े हुए क्षेत्रों में यह सुधार कार्य में सहायक हो सकती हैं और वहां के लोग प्रगति कर सकते हैं। अंग्रेज़ों के शासन काल में नई रेलवे लाइनें व्यापार की दृष्टि से बनायी जाती थीं । लोगों की सुविधा की उपेक्षा कर दी जाती थी। हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन बिना नगरों वाले स्थानों पर बने हुए हैं । देश के पश्चिमी भागों में इसके बहुत उदाहरण मिल सकते हैं । इस सम्बन्ध में सतारा की बात विशेषरूप से उल्लेखनीय है । यह नगर मराठा राजाओं की राजधानी था । वे भारत में एकता पर आधारित राज्य की स्थापना करना चाहते थे । सतारा शिक्षा और व्यापारिक केन्द्र भी रहा है । खेद का विषय है कि अंग्रेजों के समय में इसके विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया । इस भेदभाव द्वारा इस नगर को जो हानि उठानी पड़ी है उसको अब समाप्त कर दिया जाना चाहिये ।

सौभाग्य से पूना और मिराज के बीच अब बड़ी लाइन बनायी जा रही है । सतारा तक भी मुख्य लाइन लायी जानी चाहिये । रेलें देश में सामाजिक एकता का सूत्रपात करने में बहुत सहायक हैं । मेरा सुझाव है जो लाइन पूना से मिराज तक बनाई जा रही है वह आगे मैसूर तक बना दी जाय । आजकल देश के पश्चिमी भाग में बम्बई से मैसूर तक कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है । रेलवे के नये जोन बनाये जाने से पूर्व अच्छी प्रकार विचार किया जाना चाहिये । आज देश में आपात की स्थिति चल रही है । अतः इस वर्तमान स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहिये । सिकन्दराबाद में नये जोन का मुख्य कार्यालय बनाया जा रहा है । इस सभी कार्य पर दो करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है । आप राजनैतिक दबाव में आकर नया जोन बना रहे हैं । यह ठीक नहीं है । इस प्रश्न पर पुनर्विचार करें और देखें कि क्या यह आवश्यक है कि एक नया जोन बनाया जाय और वर्तमान स्थिति में परिवर्तन किया जाये । मैं चाहता हूं कि रेलवे मन्त्री इस सम्बन्ध में कुछ कहें । जो बात उन्होंने इस सम्बन्ध में पहले कही है वह स्पष्ट नहीं । भ्रष्टाचार के उन्मूलन के बारे में मन्त्री महोदय ने कहा है कि रेलवे बोर्ड का एक सदस्य इस विभाग की देखभाल करता है । हमारे विचार में इस विभाग को सभी स्तरों पर शक्तिशाली बनाया जाना चाहिये । रेलवे के विभिन्न विभागों में अभी भी बहुत त्रुटियां हैं ।

रेलों में खान पान व्यवस्था बहुत असन्तोषजनक है । हम इस बात का समर्थन करते हैं कि अधिक से अधिक कार्य सरकारी क्षेत्र में होना चाहिये । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि सेवाओं का स्तर गिर जाना चाहिये । अतः मेरा अनुरोध है कि खान पान व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया जाना चाहिये ।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : श्रीमान् मैं अपने कटौती प्रस्तावों पर बोलने से पूर्व दक्षिण रेलवे के धनुषकोटि और रामेश्वरम के स्थानों पर तूफान से हुई हानि का उल्लेख करना चाहता हूं । मेरा विचार है कि यदि वहां के रेलवे अधिकारी समय पर कार्यवाही करते तो इतनी हानि नहीं होती । मैंने पहले भी मांग की थी और अब फिर करता हूं कि इस सारे मामले की कानूनी जांच होनी चाहिये । रेलवे मन्त्री हमारी बातों को सदैव टाल देते हैं ।

रेलवे मन्त्रालय अनावश्यक खर्चा बहुत करता है। दिल्ली में चेम्सफोर्ड रोड पर तैरने का तालाब (स्विमिंग पूल) बनाया गया है और बैडमिन्टन कोर्ट बनाया गया है। इन पर 6,40,000 रुपये व्यय होने का अनुमान है।

इस व्यय की मंजूरी नहीं दी जानी चाहिये। सरकार को और आवश्यक कार्यों के लिये धन की बहुत आवश्यकता है।

रेलवे प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत अधिक है। मेरा सुझाव है कि नियमों में संशोधन किया जाना चाहिये और सभी भ्रष्ट अधिकारियों के साथ कठोरता से व्यवहार होना चाहिये। माननीय रेलवे मन्त्री ने कहा कि रेलवे बोर्ड का एक सदस्य सतर्कता संघटन के कार्य की देखभाल के लिये नियुक्त कर दिया गया है। यह पर्याप्त नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह अधिकारी गृह-कार्य मन्त्रालय के अधीन होना चाहिये ताकि वह निडरता से अपना कार्य निभा सके।

रेलवे प्रशासन को विश्रामगृहों के कार्यवहन खर्चे में अधिक धन देना चाहिये। शिक्षा सुविधाओं के क्षेत्र मे प्राथमिक देने की बजाये विद्यालयों की संख्या कम कर दी गई है। रेल कर्मचारियों को वर्दी बहुत देर से मिलती है। शीत ऋतु की वर्दी ग्रीष्म में मिलती है और ग्रीष्म ऋतु की वर्दी शीत में। फिर यह पूरे माप की भी नहीं होती हैं। जिन स्थानों पर सर्दी के मौसम का भत्ता मिलना चाहिये वह भी नहीं दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही होनी चाहिये। रेलवे प्रशासन के कई विभागों मैं जैसे लोको शेड, पावर हाउस आदि में क्लर्कों को निरन्तर 10 या 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। जबकि उनके कार्य का समय केवल 6 घंटे है। इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। मुझे बताया गया है इन क्लर्कों की समय समय पर तबदीली की जाती है परन्तु इनकी संख्या अधिक होने के कारण इनकी तबदीली के लिये बारी आने मे लगभग 10 साल लग जाते हैं। रेलगाड़ियों के साथ चलने वाले कर्मचारियों को भी अधिक सुविधायें उपलब्ध की जानी चाहियें। बोनस आयोग की सिफारिशों रेलवे के कर्मचारियों पर भी लागू की जानी चाहियें।

प्रोत्साहन बोनस द्वारा उत्पादन में वृद्धि के बहाने कर्मचारियों की संख्या में कमी की जा रही है। यह बोनस वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार नियत किये गये वेतन क्रमों के अनुसार दिया जाना चाहिये।

लिलुआ वर्कशाप में दैनिक कार्य का समय आंध घंटा बढ़ा दिया गया है। यह अनुचित है। मेरा अनुरोध है कि इसके लिये कर्मचारियों को आर्थिक प्रतिकर दिया जाना चाहिये।

श्री प० चं० बर्मन (कूच-बिहार) : मैं रेलवे मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। माननीय मन्त्री ने कहा है कि वह अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लोगों के हितों का ध्यान करेंगे। यह बहुत अच्छी बात है। इन जातियों के लोगों तक कई आदेश नहीं पहुंचते जिससे वे कई अवसरों से वंचित रह जाते हैं। इसके लिये आवश्यक व्यवस्था कर दी जानी चाहिये।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र कूच-बिहार में तम्बाकू की खेती बहुत होती है। इससे केन्द्रीय सरकार के राजस्व को बहुत लाभ होता है। देश की प्रतिरक्षा की दृष्टि से भी यह स्थान बहुत महत्व रखता है क्योंकि यह सीमवर्ती है। मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र में और रेल सुविधायें उपलब्ध की जानी चाहियें। रेल के डिब्बों में नीचे की सीट से ऊपर की सीट पर जाने के लिये सीढ़ी की व्यवस्था होनी चाहिये।

[श्री पं० चं० बर्मन]

मेरा सुझाव है कि अलीपुर गितालदाह सेक्शन के बातगुड़ी स्टेशन पर 205 और 208 गाड़ियां रुकनी चाहियें । मैंने इस सम्बन्ध में पत्र भी लिखा था परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई । इस पर तुरन्त कार्यवाही की जाये ।

Shri J. P. Jyotishi (Sagar): Railways are very vital for a country like India. To run the administration of such a big organisation requires a great deal of energy and initiative. The present Railway Minister and his colleague are both very able men. The Railway Board consists of experienced persons and they understand the difficulties of countrrymen.

Many miscellaneous works are going on in Railways. It is very essential that necessary vigilance is exercised in these works. It should be seen that railway money is not spent unduly. All the employees should be careful.

Sometimes it so happens that labourers are paid for doing duty but actually they do personal work of officers. This tendency should be checked.

Railway administration has better reputation than other departments. Its working is efficient. The credit for this goes to the Ministers in charge of Railway administration. It is necessary to root out pilferage from Railways. Every precaution should be taken to see that Railway property is no t stolen.

Railway administration should also take steps for the payment of dues to the casual labourers. They are very low paid people and lead a miserable life. They must be paid their rightful wages.

I suggest that a Complaints board might be set up to look into the complaints and grievances of employees of lower categories.This Board should be under the Minister. All the complaints should be got scrutinised and investigated from an independent agency. It should see that an innocent employee is not being harrassed. The States Reorganisation Commission had expressed its views that Madhya Pradesh was going to be a very big state and it was very necessary that more railway facilities were provided in this State. Nothing practical has been done in this connection and the results that the desired integration between regions of the state is not there. It will be proper if a railway line connecting Panna, Chatarpur, Sagar and Banda is laid. It can be extended upto Guna. Forest wealth of this area can also be utilized.

We daily see that there is great rush in third class compartments. Instead of providing facilities and easing the situation we are proposing to increase fares. It is not justified. I cannot support this increase in fares. The facilities provided to passengers are not commensurate with the fares charged. A train from Madras or Vishakhapatnam to Delhi should be started. It should pass through Raipur, Bilaspur, Katni, Bina and Gwalior.

The Government money should be spent with utmost care. It should not be spent unnecessarily. With regard to Sagar railway station I want to say that more facilities should be provided there. The city is on the southern side. I request that booking office etc. should be on that side and for crossing lines provision should be made for an over bridge.

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur): I do not know wh ther Railway Minister will see these cut motions or not. I suggest that an administrative tribunal should

be set up in Railway administration. At present the same officer, who prefers charges, is also the authority to award punishment. In this way justice is not done. The number of Directors in Railways is very big. I find no justification for having such a large number of officers. Their number should be reduced. It will be a good economy measure. The corruption is rampant in Railway administration. The pilferage is on the increase . The number of parcels which were pilfered has been going up every year. You go to Delhi Railway station. You will find that passengers are put to great hardships unnecssarily.

The Railways employees are subjected to great hardships. They have been grouped in so many categories. Some of them belong to essential services while others to non-essential services. Some get night allowance and winter allowance and others do not get it. This discriminatory treatment should be stopped.

The method of recruitment to Class III posts, is very defective. It should be changed. The criterion for calling candidates for interview should not a particular region. Bribe is taken when interview letters are issued. I would request the hon. Minister to look into this and set the things right.

Rules regarding working conditions are made and changed very quickly This causes so many difficulties to the employees. In this regard. I emphasise that they should stick to their decisions. Sometimes completion of works takes very long time. I want to draw the attention of the hon. Minister to the doubling of track upto Rewari. It has taken very long time. It should be completed expeditiously. The hon. Minister should pay due care to the cut motions proposed here.

श्री ल० ना० भंजदेव (क्योंझर) : माननीय मंत्री महोदय ने भाड़ा भी बढ़ा लिया है और यह भी सिद्ध कर दिया है कि वह गैर सरकारी क्षेत्र के समर्थक नहीं। इस पर भी म उन्हें अपने काम को शानदार ढंग से करने के कारण मुबारकबाद देता हूं। इतना शानदार काम होने पर भी उन्हें हमें विविध प्रकार के आंकड़े देने का कष्ट नहीं किया है। पहले तो प्रतिवदन के साथ आंकड़े रहा करते थे । संसद् के सदस्यों के कार्य सरल बनाने की दृष्टि से आंकड़ें और चार्ट दिये जाने चाहियें। उससे माननीय सदस्य रेलवे की कार्यान्विति के बारे में भली भांति अनुमान लगा सकते हैं।

रेलवे खण्डों को भंग करने की बात मेरे से पूर्व श्री खाडिलकर ने की है। में इस सम्बन्ध में विस्तार से कुछ नहीं कहूंगा। अब दक्षिण केन्द्रीय क्षेत्र का एक नया खण्ड बनाया जा रहा है । मेरा निवेदन यह है कि "डिवीजन पद्धति" को लागू करते समय यह कहा गया था कि इससे कार्य कुशलता में वृद्धि हो जायेगी। परन्तु इस बात की नितान्त उपेक्षा की गयी है कि रेलवे के वित्तीय साधन कम हो रहे हैं और मितव्ययता की बहुत अधिक आवश्यकता है। इन हालात में नये खण्डों का बनाया जाना उचित नहीं कहा जा सकता । रेलवे मन्त्री रेलवे राजस्व के बारे में हमेशा गलत अनुमान करते रहे हैं। और इस दिशा में वर्तमान मन्त्री महोदय ने भी निराश ही किया है। मेरे विचार में भाड़े की वृद्धि की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रेलवे को लगभग 5 करोड़ रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ को उपभोक्ताओं और करदाताओं में बांटा जाना चाहिये। तीसरे दर्जे के यात्रियों को और सुविधायें देने की आवश्यकता है । उन पर और भार डालने की नहीं । विकास निधि का उपयोग पहले से निर्धारित प्रयोजनों की बजाय कई दूसरे प्रयोजनों के लिए किया गया है। अच्छे वित्तीय सिद्धान्तों के अनुसार विकास निधि को रक्षित राजस्व निधि से मिला दिया जाना चाहिये और श्रमिकों के लिये सुविधायें राजस्व रक्षित निधि या भारत पूंजी पर भारित होनी चाहिये।

विकास निधि के बारे में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि यात्री सुविधाओं के लिए खर्च का अनुमान बहुत अधिक किया गया है और खर्च कम किया गया है। नयागढ़ क्षेत्र को प्रदीप से जोड़ने की बड़ी आवश्यकता है। वहां से खनिज लौह जापान को निर्यात किया जाता है। यदि सड़क परिवहन लाभप्रद नहीं है और यदि इस लाइन को न बनाया गया तो हम प्रतियोगिता वाले विशेष क्षेत्रों की मण्डियों म वचनानुसार माल नहीं पहुंचा सकेंगे। हम पहले ही मैंगनीज तथा खनिज लोहे के व्यापार में अपना एकाधिपत्य विश्व मण्डी में खो चुके हैं। इसलिये निर्यात किये जाने वाले खनिज पदार्थों पर कर नहीं लगाया जाना चाहिये। माननीय मन्त्री ने कहा है कि अयस्कों का भाड़ा बढ़ाया जायेगा, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम देश के हित में मुकाबले में अयस्क का निर्यात करना चाहते हैं। मैंगनीज अयस्क का निर्यात कम हो रहा है। उस पर कर नहीं लगना चाहिए।

श्री टे० सुब्रह्मण्यम् (बेल्लारी) : कल रेलवे मंत्री महोदय ने बहुत ही जोशीला और प्रभावशाली भाषण दिया था। उसमें गौरव का मद भी झलकता था जो कि उचित ही दिखाई देता था। हमारे सबसे बड़े राष्ट्रीय उपक्रम में 3000 करोड़ रुपये की आस्तियां बढ़ गयी। जब कि उससे 630 करोड़ रुपये की वार्षिक आय होती है। 1275000 से अधिक कर्मचारी इसमें काम पर लगे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में ही नहीं कृषि क्षेत्र में भी इसका अंश बहुत ही महत्वपूर्ण है।

नयी रेलवे लाइनों की जरूरत है। लोह अयस्क के बड़े भण्डारों को निर्यात के लिये निकालने के दृष्टिकोण से बेल्लारी होस्पेट लाइन बहुत उपयोगी रहेगी। गुटांकल से होस्पेट तक जो बड़ी लाइन बनाई जा रही है उसे हुबली और गोआ तक बढ़ा दिया जाना चाहिये। लोह-अयस्क के निर्यात के लक्ष्य को पूरा करने के लिये गुंटूर--हरिहर लाइन को हसन--मंगलोरलाइन से मिलाया जाना चाहिये। रायपूर-चितर्ग और सत्यमंगलम--चरमराजपेट लाइनों का काम आरम्भ किया जाना चाहिये। पूना--मिराज लाइन को मीटर गेज से बदल कर बड़ी लाइन बनाया जाना चाहिये और इसे हुबली तक बढ़ाया जाना चाहिये।

[**श्री सोनावाने** पीठासीन **हुए**
Shri Sonavane *in the chair*]

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि दक्षिण मध्य खण्ड बनाये जाने से कार्य संचालन-क्षमता नहीं बढ़ेगी। यह डर है कि नये खण्ड के अधीन आने वाले कुछ विभागों को हानि होगी इस लिये इस विषय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये। मितव्ययता की दृष्टि से भी ऐसा किया जाना उचित नहीं कहा जा सकता।

तीसरे दर्जे के यात्रियों को, विशेषकर जबकि इस देश में ही डिब्बों का निर्माण हो रहा है, अधिक सुविधायें दी जानी चाहिये। अधिक दूरी की यात्रा के लिये सोने के लिये डिब्बों का और भी प्रबन्ध किया जाना चाहिये। गाड़ियों में बिजली के पंखों का प्रबन्ध किया जाना चाहिये और गाड़ियों में और स्टेशनों पर पीने के पानी का प्रबन्ध होना चाहिये। ऐसी आशा की जाती है कि कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त मकान बनाये जाने का लक्ष्य पूरा हो जायेगा। गाड़ियों में बिजली-उपकरणों के ठीक प्रकार से काम करने के बारे में पहले ही से जांच पड़ताल की जानी चाहिये।

उपभोक्ता सहकारी स्टोर बनाये जाने का स्वागत है । खाद्यान्न की कमी थोड़े दिनों की है और सम्भरण स्थिति में सुधार होने की आशा है । यथासम्भव अधिक खाद्यान्न की दुकानें खोली जानी चाहिये । रेलवे मंत्री यह शिकायत कर रहे थे कि इस मामले में खाद्य मंत्रालय का सहयोग नहीं मिल रहा । यह बड़ी उचित शिकायत है । हमें 12 लाख रेलवे कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखना होगा कि उन्हें खाने पीने की चीजें ठीक ढंग से मिल जांय । मुझे आशा है कि रेलवे मंत्री, मेरे सुझावों की ओर उचित रूप से ध्यान देंगे और यथासम्भव उन्हें कार्यान्वित करने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री रंगा (चित्तूर) : मुझे इस बात का हर्ष है कि मेरे दल के प्रतिनिधि श्री हिम्मत सिंह जी ने जो बात कही है मैं उससे सहमत हूं । रेलवे की वित्तीय अवस्था के सम्बन्ध में मेरे उनके विचार एक ही हैं । मेरा निवेदन है कि रेलवे बजट का अवसर एक ऐसा समय होता है जब कि हम अपनी शिकायतें रेलवे मंत्रालय के समक्ष रख सकते हैं । नई लाइनें बनाने और यात्रियों को सुविधायें उपलब्ध करने के लिये सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों की ओर सावधानी से ध्यान दिया जाना चाहिये और इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जानी चाहिये । इन सुझावों पर की गई कार्यवाही के बारे में एक प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

रेलवे का उत्तरदायित्व बढ़ जाने के फलस्वरूप योग्य निदेशक नियुक्त करके रेलवे बोर्ड को और भी सुदृढ़ बनाया जाना चाहिये । परन्तु रेलवें की विभिन्न समितियों और परिषदों के लिये व्यक्तियों को राजनैतिक आधार पर नहीं चुना जाना चाहिये । भीड़ की समस्या दिन-प्रति दिन जटिल होती जा रही है । भीड़ को कम करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये । मालगाड़ियों के साथ यात्रियों के कुछ डिब्बे लगाये जाने चाहियें, विभागीय भोजन व्यवस्था का वर्तमान तरीका सर्वोत्तम है परन्तु चीजों की किस्मों, और सेवा में सुधार किया जाना चाहिये ।

जितनी मांग की गई है उतनी नई लाइनें नहीं बनाई गई हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में इस सम्बन्ध में कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा है । सारी धनराशि का कम से कम एक तिहाई भाग इस प्रयोजन के लिये दिया जाना चाहियें था । विशाखापटनम से कोठागुदाम तक नई लाइन के बनाये जाने, जो कि भद्राचलम होती हुई जाये, और खादिपेट से ओंगोल, खाम्मम से मदनापल्ली, गौहाटी से डिब्रूगढ़ को बनाई जाने वाली नई लाइनों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये ।

आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, काश्मीर और राजस्थान में हमारी सीमाओं के साथ-साथ सामरिक महत्व की लाइनें बनाये जाने की बड़ी आवश्यकता है । इस प्रयोजन के लिये विशेष धनराशि दी जानी चाहिये और शीघ्रातिशीघ्र इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण आदि किये जाने चाहिये । रेलवे स्टेशनों पर छपे हुए प्लेटफार्म बनाये जाने चाहियें ।

दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से रेलवे क्रासिंगों पर वहां तक पहुंचने के मार्ग और भूमिगत मार्ग बनाये जाने चाहिये संगत नियमों में इसलिए परिवर्तन करने की आवश्यकता है कि स्थानीय रेलवे प्राधिकार भूमिगत भागों के व्यवस्था के व्यय का वहन कर सके । इस प्रयोजन से आर्थिक योजनाएं तैयार की जानी चाहियें । कप्पन स्टेशन की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये । महत्वपूर्ण स्टेशनों पर विश्राम के कमरों की व्यवस्था

होनी चाहिये जहां कि बहुत अधिक यात्री आते हैं और जहां कोई होटल न हों। रानीगुन्टा से तिरूपती तक छः मील के अन्तर पर बड़ी लाइन के बनाये जाने की आवश्यकता है।

डा० प० मंडल (विष्णुपुर): मैं बड़े पिछड़े हुए क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं। वहां वही हालत है जो पहले थी। कोई नयी रेलवे लाइन उस क्षेत्र में नहीं बिछाई गयी। रेलों की संख्या भी वहां वही पुरानी ही है। यह खेद की बात है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे के खड़गपुर आदरा विभाग के पिछड़े हुए क्षेत्र में गाड़ियों की संख्या, गति और यात्रियों के यातायात सम्बन्धी मामलों में कोई सुधार नहीं हो पाया है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हावड़ा से गमोह तक एक 'एक्सप्रैस' गाड़ी चलाई जानी चाहिए जो आदरा से होती हुई जाय। इसी प्रकार यह भी व्यवस्था की जानी चाहिए कि दिल्ली से हावड़ा जाने वाली गाड़ियों में से एक गाड़ी आदर-खड़गपुर होकर दिल्ली जाय। इससे बहुत से क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंच जायेगा। मेरा यह भी अनुरोध है कि विष्णुपुर और संत्रागाची के बीच एक नई लाइन बनाई जानी चाहिए। यह लाइन बहुत घनी आबादी वाले क्षेत्रों और जयरामबारी और कमारपुकुट जैसे तीर्थ स्थानों में से हो जानी चाहिए। इससे सैकड़ों यात्रियों को सुविधा हो जायेगी। मेरा यह अनुरोध है कि यह बड़ा महत्वपूर्ण काम है अतः इस लाइन का निर्माण-कार्य चौथी पंच-वर्षीय योजना के दौरान निश्चय ही प्रारम्भ हो जाना चाहिए।

यह बड़ा आवश्यक है कि बी० डी० आर० रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है और राष्ट्रीयकरण के पश्चात् ही उसे लाभदायक ढंग पर चलाया जा सकता है। कलकत्ते के लिए सर्कुलर रेलवे अथवा भूमिगत रेलवे का प्रबन्ध होना चाहिए अन्यथा वहां परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों के पैदा हो जाने का भय है। कलकत्ता जैसे नगर के लिए इसका बहुत ही महत्व है।

सदन का ध्यान मैं इस ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं और कि रेलवे सेवाओं में नियुक्ति और पदोन्नति के प्रयोजन के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति व्यक्ति को रेलवे सेवा आयोग में सदस्य के रूप में लेना चाहिए। तीसरे दर्जे का किराया नहीं बढ़ना चाहिए। बिना टिकट यात्रा और चोरी इत्यादि को रोक कर रेलवे राजस्व में वृद्धि की जानी चाहिए।

श्री मान सिंह पू० पटेल (मेहसाना): माननीय सदस्यों की प्रतिभा पूर्ण भाषणों के पश्चात् मैं रेलवे प्रशासन के कार्य के सम्बन्ध में अपने कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। मुझे इस बात का खेद है कि कई प्रकार के दबावों में आकर अथवा सत्याग्रहों के परिणामस्वरूप रेलवे लाइनों के निर्माण को स्वीकार कर लिया जाता है। यह प्रवृत्ति बहुत बुरी है। मेरा आग्रह यह है कि मंत्री महोदय को यह कह देना चाहिए कि इस प्रकार की प्रवृत्ति को पूरी तरह से रोका जायेगा। प्रत्येक मामले का निर्णय किसी सिद्धान्त को समक्ष रख कर किया जाना चाहिये और इस दिशा में कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये।

यह खेद का विषय है कि भारत की समूची "मीटर गेज प्रणाली" में एक भी डी-लक्स गाड़ी नहीं चलाई जाती। कम से कम गर्मियों के मौसम में यदि ऐसी सुविधा उपलब्ध हो जाय

तो यह बहुत ही अच्छी बात हो । जहां राज्यों की दो अथवा तीन राजधानियों के बीच मीटर गेज की गाड़ियां चलती हैं, वहां पर एक "डी-लक्स" गाड़ी भी चलनी चाहिये । और इस बारे में लोगों को सूचना दी जानी चाहिए । यह तो ठीक ही है कि सारी छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में नहीं बदला जा सकता, परन्तु सामान्य व्यक्ति "डीलक्स गाड़ी" से ही प्रभावित हो जायेंगे । अतिरिक्त गाड़ियों के बारे में, माननीय मंत्री महोदय ने बहुत ही सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया है और हम उस पर गौरव कर सकते हैं ।

इस संदर्भ में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कई एक क्षेत्र ऐसे हैं जहां एकाधिकार चल रहा है । माननीय मंत्री ने ठीक ही कहा है कि वह इन एकारिधिकारों के पक्ष में नहीं हैं । सारे ही उत्तरी रेलवे क्षेत्र में एक व्यक्ति सारे बुकस्टालों को चला रह हैं । रेलवे बुक स्टालों और बुकिंग एजेंसियों के एकाधिकार को समाप्त किया जाना चाहिए । इसके स्थान पर काम मुकाबले से होना चाहिए । एक बोसाना नाम का स्टेशन है , वहां 'फ्लग' स्टेशन स्थापित किये जाने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए ।

Shri Mate (Tikamgarh): The level of the platform at Manakpur should be raised. The waiting hall should also be improved. In 1952 Dr. Rajendra Prasad former President of India visited Tikamgarh. He was presented a memorandum by the people of the area. A demand was made that a railway line from Jhasi to Jabalpore may be laid. He had promised that this work would be done, but nothing has been done in this regard. The people of this area are very poor. If Jhansi is linked with Jabalpore through Tikamgarh, it will give an impetus to the advancement of this area. I hope the hon. Minister will pay attention to this and get the needful done.

Shri Rattan Lal (Banswara): We are pledged to establish a socialistic pattern of society in this country. Efforts should be made to lay railway lines and erect factories keeping in view the needs of the country. We should see that backward areas also make progress. Nothing has been done for the amelioration of poor people. I would like to know its reasons.

First of all defence needs of the country should be met. I come from Banswara area of Rajasthan. There is no railway line in this area. Members have been making demands for additional lines in their areas, but in my area there is no sline at all. My area is very much backward. In these circumstances it becomes all the more necessary that a railway line may be laid in this area. I would like that railway lines may be constructed in all the backward areas of our country. Rajasthan is a border state. I think that from the defence point of view this area is very strategic. Keeping in view this fact Jaisalmir area of Rajasthan should be brought on railway map of India.

The trains which run between Bombay and Delhi go at a very slow speed. I suggest that a fast running train may be started on this line. Another line I would suggest is from Kota to Chittaur. This area is also very backward. By laying this line many industries can be established in this area. It should be included in Fourth Five Year Plan.

A railway line is under construction from Udaipur to Himmatnagar. The hon. Railway Minister also referred to it. He has said that it will be completed during the current year. I am grateful to him for this, but the work there is going on at a very slow pace. Necessary steps may be taken so that the work is completed expeditiously.

Shrimati Kamala Chaudhuri (Hapur): Sir, I support the demands of Railway Ministry. This department has been earning for the country. Ours is a very vast country. It requires a lot of time and effort to move towards progress and prosperity for such a great country.

Like other departments, Railway administration has also suffers from the malady of corruption. It is rampant there. Now the Ministers in charge of Railway are very efficient persons. We hope that they will be able to root out corruption from Railways.

I want to bring to the notice of the Minister the deplorable conditions of Delhi Railway station. There is great rush on both Delhi and New Delhi Railway stations. The number of trains has increased twofold during the last 17 years. No additional facilities have been provided during this period. You can well imagine the plight of travelling public. I would request the hon. Railway Minister to do something in this regard very urgently.

Now-a-days people prefer to send their goods by road transport, Railway Ministry should pay proper attention in this regard, because the railway revenues are adversely effected thereby.

Complaints against late running of trains are very common. Necessary action may be taken in this regad. There is some improvement in the sanitation at Railway stations, but much remains to be done as yet. I suggest that salaries of low paid Railways employees be increased. It will add to the efficiency of Railways. The obsolete angines should be replaced.

I would request the hon. Minister to get some amenities provided at Meeru station. During the last 25 years nothing has been done to improve conditions there. People have to undergo many difficulties during rainy season. More trains should be provided between Gahaziabad and Delhi. Thousands of students travel here and the trains are overcrowded on this section. I suggest that more shuttle trains be started between these two station. The travellers from Meerut to Lucknow have to travel by a long route. They have to change trains at Hapur and Moradabad. A direct fast running train should be provided there. More educational facilities may be provided for the children of railway employees.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : (अडोनी): सभापित महोदय, में रेलवे मंत्री के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दक्षिण–मध्य जोन की स्थापना की है। इसका मुख्य कार्यालय सिकन्दराबाद में है। इसके बनाये, जाने की बहुत आलोचना भी हुई है परन्तु इसके सभी पहलुओं पर पहले अच्छी प्रकार विचार कर लिया गया था। यह निर्णय किसी दबाव में आ कर नहीं किया गया। मैं इसकी सराहना करता हूं। मेरे विचार में गुन्टाकल डिवीजन भी इसी जोन के साथ मिलाया जाना चाहिये। शोलापुर डिवीजन के भाग बनाते समय महाराष्ट्र

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker *in the chair*]

राज्य के सदस्यों से सलाह की जानी चाहिये और उनकी राय से परिवर्तन किये जाने चाहिये। रेलवे विभाग सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। इसके मंत्री बदलते रहे हैं। परन्तु वर्तमान मंत्री बड़े कार्य कुशल व्यक्ति हैं। हमें आशा करनी चाहिये वह इस विभाग में आवश्यक सुधार लायेंग और देश की बढ़ रही जनसंख्या की मांगों की पूर्ति करेंगे।

रेलवे मे सरकारी भोजन व्यवस्था निजि व्यवस्था से बहुत अच्छी सिद्ध हुई है। रेलवे मंत्री को भोजन व्यवस्था का पूरा काम अपने विभाग के अधीन कर देना चाहिये। सिकन्दराबाद में भी विभागीय व्यवस्था का प्रबन्ध किया जाय।

दिल्ली और हैदराबाद के बीच कोई सीधी रेलगाड़ी नहीं जाती है। यही केवल एक राज्य की राजधानी है कि जो देश की राजधानी से सीधी रेलगाड़ी द्वारा नहीं मिली हुई है। यह आवश्यकता बहुत समय से अनुभव की जा रही है। मेरा अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाये।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र अडोनी मैं रेलवे लाइन फाटक और ऊपर का पुल बनाने की बहुत जरूरत है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये। नई रेलवे लाइनें बनाते समय व्यापारिक पहलु को ही ध्यान में नहीं रखना चाहिये बल्कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास को भी ध्यान में रखना चाहिये। राज्य सरकार ने नान्दियाल से नैलूर तक लाइन बनाने का सुझाव दिया है। इस के सम्बन्ध में सर्वेक्षण भी हो चुका है परन्तु आगे की कार्यवाही रुकी पड़ी है। इसके बारे में कुछ किया जाना चाहिये। रेलवे की जोनल सलाहकार समितियों के गठन के समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि वही लोग इसमें लिये जायें जो वास्तव में रेलवे की समस्याओं में रुचि रखते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण-पूर्व) : जब रेलवे मंत्री ने यह बात कही कि रेलवे कर्मचारी और अधिकारी एक सुखी परिवार की भांति रहते हैं तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला था। परन्तु उन कर्मचारियों के लिये भी कुछ किया जाना चाहिये जिनके विरुद्ध जुलाई 1960 में हड़ताल में कार्य करने के आरोप में कार्यवाही की गई है। उन अभागों की संख्या 60 या 70 के लगभग है। रेलवे तथा अन्य विभागों के बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों पर आरोप थे परन्तु अब केवल 60 के लगभग शेष है। इनके बारे मैं सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जाना चाहिये। माननीय मंत्री बड़े दयालू माने जाते है। में आशा करता हूं कि इन लोगों की कठिनाइयों की ओर ध्यान दिया जायेगा और उन्हें वापिस सेवा में ले लिया जायेगा। इस सम्बन्ध मैं उच्चतम न्यायालय ने भी निर्णय दिया है, परन्तु लिमिटेशन एक्ट के अधीन उन पर और प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं। यदि रेलवे बोर्ड इस बारे मैं सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाये तो ठीक होगा।

देश में रेलों का विद्युतीकरण हो रहा है। यह बहुत अच्छी बात है। हमें बताया गया है कि इस सम्बन्ध में पर्याप्त प्रगति हो रही है। परन्तु इस कार्य में 30,000 के लगभग जो लोग लगे है उन की दशा में कोई सुधार नहीं है। उनको 1958 के दरों पर ही मजूरी दी जा रही है। इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जानी चाहिये। इनको केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन मिलना चाहिये।

मैं ठेका प्रणाली के बारे में कहना चाहता हूं कि यह समाप्त होनी चाहिये। भ्रष्टाचार का एक कारण यह भी है। जो कार्य स्थायी प्रकार के हैं वह विभाग द्वारा ही होने चाहियें। 1964 में रेलवे बोर्ड ने आश्वासन भी दिया था कि ठेकों के नवीकरण के समय इन कार्यों को विभाग में ही करने पर विचार किया जायेगा परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

गया है। इससे आशंका हो सकती है कि इसमें कुछ अधिकारियों का हाथ है जो निजी हितों के कारण इस प्रणाली को जारी रखे हुए हैं।

हमें बताया गया है कि बहुत अधिक संख्या में अनियत मजदूरों की छंटनी की जा रही है। यह मितव्ययता को ध्यान में रख कर किया जा रहा है। ऐसी मितव्ययता से हजारों मजदूर बेकार हो जायेंगे और दूसरे रेलवे लाइनों आदि की सुरक्षा खतरे में आ जायेगी। अतः मेरा अनुरोध है कि इन लोगों की छंटनी न की जाय। इन अनियत मजदूरों की मजदूरी का भी पुनरीक्षण होना चाहिये। इन के कार्य के महत्व को देखते हुए इनकी मजूरी के दर बढ़ाये जायें। रेलवे बोर्ड के मार्च, 1964 के आदेश के अनुसार इन मजदूरों के सेवा कार्ड बनाये जाने चाहियें। परन्तु बहुत स्थानों पर यह नहीं किया गया है।

अन्त में मैं कलकत्ता में सर्कुलर रेलवे के बारे में कहना चाहता हूं। इस ओर बहुत शीघ्रता से ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि भूमिगत रेलवे लाइन बनायी जाये तो बहुत महंगी पड़ेगी और सर्कुलर रेलवे के लिये वर्तमान लाइनें प्रयोग में लायी जा सकती हैं। माननीय मंत्री को इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये।

Shri Surendra Pal Singh (Bulandshahr): While supporting the demands for Grants of the Ministry of Railways, I want to say certain things about my constituency. In my constituency *i.e.* Bulandshahr there is no railway line which may be of use to the entire district. Hence I request that a railway line from eastern side of Bulandshahr to its western side may be constructed. The demand for it is being made for the last about 40 years.

Demand for such a line was first made in 1925-26. That line was to connect Phaphund, Eta, Anupshahr and Jahangirabad and was to terminate at Bulandshahr or Hapur. This was again reviewed in 1957 and then again in 1939. After independence too this demand has been voiced but the Minister avoids it by calling it impractical and infeasible.

For people who want to catch train to Lucknow or Allahabad, they have first to go to Hapur. There are certain other trains but accommodation in the IIIrd class compartments is not available. I want that at least one train going to Kanpur may be made available for our people. While proceeding from Ghaziabad, it would be better if the train may be diverted to Hapur and then to Khurja. If this is done it will be of much convenience to the people because at present it is a very long route.

There are no proper arrangements for unloading of coal at Bulandshahr station. All the coal is dumped near the platform which has caused great dirt and inconvenience to the passengers. About two hundred trains daily visit Bulandshahr yet the arrangements are not proper. I want that people should not be inconvenienced.

There are no ladies waiting rooms for women who travel in upper classes. There is only one waiting room for gents as well as ladies. The minister is avoiding this in the name of modern age when men and women can rest in the same waiting room. But I want to tell him that that area is not so advanced and women still observe "purdah". Hence separate waiting rooms for gents and ladies may be provided.

Although Government have made arrangements for the education of the children of the villagers, yet they have not made any provision for providing them with employment. Some quota should be fixed for the villagers for class III & IV services in the Railway in proportion to their population.

For higher services the interview and examination is conducted in English. The people, especially from U.P. and Bihar face great difficulty because the medium of instruction there is Hindi and they are not able to compete with people whose medium of instruction is English. I want that regional languages should be introduced for all such examinations.

Since the Government is not able to provide good station in the rural areas, it should at least place shady trees so that people in summer can wait there.

Although the Government have tried to reduce overcrowding yet it has not been successful. Long distance passengers are the real sufferers. I would suggest that number of Janta express trains should be increased.

The hon. Minister has assured that speed will be increased on trunk routes. I want to know what is being done to increase the speed on branch lines. Railways are suffering loss on these lines because people prefer to travel by bus because of taken less time. So that attempt should be made to increase speed on branch lines also.

श्री जोकीम आल्वा (कनारा): यद्यपि कारवाड़ संसार की बहुत ही सुन्दर पत्तन है और मैंगनीज़ भी वहां पाया जाता है, फिर भी उस के लिये कुछ नहीं किया गया है । वर्तमान प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में कुछ करने का आश्वासन दिया था परन्तु स्वे कनाल के झगड़े के कारण सारा मामला ठप्प हो गया । यद्यपि वर्तमान रेलवे मंत्री बहुत ही क्रियाशील व्यक्ति हैं फिर भी उन्होंने जनता को सुविधायें देने के लिये कुछ नहीं किया ।

हमें धारवाड़ के लिये रेल कब मिलेगी ? यह एक प्राकृतिक पत्तन है । हुबली से धारवाड़ तक रेल बनाई जानी चाहिये । सुन्दर पत्तन होने के अतिरिक्त यहां की भूमि भी बहुत उपजाऊ है । सीबा ने भी अपना कारखाना धारवाड़ में लगाया है और अन्य कारखाने भी लगाये गये हैं । परन्तु हमें अभी तक रेल नहीं मिली । शायद मैं अगले चुनावों में न जीत सकूं क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग कहते हैं कि मैं उनको रेल भी नहीं दिला सका ।

वह कहते हैं कि उन के पास कोई प्रस्ताव नहीं है । मैसूर सरकार के पास वह सभी प्रस्ताव थे जिनकी मैंने मांग की है । रेलवे बोर्ड का कोई भी अधिकारी कभी वहां नहीं गया । यह किस प्रकार का कल्याणकारी राज्य है ।

जहां तक खाने पीने के प्रश्न का सम्बन्ध है, यह दक्षिण पश्चिम रेल और कलकत्ता से दिल्ली तक की रेल में इसका बहुत ही बुरा प्रबन्ध है । रेलवे बोर्ड के सदस्य यदि स्वयं यह दूध पियें तो उनको पता चले । हमारे बहुत कुछ कहने सुनने पर दिल्ली से बम्बई की रेल पर कुछ सुधार हुआ है ।

[श्री जोकीम आल्वा]

बम्बई रेल स्टेशन के बाहर छोटी टेक्सियों का भी प्रबन्ध नहीं किया गया है । परन्तु अब बहुत से प्रतिवेदन देने के उपरान्त एक छोटे से स्टैण्ड का इन्तजाम किया गया है । जब तक आप यात्रियों की निस्वार्थ रूप से सेवा नहीं करेंगे तब तक आप यह नहीं कह सकते कि आप जनता की सेवा कर रहे हैं।

गलियारे वाली गाड़ियों का मैं घोर विरोध करता हूं । यहां पर लोगों को बहुत लम्बे सफर करने पड़ते हैं और बहुत सा सामान भी साथ रखना पड़ता है और यहां गरमी भी बहुत पड़ती है । इन सब चीजों को देखते हुए गलियारे वाली गाड़ी हमारे देश के लिये बिलकुल उपयुक्त नहीं है और इसे समाप्त कर देना चाहिये ।

मैंने रेलवे के सभी जोनों में यात्रा की है और इस सम्बन्ध में मैंने श्री बुधवाड़ को जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन से उन के लिये एक कोट की मांग की । उन्होंने उत्तर दिया कि उनको वेतन दिया जाता है इसलिये उनको कोट नहीं दिया जा सकता ।

हमें रेलवे के कुलियों को भी कुछ सुविधायें देनी चाहियें ।

रेलवे के अधिकारियों जिनको 400 रुपया महीना वेतन मिलता है, पहले दर्जे में यात्रा करने के लिए पास मिलता है । इस नीति का पुनरीक्षण होना चाहिये । कोटा में 20,000 रेलवे के कर्मचारी हैं परन्तु उन के लिये कोई स्कूल नहीं है । समवाहकों को भी कहा जाना चाहिये कि वह हजामत बनाकर काम पर आया करें।

जहां टिकटों के रिजरवेशन का सम्बन्ध है, प्रत्येक स्थान पर इनकी ब्लैक मार्किट हो रही है ।

हमें हुबली से डांडोली तक के लिये रेल की आवश्यकता है । हमारे रेलवे मंत्री बहुत ही क्रियाशील व्यक्ति हैं और उनको चाहिये कि रेलवे को भी क्रियाशील बनायें ।

Shri Yashpal Singh (Kairana): I had stated in the very House that had Shri Patil been the Defence Minister then we would never have been defeated. The way Shri Patil has worked for this country is unparallel.

You have opened an office in Simla to conduct research in accidents. If an accident takes place in Bihar, then the Director takes two days to reach the spot. Therefore the office should be opened at Delhi or Lucknow.

If we stop these air-conditioned coaches then we will gain about Rs. 4 crores.

The station at Roorkee is in a very neglected state. There is no tonga or rickshaw stand outside the station. An overbridge should be provided at the station.

I want to make another submission. According to Railway Service Rules an employee can contest municipal election after taking due permission from his office. I know one instance where an employee took permission and contested the elections. But he was dismissed from service. I hope Shri Ram Subhag Singh will look into the matter. Those employees who have died on duty, their sons should be given priority in railway jobs.

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे मंत्री महोदय ने रेलवे आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के दौरान उठाये गये विभिन्न प्रश्नों का उत्तर पहले ही दे दिया है । मैं मांगों पर चर्चा के दौरान उठाये गये विशिष्ट प्रश्नों के ही उत्तर दूंगा । यदि कोई प्रश्न छूट जाये, तो मेरे वरिष्ठ सहयोगी डा० राम सुभग सिंह उनका उत्तर कल देंगे अथवा रेलवे बोर्ड द्वारा उन पर विचार किये जाने के बाद उनका उत्तर माननीय सदस्य महोदयों को सीधे भेज दिया जावेगा ।

अधिकांशत: माननीय सदस्यों द्वारा नई लाइनों को बिछाने तथा छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिए और तीसरे दर्जे में और अधिक सुविधायें दिये जाने के बारे में विचार व्यक्त किये गये हैं। निसन्देह देश के कई हिस्सों में रेलों की सुविधायें नहीं हैं। अत: रेलों का विकास करना वांछनीय है । किन्तु हमारे सामने धन की समस्या है; धन अपेक्षित राशि में उपलब्ध नहीं है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कल कहा कि चौथी पंच वर्षीय योजना में नये कार्यों के लिए केवल 45 करोड़ रुपये की धन राशि मिल सकेगी ; अत: केवल वही परियोजनाओं को, जो औद्योगिक विकास में अधिक सहायक हो सकती हैं अथवा जो हमारी बढ़ती हुई अर्थ-व्यवस्था के मांग के अनुकूल हों, प्राथमिकता दी जायेगी । परियोजनाओं की प्राथमिकता के बारे में निर्धारण अथवा अन्तिम निर्णय सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श के बाद योजना आयोग से मिल कर किया जायेगा ।

कई सदस्यों ने रेलवे लेवल क्रॉसिगों पर होने वाली असुविधाओं के बारे में चिन्ता व्यक्त की है । जहां तक दिल्ली के लेवल क्रॉसिगों पर ऊपरी पुल और नीचे के पुल बनाये जाने का सम्बन्ध है, मैं स्वयं इस समम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर समिति से पत्र व्यवहार कर रहा हूं । दिल्ली की वृहत् योजना (मास्टर प्लान) की आवश्यकता के प्रसंग में लेवल क्रॉसिंग सम्बन्धी ब्यौरों का अन्तिम रूप से निर्णय हो जाने के पश्चात् रेलवे इस काम को आरम्भ कर देगी । ..... जहां तक अन्य शहरों अथवा नगरों में ऐसे पुलों के निर्माण का सम्बन्ध है, रेलवे हमेशा उन्हें बनाने के लिए तैयार है जिन के बारे में राज्य सरकारों से प्रस्ताव होते हैं और जिन के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय यह स्थानीय प्राधिकार अपने हिस्से का खर्च उठाने के लिये तैयार हैं ।

दिल्ली में रिंग रेलवे परियोजना के बारे में रेलवे बोर्ड की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । ऐसी आशा की जाती है कि इस लाइन पर 12 स्टेशन होंगे जिनमें से, वर्तमान स्टेशनों के अतिरिक्त, नये स्टेशनों को नये प्रकार का बनाया जायेगा । यह भी आशा है कि भविष्य में हम इन लाइनों पर तेज रफ्तार वाली गाड़ियां चलायेंगे और डिज़ल और बिजली से चलने वाले इंजिनों का प्रयोग करेंगे । इस परियोजना पर 6. 75 करोड़ रुपये खर्च आयेंगे और आशा की जाती है कि 1967 तक यह परियोजना पूरी हो जायेगी । दिल्ली को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशाल योजनाओं की जरूरत है । दिल्ली में यातायात की समस्यायें इतनी जटिल एवं उलझी हुई हैं कि हमारे लिए केवल यही उपयुक्त मार्ग है कि विशेषज्ञों की एक उच्च शक्ति समिति द्वारा इस प्रश्न पर पूर्ण रूप से विचार करवाया जाये ।

[श्री शामनाथ]

कलकत्ता में भूमिगत रेलवे बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है और इस पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा । मैं महसूस करता हूं कि दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता जैसे शहरों की यातायात सम्बंधी समस्या का सन्तोषजनक हल केवल भूमिगत रेलवे बनाये जाने से ही हो सकता है ।

निर्यात के लिए लौह-अयस्क (आइरन ओर), मैंगनीज-अयस्क अथवा पटसन से बनी वस्तुओं के लिए वस्तु-भाड़े की दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा । विशेष वस्तुओं, जिनके निर्यात को बढ़ावा देना है, के वस्तु भाड़े की दर में कमी की जायेगी ।

रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की कमी है । अतः ऐसे उम्मीदवारों की कमी को पूरा करने के लिए रेलवे ने कई उपाय किये हैं । उक्त जातियों की भर्ती के बारे में विभिन्न आकड़ों से स्पष्ट है कि श्रेणी 3 और श्रेणी 4 में अनुसूचित जातियों सम्बंधी स्थिति सन्तोषजनक है किन्तु जहां तक अनुसूचित आदिम जातियों का प्रश्न है, हमारे बहुत प्रयत्नों के बावजूद भी, उनकी पर्याप्त भर्ती नहीं हो सकती है । ऐसा प्रतीत होता है कि सम्भवतः इसका कारण आदिम जातियों का अपने क्षेत्र से बाहर अपरिचित वातावरण में काम करने के लिए इच्छुक न होना है ।

विरार-बुलसर-बडौदा-अहमदाबाद सेक्शन में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान में बिजलीकरण किये जाने के बारे में सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

हुबली वर्कशाप के हस्तान्तरण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

दिल्ली और रिवाड़ी के बीच दुहरी लाइन बनाने का जो सुझाव दिया गया है उसके बारे में स्थिति इस प्रकार है--कि दिल्ली से गाढ़ी हरसाडू और रिवाड़ी से खलीलपुर तक दुहरी लाइनें हैं । केवल बीच का भाग अर्थात गाढ़ी हरसाडू और खलीलपुर के बीच में दुहरी लाइन से छूटा हुआ है । वर्तमान यातायात को देखते हुये वहां दुहरी लाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है ।

डा० मा०श्री० अणे (नागपुर): उपाध्यक्ष महोदय, समय के अभाव के कारण मैं मुख्य मुख्य बातों पर ही बोलूंगा। मैंने गत वर्ष भी रेलवे आय-व्ययक की चर्चा के दौरान एक सुझाव दिया था जिसे मैं अब भी रेलवे मंत्री जी के विचारार्थ रख रहा हूं । डाखा और प्रसाद के बीच जिस छोटी लाइन को द्वितीय महायुद्ध काल में तोड़ दिया गया था, उसे फिर से बनाया जाये । इस सम्बन्ध में यह आश्वासन दिया गया था कि इसका पुनर्निर्माण किया जायेगा और इस कार्य को प्राथमिकता दी जायेगी । इस लाइन के बारे में बार बार प्रश्न किये जाते रहे हैं किन्तु उत्तर यही मिलता है कि इस लाइन को बनाने में कोई लाभ नहीं है ।

मुझे इस क्षेत्र के सम्बन्ध में यह बताना है कि इस क्षेत्र में बहुतायत में ओटनी (गिनिंग) कारखाने हैं और क्षेत्र का विकास हो रहा है । मैं रेलवे मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह एक बार इस क्षेत्र में आयें और इस लाइन के पुनर्निर्माण की आवश्यकता की जांच स्वयं करें ।

अमरावती से नारखेद तक एक लाइन बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन था । इसके लिए भूमि भी अर्जित की गई थी, किन्तु बाद में इस परियोजना को स्थगित कर दिया गया । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस काम को आरम्भ कर दें । नारखेद, नागपुर-इटारसी लाइन पर एक स्टेशन है । इस क्षेत्र के चार जिलों में रेल-लाइन की बड़ी आवश्यकता है । इस लाइन को भूसावल-नागपुर लाइन से जोड़ा जा सकता है जिससे कि इस उर्वरक क्षेत्र का और अधिक विकास हो सके ।

अब मैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालूंगा .....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं। अब सभा में आधे घंटे की चर्चा आरम्भ होगी।

---

*इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन

**INDIAN AIR LINES CORPORATION

श्री विद्याचरण शुक्ल (महासमद) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मैं 11 सितम्बर 1963 को हुई हवाई दुर्घटना के बारे में दिये गए उत्तर से उत्पन्न प्रश्नों पर चर्चा आरम्भ करने के लिये खड़ा हुआ हूं। न्यायाधीश खोसला, जो जांच करने के लिये नियुक्त किये गए थे ने अपनी रिपोर्ट में यात्री सुरक्षा की ओर आई० ए० सी० की घोर वेपरवाही की ओर संकेत किया है।

न्यायाधीश खोसला ने त्रुटि रिपोर्टों पर कोई कार्यवाही न करने, उसे जाली बना कर अच्छी बनाने का उदाहरण दिया है। दूसरी बात उन्होंने रात्रि की हवाई सेवा की जांच के बारे में कही है कि जांच कर्ता इंजिनियर ने दुर्घटनाग्रस्त विमान की जांच नहीं की। वास्तव में जिसने जांच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये थे वह केवल जांच इंस्पेक्टर ही था जबकि नियमानुसार वह ऐसा करने का अधिकारी नहीं था परन्तु 1959 से 1963 तक वहां कोई जांच कर्त्ता इंजिनियर नियुक्त नहीं किया गया यद्यपि दिल्ली-नागपुर-मद्रास मार्ग पर हर रोज़ वाईकाऊंट आते जाते थे। यद्यपि न्यायाधीश खोसला ने स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहा परन्तु फिर भी यह आम राय है और मेरा भी यही विचार है कि यह दुर्घटना केवल उचित ध्यान और जांच न होने के कारण हुई है।

जांच न्यायालय ने नागपुर में फालतू पुर्जों की स्थिति पर भी कटु आलोचना की है। कोई छोटी त्रुटि भंयकर सिद्ध हो सकती है चाहे पुर्जे के अभाव में उसे ठीक भी कर दिया जाए परन्तु उड़ान के दौरान यह फिर घातक सिद्ध हो सकती है और यही नागपुर की दुर्घटना में भी हुआ।

न्यायाधीश खोसला ने अपनी रिपोर्ट में कई बातें कही हैं जिन पर न जाने सरकार ने क्या कार्यवाही की है। वाइकाऊंट विमान को चलाने अथवा न चलाने की परिस्थितियों के बारे में कोई स्पष्ट निदेश नहीं मिलता। केपटन जाफर जो आई० ए० सी० की ओर से पेश हुए, भी इनके बारे में अनभिज्ञ थे। जब जाफर जैसे अनुभवी चालक को इनका पता नहीं है तो आई० ए० सी के अन्य चालकों को इनकी जानकारी क्या होगी।

मैं बताना चाहता हूं कि 1959 और 1963 के बीच 21 गम्भीर दुर्घटनाएं हुई जिनका या तो बिल्कुल समाधान नहीं हुआ या अंशत: समाधान हो सका। पहली श्रेणी की दुर्घटनाओं की संख्या हमारे देश में बढ़ती जा रही है। हमें हवाई यात्रा को सकुशल बनाने के लिये अवश्य कोई प्रयत्न करना होगा।

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : यह एक बहुत ही दुखद दुर्घटना है जिसमें यात्री तथा विमान कर्मचारी और विमान का बहुत सा भाग बिल्कुल नष्ट हो गया जिसके कारण वास्तविक

---

*आधे घंटे की चर्चा

**Half-an-hour discussion.

कारणों का पता नहीं चल सका । प्रयोगशाला के प्रयोगों, निर्माताओं के प्रतिनिधियों की राय और दूसरी सम्बद्ध गवाहियों के होते हुए भी यह निर्णय नहीं लिया जा सका कि कारण क्या था ?

न्यायाधीश खोसला द्वारा जिन त्रुटियों की ओर संकेत किया गया है उन पर ध्यान रखा जाएगा जैसा सरकार के उस संकल्प से स्पष्ट है जो रिपोर्ट सहित सभा पटल पर रखा गमा था ।

अब मैं उनका क्रमश: वर्णन करता हूं : पहिले त्रुटि रिपोर्ट के बारे में मुझे बताना है कि त्रुटियां कई प्रकार की होती हैं, कुछ छोटी होती हैं और इनके बावजूद भी विमान उड़ाया जा सकता है । परन्तु यह त्रुटियां असैनिक उड्डयन अधिकारियों की जानकारी में ला कर उनकी आज्ञा प्राप्त करनी होती है । यह त्रुटियां असैनिक उड्डयन के महा निदेशालय को मिलती रहती हैं जो समय समय पर परिमत्र आदि जारी कर के आदेश देता रहता है कि कौन सी त्रुटियां साधारण हैं जिनके होने पर भी विमान उड़ाया जा सकता है । विमान कमाण्डर जो विमान तथा यात्रियों की सुरक्षा के लिये ज़िम्मेदार होते हैं सामान्यत: विविध त्रुटियों की गंभीरता को जानते हैं । वास्तव में उनका प्रशिक्षण ही इसी प्रकार का होता है जिससे उन्हें तुरन्त ही उन परिस्थितियों का ज्ञान हो जाता जिनमें है विमान उड़ाया जा सकता है अथवा नहीं । फिर भी यदि एक कमाण्डर के विचार में एक त्रुटि ऐसी है जिसके होते हुए भी विमान उड़ाया जा सकता है तो वह ऐसा नहीं कर सकता जब तक असैनिक उड्डयन का महा- निदेशालय इसकी आज्ञा नहीं दे देता । न्यायाधीश खोसला की रिपोर्ट के पश्चात त्रुटियों की फिर से पूरी जांच की जा रही है कि कौन कौन सी छोटी हैं और नियमाधीन आ सकती हैं । यह उन बातों में से एक हैं जो इस समय विचाराधीन हैं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : उस त्रुटि का क्या हुआ जिसे छिपाया गया है ?

श्री कानूनगो : मैं उसी बात की ओर आ रहा हूं । एक गलती करने वाले अधिकारी के आधार पर पूरे निगम को बदनाम नहीं किया जा सकता । इस रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि असैनिक उड्डयन का महा-निदेशालय त्रुटि रिपोर्टों को ठीक करने अथवा उनमें किसी प्रकार का अनुचित रूप से सुधार करके दिखाने की ओर भी पूरी तरह जागरूक है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : आपको यहां आई० ए० सी० की पेरवी करनी है न कि असैनिक उड्डयन के महानिदेशालय की ।

श्री कानूनगो : ये दोनों ही यात्री जनता की सेवा करते हैं ।

श्री शिकरे (मरमागोआ) : यह आरोप आई० ए० सी० पर लगाए गए हैं न कि डी० जी० सी० ए० पर, इस लिये आपका उत्तर आई० ए० सी० के बारे में ही होना चाहिये ।

श्री कानूनगो : क्योंकि मैं आई० ए० सी० के कार्यों के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हूं, इसलिये मेरा कहना है कि यह अकेले एक अधिकारी की गलती थी । एक बहुत बड़े संगठन में ऐसी बातें होती रहती हैं और इन पर नियत्रण कड़ा कर दिया जाता है । ये घटनाएं दोहरायी नही जाती/ इस त्रुटि का जागरूकता होते हुए भी पता नहीं लग सका और यह बात सिद्ध भी हो चुकी है । इसलिये यह अनुमान लगाना कि ऐसे धोखे के कृत्य आम हैं ।

यह सच है कि उस दिन नागपुर में विमान की जांच करने वाला अधिकारी लाईसेंसड नहीं था परन्तु कारपोरेशन तथा असैनिक उड्डयन महा निदेशक के अनुसार वह इस योग्य है कि विमान की जांच कर सके। न्यायाधीश खोसला ने कहा है कि नागपुर में जांच कागजी ही होती है। परन्तु कारपोरेशन और महा-निदेशालय ने विचार के पश्चात् बताया है कि 20 मिनट की जांच बहुत काफी है। यह कहना कि उस अधिकारी ने मिस्त्री के जांच करने पर ही रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दिये उचित नहीं है। और इस बेपरवाही के लिये उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

फालतु पुर्जों के बारे में भी काफी ध्यान दिया गया है और यथासंभव प्रयत्न किये जाते हैं कि तुरन्त ही उन्हें बदलने का काम हो परन्तु कई बार पुर्जे आने से पहले ही जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं। फिर भी कारपोरेशन यथासंभव कार्यवाही कर रही है।

न्यायाधीश खोसला ने त्रुटियों के बारे में हमें बताया है। 8 सिफारिशों में से 5 पर पहले ही ध्यान दिया जा चुका है और 3 विचाराधीन हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार 11 मार्च, 1965/20 फाल्गुन, 1886 (शक) / के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, March 11,1965/Phalguna 20, 1886 (Saka).

GMGIPND -LS--III--337(Ai)LS--7--7--65—600